


निवाचन-नियम

(क्या है, और कैसे होने चाहिये ?)



इस ए, एल एल नी, अर्थ शास्त्र अध्यापक, प्रयाग विश्व विद्यालय

और

भगवानदास केला

रचयिता, भारतीय शासन, भारतीय राष्ट्र निर्माण, आदि ।

प्रकाशक

व्यवस्थापक, भारतीय ग्रन्थमाला, बृन्दावन

प्रथम संस्करण
१२०० प्रति

} ११२६ { मूल्य
सर्व साधारण से, ॥-)
स्थायी प्राइको स, ॥=)

मुद्रकः—

बैलोक्यनाथ शर्मा,
“जसुना प्रिन्टिंग वर्क्स,” मधुरा।

समर्पण

श्री० घनश्यामदास जी विड्ला;

कलकत्ता

मान्यवर महोदय,

आपके हिन्दी, हिन्दू और हिन्द के प्रेम को कौन
नहीं जानता ? शिक्षा प्रचार तथा हिन्दी साहित्य की
वृद्धि के प्रयत्न में आप औरों के लिये आदर्श-रूप हैं ।
गत-वैभव हिन्दू जाति की हित-चिन्तना आपके मानों
स्वाध्याय का विषय है, और समाज सुधार के कट-
काकीण मार्ग में आप दृढ़ता और गम्भीरता पूर्वक
अग्रसर हो रहे हैं । अब आपका ध्यान राजनीतिक क्षेत्र
की ओर भी आकर्षित हुआ है । इस अवसर पर हम
आपकी सेवा में यह रचना सादर समर्पित करते हैं ।
अपनी स्वाभाविक उदारता से इसे स्वीकार करें ।

*
विनोद

लेखक,

सरकारी तथा राष्ट्रीय विद्यालयों में प्रचलित, और पाठ्य पुस्तकों,
पारितोषिक या पुस्तकालयों के लिये स्वीकृत

भारतीय ग्रन्थमाला

सं	नाम	मूल्य सर्व साधारण से	मूल्य स्थायी ग्राहकों से
१	भारतीय शासन	=)	=)
२	भारतीय विद्यार्थी विनोद	=)	=)
३	भारतीय राष्ट्र निर्माण	=)	≡)
४	भारतीय प्रार्थी))
५	अन्योक्ति तरङ्गणी)	=)
६	भारतीय जागृति	१))
७	देश भक्त दामोदर)	=)
८	भारतीय चिन्तन	=)	≡)
९	भारतीय राजस्व	=)	≡)
१०	निर्वाचन नियम	=)	=)
(का)	हिन्दी भाषा में अर्थ शाखा	→)
(ख)	हिन्दी भाषा में राजनीति	→)
(ग)	हमारा प्राचीन गौरव	→)

नोट—अधिक हाल जानो के लिये —) का टिकट भेजकर हमारा
चिविस्तर सूचीपत्र मंगाकर देस्तिये।

भगवानदास केला

भारतीय ग्रन्थ माला, शृन्दावन।

❀ भ्रम निवारक पत्र ❀

‘पाठकों से निवेदन है कि वे लृपाकर- निष्ठा लिखि
सुधार करके, इस पुस्तक को पढ़ें ।—

पृष्ठ २ —फुट नोट की आठवीं पंक्ति में “ और भारतवर्ष को ”
के आगे “ महान् भारतवर्ष को ” नहीं चाहिये ।

पृष्ठ ८ —तीसरी पंक्ति में “ करेंगे ” के आगे “ है ” नहीं
चाहिये ।

पृष्ठ १४—यारहवीं पंक्ति में “ सुधार कानूनों ” के स्थान पर
“ सुधार कानून ” होना चाहिये ।

पृष्ठ ४३—दूसरी पंक्ति में “ भिज्ञ ” के स्थान पर ‘ भिज्ञ
भिज्ञ ” होना चाहिये ।

पृष्ठ ४६ और ५१—इन पृष्ठों का शीर्षक “ निवाचिक किसे
होना चाहिये ” के स्थान पर “ कौन व्यक्ति निर्वा-
चक हो सकता है ? ” होना चाहिये ।

पृष्ठ ५१—दूसरी पंक्ति के घाँट यह और पढ़िये “ म्युनिसिपै-
लिटी सम्बन्धी दखास्त उसके संकेटरी थो, और
व्यवस्थापक संस्था सम्बन्धी दखास्त मिला-मेजिष्ट्रेट
को दी जानी चाहिये । ”

पृष्ठ ५७—दसवीं पंक्ति में “ लिख पढ़ न सकते हो ” के स्थान
पर “ लिख पढ़ सकते हो ” होना चाहिये ।

पृष्ठ ८३—फुट नोट का पहिला शब्द “ प्रत्येक ” है ।

पृष्ठ ८८—यारहवीं पंक्ति में ठहराये जाने के आगे ‘के’ चाहिये ।

पृष्ठ १०४—दूसरी पंक्ति में यह और पढ़िये, “ इसे हटाना चाहिये ” ।

✽ विषय सूची ✽

अध्याय	विषय	पृष्ठ
१	निर्वाचक सघ	१
२	निर्वाचक होने के अनधिकारी	१३
३	निर्वाचक कौन हो सकता है ?	१६
४	निर्वाचक किसे होना चाहिये ?	३५
५	कोई व्यक्ति निर्वाचक कैसे हो सकता है ?	४८
६	उम्मेदवार कौन हो सकता है ?	५२
७	उम्मेदवार किसे होना चाहिये ?	६०
८	कोई व्यक्ति उम्मेदवार कैसे हो सकता है ?	६५
९	उम्मेदवार के कार्य	७२
१०	मत किस प्रकार दिये जाते हैं ?	८१
११	निर्वाचन-अपराध	८७
१२	निर्वाचन सम्बन्धी दर्जाएँ	९७
१३	निर्वाचन-सुधार	१०३

परिशिष्ट-१—भिन्न भिन्न प्रान्तों से निर्वाचित सदस्यों की संख्या	११२
„ २—युक्त प्रान्त के निर्वाचक संघ और प्रतिनिधि	११३
„ ३—मध्य प्रान्त के निर्वाचक संघ और प्रतिनिधि	१२२
„ ४—व्यवस्थापक संस्थाओं की उम्मेदवारी के प्रस्ताव-पत्र का नमूना	१२६
„ ५—युक्त प्रान्त की युनिसिपैलिटियों की उम्मेदवारी के प्रस्ताव-पत्र का नमूना	१२८
„ ६—निर्वाचन-पत्र का नमूना	१३०


निर्वाचन-नियम

क्या हैं, और कैसे होने चाहियें ?



पहिला अध्यात्म

निर्वाचक संघ



"I see her (India) not as an India with representations of different communities, not an India where the Hindu community shall be striving for its own interests only, or the Mahomedan community attempting to obtain some special interest for itself or the Europeans considering the interests for the moment of their own community, but an India of all communities, of all classes, in which the Hindu, the Muslim, the European and every other class, race and creed shall join and endeavour to make India a great India and to give her a higher place in the future history of the world, when every man will be doing his best for the country in which he has been born or b.

*interests are involved, so that all may concentrate their attention upon the one ultimate goal” **

—LORD READING

प्रतिनिधि प्रणाली—सन् १९१९ ई० के शासन सुवारों के अनुसार भारतवर्ष में उत्तरदायी शासन का श्रीगणेश होगया है। उत्तरदायी शासन का आधार प्रतिनिधि प्रणाली है। इस लिये यह ज्ञान लेना उपयोगी होगा कि यदि प्रणाली कैसे प्रचलित हुई।

* भाग्यार्थ—मैं इस देश (भारतवर्ष) को ऐसे भारतवर्ष के रूप में नहीं देन्हता हूँ जिस में भिन्न भिन्न जातियों के प्रतिनिधि हों, जहा हिन्दू जाति अपने ही स्वार्थों की पूर्ति का प्रयत्न करे या मुसलमान जाति अपने विशेष हित प्राप्त करने की विशिष्ट करे, या योरोपियन लोग अपनी ही जाति के सामयिक लाभों का चिन्तन करे, वरन् मैं इसे ऐसे भारतवर्ष के रूप में देखता हूँ जो सब जातियों और सभी ब्रेणियों का हो, जिस में हिन्दू, मुसलमान, योरोपियन और दूसरी प्रत्येक ब्रेणी, जाति और धर्म के लोग मिल कर काम करेंगे और भारतवर्ष को महान भारतवर्ष को महान भारतवर्ष बनाने और उसे ससार के भावी इतिहास में अधिक उज्ज्वल दर्जने का प्रयत्न करेंगे, जब प्रत्येक आदमी उस देश के लिये अपनी जनकी भर अधिक से अधिक कार्य करगा, जिस में उसका जन्म हुआ है, या निर ने उसका हित अन्वय है, इस प्रकार यह आदमी अपना गान एक वानिम नेत्र की प्राप्ति के लिये पूरी तरह रखा है।

- प्राचीन समय में यूनान आदि देशों के छोटे छोटे राज्यों में नैकड़ों वर्ष तक शासन सम्बन्धी विषयों पर निर्धारित गायु के समस्त नागरिक + एकत्रित होकर अपना मत प्रकट करते थे, और उनकी सर्व सम्मति या घुम ममतिसे ही राज्य नियम घनते थे। इस प्रकार एक देश या प्रान्त की बहुत सी जनता को प्रत्यक्ष रूप से अपने यहाँ के व्यवस्था कार्य में भाग लेने का अविकार था। उस समय सावारण कानूनों पर भी विचार करने वालों की सख्त बहुत अधिक हो जाती थी। जब तक राज्य बहुत छोटे रहे, व्यवस्था कार्य जैसे तैस चलता रहा। परन्तु क्रमशः उनके बड़े और विस्तृत होजाने पर, एवं उनकी जन सख्त बहुत घट जाने पर शान्ति तथा सुगमता से कार्य सम्पादन होना असम्भव होगया।

तथ प्रतिनिधि प्रणाली का अविकार हुआ। यह सोचा जाया कि राज्य के प्रत्येक भाग (प्राम या नगर) के समस्त नागरिक व्यवस्था कार्य में योग देने के बजाय अपना यह अविकार कुछ छुने हुए सज्जनों को दे दें, जो उनकी ओर से जावश्यक नियम रचना और शासन कार्य किया कर। ऐसे-

+ यूनान में प्राय सैनिक ही नागरिक बहे जाते थे। इन देशों में बहुत से गुलाम (दास) होते थे, उन्हें तथा स्त्रियों को नागरिकों के अधिकार प्राप्त नहीं थे।

चुने हुए सज्जन प्रतिनिधि कहलाने लगे। विशेष सुविधाजनक होने के कारण इस प्रणाली का प्रचार क्रमशः ससार के बहुत से सभ्य देशों में हो गया । प्रत्येक देश में व्यवस्थापक नभावों के लिये, जनता की सर्व सम्मति या घटुत के अनुसार, प्रतिनिधि चुने जाने लगे। एक निर्धारित अधिकार के पश्चात् इन प्रतिनिधियों का नया निर्वाचन करने की व्यवस्था की गयी ।

निर्वाचन अधिकार—निर्वाचन अधिकार का आजकल यडा महत्व है। इसके सदुपयोग पर ही हमारी राजनैतिक, सामाजिक या धार्थिक उन्नति निर्भर है। भारतवर्ष में सुधार कानून के अनुसार कुछ व्यक्तियों को यह अधिकार दिया गया है, और ऐसे व्यक्तियों की सत्या क्रमशः बढ़ती ही जायगी। इस अधिकार के उचित उपयोग के लिये हमारे जन समुदाय को यह ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिये कि निर्वाचन सम्बन्धी नियम क्या है, निर्वाचक कौन होना चाहिये, आजकल भारतवर्ष में भिन्न भिन्न व्यवस्थापक संस्थाओं तथा म्युनिसिपैलिटियों और जिला बोर्डों के लिये निर्वाचक कौन हो सकता है, इन संस्थाओं के लिये उम्मेदवार कौन हो सकता है और किसे

२ जिन संघावों का उद्देश्य राजनैतिक न होता, गामाजिक धार्मिक या धार्थिक आदि होता है, उनके सदृढ़न के लिये भी 'निनिधि—प्रणाली' का उपयोग मिया जाता है।

होना चाहिये, तथा निर्वाचकों और उम्मेदवारों के क्या क्या कर्तव्य हैं, इत्यादि ।

निर्वाचक संघ—निर्वाचन के सुभीते के लिये प्रत्येक प्रान्त, जिला या नगर सरकार द्वारा कई भागों या क्षेत्रों में विभक्त किया गया है, प्रत्येक क्षेत्र के निर्वाचक समूह को निर्वाचक संघ कहते हैं । प्रत्येक निर्वाचक संघ अपनी ओर से प्राय एक एक (कहीं कहीं एक से अधिक) प्रतिनिधि चुनता है ।

साधारण निर्वाचक संघ—भारतवर्ष में दो प्रकार के निर्वाचक संघ हैं, साधारण और विशेष । व्यवस्थापक स्थानों, तथा कुछ स्थानों में म्युनिसिपलिटियों और जिला पोड़ी के लिये साधारण निर्वाचक संघ जाति-गत निर्वाचक संघों में विभाजित किये गये हैं, जैसे मुसलमानों का निर्वाचक संघ, गैर-मुसलमानों का निर्वाचक संघ, योरोपियनों का निर्वाचक संघ, सियों का निर्वाचक संघ, इत्यादि ।

आन्तीय व्यवस्थापक परिपदों तथा भारतीय व्यवस्थापक सभा के लिये जाति-गत निर्वाचक संघ प्राय नगरों और ग्रामों में विभक्त किये गये हैं, जैसे मुसलमानों का नगर-निर्वाचक संघ, मुसलमानों का आम-निर्वाचक संघ, गैर-मुसलमानों का आम-निर्वाचक संघ इत्यादि ।

जिस क्षेत्र का निर्वाचक संघ होता है, उसका नाम भी निर्वाचक संघ के साथ जोड़ दिया जाता है, जैसे लखनऊ जिले का गैर-मुसलमानों का ग्राम-निर्वाचक संघ।

जिस व्यवस्थापक संस्था का निर्वाचक संघ होता है, उसका भी नाम निर्वाचक संघ के नाम के साथ जोड़ देने से निर्वाचक संघ का पूरा परिचय होजाता है, जैसे युक्त प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषद का, लखनऊ जिले का, गैर-मुसलमानों का ग्राम-निर्वाचक संघ।

- - - निर्वाचक संघों का क्षेत्र—अब हम यह विचार करते हैं कि एक साधारण निर्वाचक संघ का क्षेत्र कितना होता है। भिन्न भिन्न प्रान्तों में, तथा भिन्न भिन्न व्यवस्थापक भौतिकों में इस क्षेत्र का विस्तार पृथक् पृथक् होता है। पाठक जानते होंगे कि भारतवर्ष के एक प्रान्त के जितने निर्वाचित प्रतिनिधि उस प्रान्त की व्यवस्थापक परिषद में होते हैं, उनसे कम भारतीय व्यवस्थापक समा में, और उनसे भी कम राज्य परिषद में होते हैं। उदाहरणार्थ युक्त प्रान्त के प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषद में १००, भारतीय व्यवस्थापक सभा में ४६ और राज्य परिषद में ५ प्रतिनिधि होते हैं। इस लिये प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषद के एक निर्वाचक संघ के क्षेत्र से भारतीय व्यवस्थापक समा के निर्वाचक संघ का क्षेत्र बड़ा

द्वोगा, और राज्य परिपद के एक निर्वाचिक संघ का क्षेत्र तो उससे भी यहाँ रहने वाला ठहरा।

प्राय प्रान्तीय व्यवस्थापक परिपदों के एक नगर-निर्वाचिक संघ का क्षेत्र एक शहर और ग्राम-निर्वाचिक संघ का क्षेत्र एक ज़िला (शहर छोड़कर) निर्धारित किया गया है। मारनीय व्यवस्थापक सभा के एक नगर-निर्वाचिक संघ का क्षेत्र एक यहाँ शहर या कई शहरों का एक समूह, और ग्राम-निर्वाचिक संघ का क्षेत्र एक या दो कामिनियाँ या डिग्रीजन (कुछ जिलों का समूह) है। राज्य परिपद के एक निर्वाचिक संघ का क्षेत्र एक प्रान्त या उसका कोई नाम नामा गया है।

विशेष निर्वाचिक संघ—सुधार यानुन के बाधार पर घने हुए नियमों के अनुसार जमीदारों जैसे कुछ विशेष जन समुदाय या विद्या-विद्यालय तथा शाणिज्य सभा (चेस्टर-आफ-कार्मस) आदि संस्थाओं को अपने प्रतिनिवि भेजने का विशेष अविकार दिया गया है। ऐसे जन समुदायों या संस्थाओं के निर्वाचिक संघ, विशेष निर्वाचिक संघ बहलाते हैं। ये जिस जन समुदाय या संस्था के होने हैं, उसी के नाम में इनका नाम पड़ जाता है, जैसे मध्य प्रान्तीय व्यवस्थापक परिपद के लिये जमीदारों का निर्वाचिक संघ, युक्त प्रान्तीय

व्यवस्थापक परिपद के लिये प्रथाग विश्व-विद्यालय का निर्वाचक संघ।

अब हम यह विचार करेंगे हैं कि किसी जन समुदाय या संस्था का जाति-गत या पृथक् निर्वाचक संघ होना कहाँ तक उचित है। किन्तु इसके पहिले यह विचार कर लेना आवश्यक है कि विशेष प्रतिनिधित्व ही कहा तक ठीक है।

विशेष प्रतिनिधित्व—इस विषय में राजनीतिज्ञों में मत भेद है। एक पक्ष का मत है कि किसी भी प्रकार का विशेष प्रतिनिधित्व अनावश्यक, अन्यान्य-युक्त और देश के लिये हानिकर है। दूसरा पक्ष सिद्धान्त से तो पहले पक्ष का ही समर्थन करता है, परन्तु उसका कथन है कि जब तक समाज की स्थिति ऐसी है कि बहुत से आदमीं सब के हित का विचार न करके अपनी दृष्टि छोटे छोटे क्षेत्र तक ही परिमित रखते हैं, व्यवहार में विशेष प्रतिनिधित्व से काम लेना पड़ेगा। इस पक्ष का तर्क यह है कि देश में कुछ श्रेणियों के, या कुछ स्वार्थी वाले व्यक्ति ऐसे होते हैं, जिन पर सरकारी कानूनों और कर आदि का भारी असर पड़ता है, परन्तु साधारण जनता में इन व्यक्तियों की संख्या या प्रभाव कम होने से, ये चुनाव में नहीं आते, और, यदि आते भी हैं तो बहुत कम। इस से ये अपने लिये पनने वाले ज्ञानों या अपने ऊपर लगने वाले करों के

सम्बन्ध में अपना मत प्रकट नहीं कर सकते और बहुत हानि उठाते हैं। इस लिये इन व्यक्तियों को अपने कुछ विशेष प्रतिनिधि भेजने का अधिकार मिलना चाहिये।

इस विषय में हमारी सम्मति यह है कि समाज की उस परिस्थिति को ही बदल देने का प्रयत्न होना चाहिये जिसके आवार पर विशेष प्रतिनिधित्व की आवश्यकता बतायी जाती है। राजनीतिक विषयों में सब नागरिकों की एकही थेणी हो और सबका समान ही स्वार्थ हो। इस प्रकार समाजका प्रत्येक व्यक्ति सबके लिये हो। कोई सदस्य किसी विषय में अपना मतदे, तो सभी के हित को दृष्टि में रखे। किसी विशेष थेणी के, या विशेष स्वार्थ वाले व्यक्तियों को पृथक् प्रतिनिधित्व देना, समाज की छिन्न भिन्न कर देना है। यह फूट की बेल एक घार लग जाने पर सदैव बढ़ती ही रहती है और अन्त में समाज भर को ग्रस्त करके छोड़ती है। इसलिये समाज के किसी अंग को विशेष प्रतिनिधित्व का अधिकार देना, सर्वथा अनुचित है।

जाति-गत निर्वाचक संघ—विशेष प्रतिनिधित्व को लक्ष्य में रखकर ही भारतवर्ष में मुसलमानों ने जाति-गत प्रतिनिधित्व का दावा उपस्थित किया। देश के दुर्भाग्य से, हिन्दू नेताओं की अत्यधिक उदारता से, तथा सरकारी अधि-

कारियों की रूपा से उनका यह दावा स्वीकृत होगया। विशेष आपत्तिजनक यात तो यह हुई कि यहा साधारण निर्वाचक सभ जाति-गत निर्वाचक संघों में विभक्त किये गये और यह वशवरद्या की गयी कि किसी जाति-गत निर्वाचक संघ के प्रतिनिधियों के चुनाव के लिये वे ही व्यक्ति निर्वाचक हो सकें जो उसी जाति के हों, जिस जाति का वह निर्वाचक सभ है। इसमें यहा राष्ट्रीयतां का भयकर हास होरहा है। नागरिक अपनी अपनी जाति या धर्म आदि के पीछे पढ़कर देश प्रेम के भावों की नितान्त अवहेलना कर रहे हैं। रोग किस तरह धराघर बढ़ता ही जा रहा है, इसका हमें प्रत्येक अनुभव है।

आज फल सुसलमान उम्मेदवारों को देवल सुसलमान निर्वाचिकों का, और, हिन्दू उम्मेदवारों को देवल हिन्दू निर्वाचिकों का मत सम्रह करना होता है। प्राय. ये उम्मेदवार अपनी अपनी जाति में जितने अविक 'कट्टर' प्रसिद्ध होते हैं, उतने ही अविक मत इन्हें मिलने की आशा होती है। इस लिये निर्वाचिनों के पहले अपनी 'कट्टरता' की विजयि करना भी कुछ उम्मेदवारों ने अपना कार्य समझ लिया है। इस से भिन्न भिन्न जातियों में एक दूसरे के प्रति वैमनस्य का भाव बढ़ता है। इसके फल स्परूप जाति-गत दंगों की वृद्धि होती है, और हमारी राष्ट्रीय उन्नति में घड़ी वाधा उपस्थित हो रही है। इसे हटाना बहुत आवश्यक है। इस लिये व्यवस्था पेसी होनी चाहिये कि

फिसी उम्मेदवार के लिये न केवल उम्मीदी ही जाति वाले वरन् दूसरी जाति के भी निर्वाचक अपना मत दे सकें। अथवा यां वाह सकते हैं कि निर्वाचक भव जाति-गत न रहें, वे मयुक्त होने चाहियें।

सयुक्त निर्वाचक संघों की आवश्यकता—उदाहरणार्थ यदि एक जिले या फ़ामिशनरी में एक हिन्दू और एक मुसलमान सदस्य निर्वाचित करना हे तो इस निर्वाचन क्षेत्र में ऐसी व्यवस्था न होनी चाहिये कि इसके मुसलमान निर्वाचक मुसलमान सदस्य को चुनें और हिन्दू निर्वाचक हिन्दू सदस्य को। इसके विपरीत मानून पेसा होना चाहिये कि मुसलमान सदस्य के चुनाव में हिन्दू निर्वाचक, और हिन्दू सदस्य के चुनाव में मुसलमान-निर्वाचक भी अपना मत दे सक। *

जब उम्मेदवारों को अपनी जाति के निर्वाचकों के अतिरिक्त दूसरी जाति वाले निर्वाचकों के भी मत की आवश्यकता होगी, वे सकुचित जाति-गत दृष्टि से काम हेता छोड़ देंगे, और अपनी ही जाति के लोगों को प्रभन्न करने की भावना न रखकर भभी जातियों के हित का विचार किया दरेंगे। उनके

* इनी प्रकार योगोपियों या सिन्हों जादि के लिये भी पृथक जातिनाम निर्वाचक सघ न रहने चाहिये।

निर्वाचन-नियम

चार उदार हो जायेंगे। इस प्रकार देश में राष्ट्रीयता के बांधों की वृद्धि में बड़ी सहायता मिलेगी।

संयुक्त निर्वाचक संघों की व्यवस्था से यह आशका करना अर्थ है कि अल्प सख्यक जातियों के कम प्रतिनिधि चुने जायेंगे, कारण कि इनके प्रतिनिधियों की संख्या तो कानून द्वारा निश्चित है, और रखी जा सकती है।

इसमें स्पष्ट है कि यह रीति जाति-गत वैभगस्य और दर्गों को दूर करने और जनता में देश प्रेम का भाव घढ़ाने में बहुत सहायक होगी। अतः हमें इसे कानून द्वारा प्रचलित कराने का प्रयत्न करना चाहिये।

द्वूसरा अध्याय

निर्वाचक होने के अनधिकारी

—○—○—○—○—

किन्हें मताधिकार नहीं मिलना चाहिये ? — दिछले धर्माय में हम यह बता चुके हैं कि निर्वाचक संघ किस किस प्रकार के होते हैं और किस किस प्रकार के होने चाहिये । अब हम यह विचार करते हैं कि निर्वाचक होने, अर्थात्, मत देने का अधिकार किन किन व्यक्तियों को नहीं मिलना चाहिये । कुछ पाठक सोचते होंगे कि यह अधिकार सभी को मिलना चाहिये, परन्तु तनिक विचार करने पर वे समझ जायगे कि राष्ट्र के अपरिपक्ष या विकृत अंगों को मताधिकार मिलना उचित नहीं है । इसी विचार से इन्हत प्रजातन्त्र राज्यों ने भी बालकों (प्राय अठारह वीस वर्ष से कम आयु वालों) को तथा पागलों को यह अधिकार नहीं दिया जाता । कारण, उनमें नागरिक प्रदनों पर विचार करके देश हितार्थ उचित मत देने की योग्यता नहीं होती ।

कैदियों का कैद रहना ही इस घात का प्रमाण माना जाता है कि उन्होंने राज्य के नियमों का उल्लंघन किया है । इस लिये

उन्हें कुछ समय के लिये मताधिकार से घर्षित कर दिया जाता है।

विदेशियों या अ-नागरिकों को भी प्राय किसी देश में मताधिकार नहीं मिलता, क्योंकि इनकी अपने देश से लो सहानुभूति होती है, वह दूसरे राष्ट्र से होनी दुर्लभ है। इसी विचार से एक प्रान्त, जिले या नगर में बहुधा दूसरे प्रान्त, जिले या नगर के निवासियों को मताधिकार नहीं दिया जाता। परन्तु कुछ समय निवास करने तथा कुछ नियमों का पालन करने पर उन्हें यह अधिकार देदिया जाता है।

उपर्युक्त व्यक्तियों को छोड़ कर और कोई व्यक्ति निर्वाचक होने का अधिकारी नहीं माना जाना चाहिए। प्रभ हम यह धतलाते हैं कि सुधार कानूनों के अनुमार भारतवर्ष में व्यवस्थापक संस्थाओं तथा म्यूनिसिपलिटियों और जिला-घोड़ों के लिये कौन कौन व्यक्ति निर्वाचक नहीं हो सकते।

व्यवस्थापक संस्थाओं के लिये—राज्य परिषद, भारतीय व्यवस्थापक सभा और प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषदों के लिये नीचे लिखे व्यक्ति निर्वाचक नहीं हो सकते —

१—जो ब्रिटिश प्रजा न हों।

[भारत सरकार तथा प्रान्तीय सरकारें नियम बनाकर

फिसी देशी नरेश अथवा उसकी प्रजा को कुछ शर्तों के अनुसार निर्वाचन अधिकार दे सकती है।]

२—जो स्थी हों।

[व्यवस्थापक सम्भालों को यह अधिकार दिया गया है कि वे प्रस्ताव पास करके स्थियों को निर्वाचन अधिकार दे सकती है। मदरास, बन्वई, बगाल, विहार-उटीसा, सयुक्त प्रान्त और आमास की व्यवस्थापक परिषदों ने स्थियों को यह अधिकार दे दिया है, वर्षा में यह अधिकार पहले से ही, तियमों के अनुसार मिला हुआ है।]

३—जो किसी न्यायालय द्वारा पागल ठहराये गये हों।

४—जो इक्सीस वर्ष से कम आयु के हों।

[बमा में अठागह वर्ष या इस से अधिक आयु के व्यक्ति निवाचक हो सकते हैं]

५—जो व्यक्ति गत पाच वर्षों में भारतीय डड विधान की ९ अ अध्याय के अनुसार किसी ऐसे अपराध के दोषी ठहराये गये हों, जिसके लिये छ मास से अधिक का दउ दिया जा सके।

[यदि भारत नरकार या प्रान्तीय सरकारें चाहें तो ऐसे दोषी व्यक्तियों को पाच दउ के भीतर भी निर्वाचन अधिकार दे सकती है।]

६—जो गत पांच वर्षों के भीतर निर्वाचन के समय में रिद्वत देने, अनुचित प्रभाव डालने, झूठे नाम से काम करने (Personation), झूठा वयान प्रकाशित करने, निर्धारित द्रव्य से अधिक खर्च करने, निर्वाचन व्यय के सम्बन्ध का हिसाब न देने, या झूठा हिसाब देने का, निर्वाचन-कमिशनरों द्वारा, अपराधी ठहराए गए हों।

[भारत सरकार या प्रान्तीय सरकारें चाह तो ऐसे व्यक्तियों को पांच वर्षों के अन्दर ही निर्वाचन अधिकार दे सकती हैं।]

७—जो गत तीन वर्षों के अन्दर निर्वाचन-कमिशनरों द्वारा ऐसे निर्वाचन-अपराध * का अपराधी ठहराया गया हो जो ऊपर नं० ६ में नहीं घटाये गये हैं।

[भारत सरकार या प्रान्तीय सरकारें ऐसे दोषी व्यक्तियों को तीन वर्षों के अन्दर ही निर्वाचन अधिकार दे सकती हैं।]

नोट—उपर्युक्त व्यक्ति निर्वाचन सूची में अपना नाम दर्ज नहीं करा सकते और यदि भूल से उनका नाम दर्ज होजाय

* ये अपराध नीचे लिखे अनुसार है, रिद्वत लेना, किसी मत-दाता को सवारी खर्च देना, निर्वाचन के लिये किराये की सवारी लेना, शराब वी टुकानों को किराये पर लेना, या ऐसी ऐसी सूचना-प्रकाशित करना जिसमें मुद्रक और प्रकाशक का नाम न दिया हो।

तो निर्वाचित समय के अन्दर निकाला जा सकता है। किसी व्यक्ति का नाम किसी व्यवस्थापक संस्था के दो साधारण निर्वाचक संघों में पक्क साथ दर्ज नहीं किया जा सकता।

युक्त प्रान्त की मुनिसिपैलिटियों और ज़िला-बोर्डों के लिये—युक्त प्रान्त की मुनिसिपैलिटियों और ज़िला-बोर्डों के चुनाव के लिये नोचे लिये व्यक्ति निर्वाचक नहीं हो सकते—

१—जो २१ वर्ष से कम आयु के हों।

२—जो ब्रिटिश प्रजा न हों।

३—जो किसी न्यायालय द्वारा पागल ठहराये गये हों।

४—जो ऐसे दिवालिये हों जो घरी न हुए हों, अर्थात्, जिनका पूरा भुगतान न हुआ हो।

५—जो भारतीय दंड विधान के अनुसार छ मास से अधिक की कैद, या वैश निकाले का दंड पाये हों, या जिन्हें फौजदारी अदालत से निर्वाचित अपराध का दोषी ठहराया गया हो, या जिनको नेक चलनी की जमानत देने की आशा हुई हो परन्तु जिनका यह दण्ड क्षमा न किया गया हो, या आशा घापिस न ली गयी हो।

[यदि प्रान्तीय सरकार चाहे तो ऐसे दोषी

व्यक्तियों को किसी समय निर्वाचन अधिकार दे सकती है]

६—जिन्हें कोई कर, या पानी आदि का टैक्स, या महसूल देना बाकी है ।

नोट १—ज़िला-बोर्डों के लिये ऐसे व्यक्ति भी निर्वाचक नहीं हो सकते जो गत पांच वर्षों में भारतीय दंड विधान के १-अ अध्याय के अनुसार किसी ऐसे अपराध के लिये दोषी ठहराये गये हों, जिसके लिये उ. मास से अधिक का दंड दिया जासके ।

[यदि प्रान्तीय सरकार चाहें तो पात्र वर्ष के अन्दर भी ऐसे दोषी व्यक्तियों को निर्वाचन अधिकार दे सकती है]

नोट २—अन्य प्रान्तों की म्युनिसिपलिटियों और ज़िला-बोर्डों के चुनाव के लिये भी प्राय ऐसे ही व्यक्ति अनधिकारी माने गये हैं, जैसे युक्त प्रान्त की म्युनिसिपलिटियों और ज़िला बोर्डों के लिये हम ऊपर अनधिकारी बता चुके हैं ।



तीसरा अध्याय

निर्वाचक कौन हो सकता है ?

इस अध्याय में हमें यह बताना है कि भिन्न भिन्न व्यवस्थाएँ तथा मुनिसिंप्लिटियों और जिला-घोड़ों के लिये कौन कौन व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं। पहिले राज्य परिपद को लेते हैं।

राज्य परिपद के लिये—राज्य परिपद के निर्वाचक संघ के लिये वे ही व्यक्ति निर्वाचक सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं—

१—जो निर्वाचन क्षेत्र की सीमा के अन्दर रहने वाले हों, * और

* इस का अभिप्राय यह है कि—

(क) वह साधारणतया उस निर्वाचन क्षेत्र की सीमा में रहता हो।

या (ख) उसमें वसका, या उसके कुटुम्ब के रहने का कोई मकान हो, जिसमें वह खुद भी जाकर रहता हो।

या (ग) उसमें उसके कुटुम्ब के रहने का मकान हो, जो उसके नौकरों के जिस्मे हो और जिसमें वह स्थित भी कभी कभी जाकर रहता हो।

यसमें है कि इसी व्यक्ति के दो मकान दो पृथक्

[व्यक्तियों को किसी समय निर्वाचन अधिकार दे सकती है]

६—जिन्हें कोई फर, या पानी आदि का टैक्स, या महसूल देना चाही है।

नोट १—ज़िला-घोड़ों के लिये ऐसे व्यक्ति भी निर्वाचक नहीं हो सकते जो गत पांच वर्षों में भारतीय दंड विधान के १-अ अध्याय के अनुसार किसी ऐसे अपराध के लिये दोषी ठहराये गये हों, जिसके लिये छ मास से अधिक का दंड दिया जासके।

[यदि प्रान्तीय सरकार चाहेतो पात्र वर्ष के अन्दर भी ऐसे दोषी व्यक्तियों को निर्वाचन अधिकार दे सकती है]

नोट २—अन्य प्रान्तों की म्युनिसिपैलिटियों और ज़िला-घोड़ों के चुनाव के लिये भी प्राय ऐसे ही व्यक्ति अनधिकारी माने गये हैं, जैसे युक्त प्रान्त की म्युनिसिपैलिटियों और ज़िला-घोड़ों के लिये हम ऊपर अनधिकारी घोषे हैं।

तीर्त्थ अव्याय निर्वाचक कौन हो सकता है ?

इस वाच्याय में हमें यह दर्शन है कि निष्ठा विकास स्थापन सम्यामों तथा न्युनिटिव्स के लिए निर्वाचक किये कौन कौन व्यक्ति नियांचल हो सकते हैं। इसके उपरिध प्रो छेन हैं।

राज्य परिषद् के लिये यह विकास है कि निष्ठा विकास सम के लिये वे ही व्यक्ति नियांचल योग्य हो सकते हैं ताकि करा सकते हैं —
१—ये नियांचल लेख की संज्ञा के सम्मान में हों, * सौर

* यह का वर्णन नहीं है।

- (१) वह नियांचल उन नियांचल विकास की संज्ञा के सम्मान में होना चाहिए।
- (२) वह नियांचल विकास के गति के लिये विकास की संज्ञा के सम्मान में होना चाहिए।
- (३) वह नियांचल विकास के गति के लिये विकास की संज्ञा के सम्मान में होना चाहिए।

२-(क) जिनके अधिकार में निर्धारित मूल्य की जमीन हो,

[युक्त प्रान्त में ऐसे व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं जो ऐसी जमीन के मालिक हों, जिसकी वार्षिक भालगुजारी पाच हजार रु० या अधिक हो। मध्य प्रान्त में ऐसे व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं जो ऐसी जमीन के मालिक हो जिसकी वार्षिक भालगुजारी तीन हजार रु० या अधिक हो।]

या (ख)-जो निर्धारित आय पर आय-कर देते हों,

[युक्त प्रान्त में केम से कम दस हजार रुपये की वार्षिक आय पर और मध्य प्रान्त में बीस हजार रुपये या इस से अधिक की वार्षिक आयपर आय-कर देने वाले व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं।]

या (ग)-जो किसी व्यवस्थापक संस्था के सदस्य हों, या रहे हों,

या (घ)-जो किसी स्थानीय स्वराज्य संस्था के निर्धारित पदाधिकारी हों, या रहे हों,

[युक्त प्रान्त में जो व्यक्ति मुनिरिपैलिटी या जिला

पृथक् निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं में हों, और वह कभी एक और कभी दूसरे में रहता हो। ऐसी दशा में वह व्यक्ति, निर्वाचित सूची में नाम दर्ज होने के लिये, उपनी इच्छातुसार उक्त दो निर्वाचन क्षेत्रों में से किसी एक का रहने वाला समझा जायगा।

बोर्ड के समाप्ति हों, या रहे हों, और मध्य प्रात में जो व्यक्ति मुनिसिपलिटी या ज़िला-कौमिल के गैर-सरकारी समाप्ति हों, या रहे हों, निर्वाचिक हो सकते हैं]

या (च)-जो व्यक्ति किसी विद्यव विद्यालय की निर्धारित योग्यता प्राप्त हों,

[युक्त प्रान्त और मध्य प्रान्त में, जो व्यक्ति किसी विद्यव विद्यालय की सीनेट या कोर्ट के सदस्य हो, वे निर्वाचिक हो सकते हैं ।]

या (छ)-जो किसी सहकारी बैंक के निर्धारित पदाधिकारी हों,

[युक्त प्रान्त में जो व्यक्ति सहकारी बैंक के गैर-सरकारी समाप्ति या उप-समाप्ति हों, वे निर्वाचिक हो सकते हैं]

या (ज)-जिसे सरकार द्वारा शमशुल-उलमा या मद्दामद्दो पाठ्याय की उपाधि मिली हो ।

नोट १—किसी जाति-गत निर्वाचिक सघ में वे ही व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं जो उसी जाति के हों, जिस जाति का घद निर्वाचिक भंघ है, जैसे मुसलमान निर्वाचिक सघ से मुसलमान, गैर-मुसलमान निर्वाचिक सघ से गैर मुसलमान, तथा सिख निर्वाचिक सघ से सिख ही निर्वाचिक हो सकते हैं, दूसरे व्यक्ति निर्वाचिक नहीं हो सकते ।

नोट २—युक्त प्रान्त में जो 'व्यक्ति' युक्त प्रान्तीय चेन्नै-

आफ-कामसं के सभापति हों, या रहे हों, वे भी राज्य परिषद् के लिये निर्वाचक हो सकते हैं।

भारतीय व्यवस्थापक सभा के लिये—भारतीय व्यवस्थापक सभा के लिये निर्वाचक साधारण निर्वाचक संघ में होते हैं, या विशेष में। पहले साधारण निर्वाचक संघ के निर्वाचिकों का विचार करते हैं।

साधारण निर्वाचक संघ में—भारतीय व्यवस्थापक सभा की साधारण निर्वाचक सूची में वे ही व्यक्ति अपना नाम दर्ज करा सकते हैं—

१—जो निर्वाचक संघ के क्षेत्र की सीमा के अन्दर रहने वाले हों * , और

२ (क)—जो निर्धारित मूल्य या उससे अधिक की जमीन के मालिक हों,

[(अ) युक्त प्रान्त में १५० रु० या अधिक (कुमाऊँ की पहाड़ी पटियों में २५ रु० या अधिक) वार्षिक माल-गुजारी देने वाले व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं। (आ) मध्य प्रान्त में ३०० रु० या अधिक वार्षिक मालगुजारी देने वाले व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं।]

या (ख)—जिनके अधिकार में निर्धारित मूल्य या उससे अधिक की जमीन हो,

* दस्तो पृष्ठ १९ के अन्त का फुट नोट.

[युक्त प्रान्त में १५० रु० वार्षिक लगान वाली जमीन के अधिकारी निर्वाचक हो सकते हैं, परन्तु किसान शिकमी-दर-शिकमी न हो। मध्य प्रान्त में यह नियम है कि रायपुर, विलासपुर, दुग, चादा और चेतुल जिलों में १० रु० या अधिक वार्षिक लगान, भडारा, बालाघाट, निमाड, छिन्दवाहा और सिवनी जिलों में १२० रु० या अधिक वार्षिक लगान, तथा अन्य जिलों में १५० रु० या अधिक वार्षिक लगान देने वाले व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं ।]

या (ग) — जो ऐसे मकान के मालिक हों, या ऐसे मकान में रहते हों, जिसका वार्षिक किराया निर्धारित रकम या उस से अधिक हो,

[युक्त प्रान्त में १८० रु० या अधिक, मध्यप्रान्त के नागपुर और जब्बलपुर शहरों में २४० रु० या अधिक, और अन्य शहरों में १८० रु० या अधिक वार्षिक किराये के मकान के मालिक, या किराये के मकान में रहने वाले व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं ।]

या (घ) — जो ऐसे शहरों में, जहां म्युनिसिपैलिटियों द्वारा हैसियत-कर लिया जाता है, निर्धारित आय या उससे अधिक पर म्युनिसिपैलिटी को हैसियत-कर देते हों,

[युक्त प्रान्त में १००० रु० की वार्षिक आय पर म्युनिसिपैलिटी को हैसियत-कर देने वाले व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं ।]

या (च) — जो भारत सरकार को आय-कर देते हों अर्थात्
जिनकी रूपि की आय के अतिरिक्त अन्य वार्षिक आय
२००० रु० या इससे अधिक हो,

नोट—किसी जाति-गत निर्वाचक संघ से वे ही व्यक्ति निर्वाचक
हो सकते हैं जो उस जाति के हों, जिस जाति का वह
निर्वाचक संघ है।

जमीदारों के विशेष निर्वाचक संघ—युक्त प्रान्त के
जमीदारों के विशेष निर्वाचक संघ में भारतीय व्यवस्थापक
सभा के लिये वे ही व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं जो युक्त
प्रान्त में रहने वाले हों, और जो ऐसी जमीन के मालिक हों,
जिसकी वार्षिक मालगुजारी ५,००० रु० या इस से
अधिक हो।

मध्य प्रान्त के जमीदारों के विशेष निर्वाचक संघ से
भारतीय व्यवस्थापक सभा के लिये वे ही व्यक्ति निर्वाचक हो
सकते हैं जो मध्य प्रान्त में रहने वाले हों, और जिन्हें सरकार द्वारा
पुश्टैनी उपाधि प्राप्त हो, और जो जमीन के मालिक हों, या
जो किसी इस्टेट के मालिक हों, या जो ऐसी जमीन के मालिक
हों जिसकी मालगुजारी ५,००० रु० वार्षिक या इससे अधिक हो।

प्रान्तीय व्यवस्थापक पारिषदों के लिये—मिज़ भिज़
प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषदों के लिये तिर्थचिन्त सम्बन्धी

नियमों में कुछ कुछ मन्त्र भी हैं। स्थानाभाव से इस अध्याय में हम केवल युक्त प्रान्त और मध्य प्रान्त की व्यवस्थापक परिपदों के ही निर्वाचकों की योग्यता के नियम देते हैं।

साधारण निर्वाचक संघ—मध्य प्रान्त और युक्त प्रान्त की व्यवस्थापक परिपदों के साधारण निर्वाचक संघ में ही व्यक्ति निर्वाचक दो सकते हैं.—

१—जो निर्वाचक संघ के क्षेत्र को सीमा के अन्दर रहने वाले हों^१, और

२—(क)जो ऐसे मकान के मालिक हों जिसका घारिक किराया रु६ रु० या उससे अधिक हो,

या (ख)—जो ऐसे शहर में जहा पर म्युनिसिपेलिटी द्वारा हैसियत कर लिया जाता हो, २००) रु० की घारिक आय पर कर देते हों,

या (ग)—जो भारत सरकार को आय-कर देते हों,

या (घ)—जो ऐसी जमीन के मालिक हों जिसका मूल्य निर्धारित रकम या उससे अधिक हो,

युक्त प्रान्त में, कुमाऊँ की पहाड़ी पठियों में जमीन के

सब मालिक तथा अन्य स्थानों में २५ रु० घारिक मालगुजारी

* देखो पृष्ठ १९ के अन्त का फुट नोट

वाली जमीन के मालिक निर्वाचक हो सकते हैं। मध्य प्रान्त में जो व्यक्ति किसी ऐसी इस्टेट या महाल के ठेड़ेदार या मालिक हो, जिसकी वार्षिक मालगुजारी १०० रु० से कम न हो, निर्वाचक हो सकते हैं]

या (च)—जिनके अधिकार में निर्धारित मूल्य या उससे अधिक की जमीन हो,

[यक्त प्रान्त में ३० रु० या अधिक वार्षिक लगान वाली जमीन के अधिकारी निर्वाचक हो सकते हैं, शर्त यह है कि काल्पनिक शिकमी-दर-शिकमी न हो। मध्य प्रान्त में रायपुर विनासपुर, दुग, चादा और बैतुल जिलों में बमसे कम ३०रु० वार्षिक लगान या मालगुजारी, भडारा, बालाघाट, निमाड़ छिदवाड़ा और सिवनी जिलों में ४० रु० वार्षिक लगान या मालगुजारी, और अन्य जिलों में ५० रु० वार्षिक लगान या मालगुजारी देने वाले व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं]

या (छ)—जो भारतीय सेना के पेन्शन पाने वाले या नौकरी छोड़ चुकने वाले अफसर या सिपाही हों,

या (ज)—जो मध्य प्रान्त में किसी महाल या पट्टी के नस्बरदार हों।

नोट—किसी जाति गत निर्वाचक सघ में वे ही व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं, जो उसी जाति के हों, जिस जाति का यह निर्वाचक सघ है।

युक्त प्रान्त के ताल्लुकेदारों के निर्वाचक संघ में—
इस निर्वाचक संघ में वे ही व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं, जो
अपराध की त्रिटिश इन्डिया एसोसियेशन के सदस्य हों।

आगरा के जमींदारों के निर्वाचक संघ में—
इस निर्वाचक संघ में वे ही व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं जो इसके
निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाले हों, और पेसी जमीन के मालिक
हों, जिहकी घारिक मालगुजारी ५००० रु० से कम न हो।

मध्य प्रान्त के जमींदारों के निर्वाचक संघ में—
इस निर्वाचक संघ में वे ही व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं, जो इस के
निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाले हों और जिनको सरकार द्वारा कोई
पुश्टैनी उपाधि प्राप्त हो या जो किसी इस्टेट के मालिक हों या
जो पेसी जमीन के मालिक हों जिसकी घारिक मालगुजारी
३,००० रु० से कम न हो।

युक्तप्रान्त के घाणिज्य और उद्योग निर्वाचक
संघ में—इस संघ में वे ही व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं
—जो अपर इन्डिया चेम्बर-आफ कामसं के सदस्य हों और युक्त
प्रान्त में व्यापार फरते हों, या जो युक्तप्रान्त की चेम्बर-आफ
के सदस्य हों और युक्त प्रान्त में व्यापार फरते हों।

बाली जमीन के मालिक निर्वाचक हो सकते हैं। मध्य प्रान्त में जो व्यक्ति किसी ऐसी इस्टेट या महाल के ठेकेदार या मालिक हो, जिसकी वापिक मालगुजारी १०० रु० से कम हो, निर्वाचक हो सकते हैं]

या (च)—जिनके अधिकार में निर्धारित भूलय या उससे अधिक की जमीन हो,

[यक्ति प्रान्त में ५० रु० या अधिक वार्षिक लगान बाली जमीन के अधिकारी निर्वाचक हो सकते हैं, जारी है कि काश्तवार शिकमी-दर-शिकमी न हों। मध्य प्रान्त रायपुर विलासपुर, दुग, बादा और बैतुल जिलों में कमसे के ३०रु० वार्षिक लगान या मालगुजारी, भडारा, बालापाट, निमा छिदवाडा और सिवनी ज़िलों में ४० रु० वार्षिक लगान मालगुजारी, और अन्य जिलों में ५० रु० वार्षिक लगान मालगुजारी देने वाले व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं]

या (छ)—जो भारतीय सेना के पेनशन पाने वाले या नौकर छोड़ चुकने वाले अफसर या सिपाही हों,

या (ज)—जो मध्य प्रान्त में किसी महाल या पट्टी नम्बरदार हों ।

नोट—किसी जाति गत निर्वाचक संघ में वे ही व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं, जो उसी जाति के हों, जिस जाति वह निर्वाचक संघ है ।

युक्त प्रान्त के ताल्लुकेदारों के निर्वाचक सघ में—
इस निर्वाचक सघ में वे ही व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं, जो
अवध की विद्या इन्डिया एसोसियेशन के सदस्य हों।

आगरा के जमींदारों के निर्वाचक सघ में—
इस निर्वाचक सघ में वे ही व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं जो इसके
निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाले हों, और ऐसी जमीन के मालिक
हों, जिसकी घारिक मालगुजारी ५००० रु० से कम न हो।

मध्य प्रान्त के जमींदारों के निर्वाचक सघ में—
इस निर्वाचक सघ में वे ही व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं, जो इस के
निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाले हों और जिनको सरकार द्वारा कोई
पुढ़तीनी उपाधि प्राप्त हो या जो किसी इस्टेट के मालिक हों या
जो ऐसी जमीन के मालिक हों जिसकी घारिक मालगुजारी
३,००० रु० से कम न हो।

युक्त प्रान्त के वाणिज्य और उद्योग निर्वाचक
संघ में—इस सघ में वे ही व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं
जो अपर इन्डिया चेम्बर-ऑफ कामर्स के सदस्य हों और युक्त
प्रान्त में व्यापार फरते हों, या जो युक्त प्रान्त की चेम्बर-ऑफ-
कामर्स के सदस्य हों और युक्त प्रान्त में व्यापार फरते हों।

मध्य प्रान्त के वाणिज्य और उद्योग निर्वाचक

संघ में—इस निर्वाचक संघ में वे ही व्यक्ति निर्वाचिक हो सकते हैं जो ऐसे कारबाहे के मालिक हों, जो इडयन फैब्रीज-एक्ट सन् ११११ ई० के अनुसार चढ़ाये जा रहे हों, या जिन कारबाहों में दो सौ या इससे अधिक व्यक्ति काम करते हों, या जिन में किसी कम्पनी की २५ हज़ार रु० या इससे अधिक की पूजी लगी हो ।

मध्यप्रान्त के खण्डन निर्वाचक संघ में—इस संघ में वे ही निर्वाचक हो सकते हैं जो मध्यप्रान्त और घटार की माद्दनिग पसोसियेशन के सदस्य हों ।

युक्तप्रान्त के विश्व-विद्यालय निर्वाचक संघ में—इस निर्वाचक संघ में वे ही व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं :—

(अ) जो भारत र्ष्य में रहने वाले हों और प्रयाग विश्व विद्यालय के 'कोट्ट' के सदस्य हों,

या (आ) जो युक्तप्रान्त में रहने वाले हों और प्रयाग विश्व विद्यालय से डाक्टर या मास्टर की उपाधि प्राप्त कर चुके हों या जो सात वर्ष पहिले प्रेज्युएट हो चुके हों ।

मध्यप्रान्त के नागपुर विश्व विद्यालय निर्वाचक

सध में—इस निर्वाचक सध में वे ही व्यक्ति निर्वाचिक हो सकते हैं, जो मध्यप्रान्त या घरार में रहने वाले हैं।

और(अ)—नागपुर विश्व विद्यालय से सात वर्ष पहिले ब्रेजुएट हुए हों,

या(आ)—जो नागपुर विश्व विद्यालय के स्थापित होने के पहिले मध्य प्रान्त के किसी कालिज से सात वर्ष पहिले ब्रेजुएट हुए हों,

या (इ)—जो मध्य प्रान्त के किसी कालिज से, कलकत्ता विश्व विद्यालय से सात वर्ष पहिले ब्रेजुएट हुए हों

या (ई)—जो नागपुर विश्व विद्यालय के 'फेलो' हों,

या (ड)—जो प्रथाग विश्व विद्यालय के 'फेलो' हों और जिनकी नियुक्ति नागपुर विश्व विद्यालय के स्थापित होने के पहिले हुई हो,

या (ज)—जो कलकत्ता विश्व विद्यालय के 'फेलो' हों और जिनकी नियुक्ति मध्य प्रान्त का, प्रथाग विश्व विद्यालय से सम्बन्ध होने के पहिले हुई हो।

स्युनिसिपैलिटियों के लिये—भिन्न भिन्न प्रान्तों में स्युनिसिपैलिटियों के निर्वाचन सम्बन्धी नियमों में कुछ कुछ पृथक्ता है। प्रत्येक प्रान्त की 'स्युनिसिपैलिटियों' के निर्वाचन

संघ में—इस निर्वाचक संघ में वे ही व्यक्ति निर्वाचिक हो सकते हैं जो ऐसे कारखाने के मालिक हों, जो इंडयन फैब्रीज एक्ट सन् १९११ ई० के अनुमार चलाये जा रहे हों, या जिन कारखानों में दो सौ या इससे अधिक व्यक्ति काम करते हों, या जिन में किसी कम्पनी की २५ हजार रु० या इससे अधिक की पूजी लगी हो ।

मध्यप्रान्त के खण्डिज निर्वाचक संघ में—इस संघ में वे ही निर्वाचक हो सकते हैं जो मध्यप्रान्त और बदार की मार्गिनिंग एसोसियेशन के सदस्य हों ।

युक्तप्रान्त के विश्व-विद्यालय निर्वाचक संघ में—
इस निर्वाचक संघ में वे ही व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं ।—

(अ) जो भारतवर्ष में रहने वाले हों, और प्रयाग विश्व विद्यालय के 'कोर्ट' के सदस्य हों,

या (आ) जो युक्तप्रान्त में रहने वाले हों और प्रयाग विश्व विद्यालय से डाक्टर या मास्टर की उपाधि प्राप्त कर चुके हों या जो सात वर्ष पीछे, मेस्ट्रेट द्वारा चुके हों ।

मध्यप्रान्त के नागपुर विश्व विद्यालय निर्वाचक

सघ में—इस निर्वाचक सघ में वे ही व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं, जो मध्यप्रान्त या घरार में रहने वाले हों।

ओर(अ)—नागपुर विश्व विद्यालय से सात घर्ष पहिले ब्रेजुएट हुए हों,

या(आ)—जो नागपुर विश्व विद्यालय के स्थापित होने के पहिले मध्य प्रान्त के किसी कालिज से सात घर्ष पहिले ब्रेजुएट हुए हों,

या (इ)—जो मध्य प्रान्त के किसी कालिज से, कलकत्ता विश्व विद्यालय से सात घर्ष पहिले ब्रेजुएट हुए हों

या (ई)—जो नागपुर विश्व विद्यालय के 'फेलो' हों,

या (उ)—जो प्रथाग विश्व विद्यालय के 'फेलो' हों और जिनकी नियुक्ति नागपुर विश्व विद्यालय के स्थापित होने के पहिले हुई हो,

या (ऊ)—जो कलकत्ता विश्व विद्यालय के 'फेलो' हों और जिनकी नियुक्ति मध्य प्रान्त पा, प्रथाग विश्व विद्यालय से सम्बन्ध होने के पहिले हुई हो।

म्युनिसिपैलिटियों के लिये—भिन्न भिन्न प्रान्तों में म्युनिसिपैलिटियों के निर्वाचन सम्बन्धी नियमों में कुछ कुछ पृष्ठक है। प्रत्येक प्रान्त की 'म्युनिसिपैलिटियों' के निर्वाचन

सम्बन्धी (तथा अन्य) साधारण नियम कानून द्वारा निर्धारित हैं। म्युनिसिपैलिटियों को यह अधिकार है कि उन साधारण नियमों के अन्तर्गत, अपने अपने क्षेत्र के लिये कुछ व्यारेवार नियमों के प्रस्ताव प्रान्तीय सरकार को भेज सकती हैं। प्रान्तीय सरकार की स्वीकृति मिल जाने पर ये व्यारेवार नियम प्रचलित हो जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक प्रान्त की सब म्युनिसिपैलिटियों में साधारण नियम समान हैं, पर कुछ व्यारेवार नियमों में स्थानीय परिस्थिति के अनुसार थोड़ी अद्वृत भिजता है। स्थानाभाव के कारण हम यहा युक्त प्रान्त के नियमों का ही उल्लेख करते हैं।

युक्त प्रान्त में किसी म्युनिसिपैलिटी के एक निर्वाचिक सदूची की सूची में वे ही व्यक्ति अपना नाम दर्ज करा सकते हैं:-

१—जो म्युनिसिपैलिटी को निर्धारित या उससे अधिक 'हाउस-टैक्स' (घृह-कर) आदि म्युनिसिपेल कर देते हैं। इस कर में चुगी या महसूल की रकम शामिल नहीं होती,

[भिन्न भिन्न म्युनिसिपैलिटियों में इस म्युनिसिपेल कर की मात्रा पृथक् पृथक् निर्धारित की गयी है, उदाहरणार्थ बलिया म्युनिसिपैलिटी में वार्षिक ४ रु०, फैजावाद में वार्षिक ६ रु० और मसूरी में वार्षिक २४ रु० या इससे अधिक कर देने वाले व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं।]

या २—जो निर्वाचक सूची तैयार होने के निर्धारित दिन तक
म्युनिसिपैलिटी की सीमा में कम से कम घारह भिन्ने
रहे हों।

और (फ)—जो किसी विश्व विद्यालय के ग्रेजुएट हों,

या (ख)—जो भारत सरकार को आय कर (इन्कम टैक्स)
देते हों,

या (ग)—जो म्युनिसिपेल सीमा के अन्दर ऐसे मकान के
मालिक हों जिसका वार्षिक किराया एक निर्धारित
रकम या उससे अधिक हो,

[प्राय कम से कम ३६ ह० वार्षिक किराये वाले
मकान के मालिक निर्वाचक हो सकते हैं ।]

या (घ)—जो म्युनिसिपेल सीमा में, ऐसे मकान में रहते हों
जिसका वार्षिक किराया एक निर्धारित रकम या
उससे अधिक हो,

[प्राय कम से कम ३६ ह० वार्षिक किराये के मकान
में रहने वाले व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं ।]

या (च)—जो ऐसी जमीन के मालिक हों जिसकी मालगुजारी
निर्धारित रकम या उससे अधिक हो,

[प्राय २५ ह० या अधिक वार्षिक मालगुजारी देने-
वाले व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं]

सम्बन्धी (तथा अन्य) साधारण नियम कानून द्वारा निर्धारित हैं। म्युनिसिपैलिटियों को यह अधिकार है कि उन साधारण नियमों के अन्तर्गत, अपने अपने क्षेत्र के लिये कुछ व्यारेवार नियमों के प्रस्ताव प्रान्तीय सरकार को भेज सकती हैं। प्रान्तीय सरकार की स्वीकृति मिल जाने पर ये व्यारेवार नियम प्रचलित हो जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक प्रान्त की सब म्युनिसिपैलिटियों में साधारण नियम समान हैं, पर कुछ व्यारेवार नियमों में स्थानीय परिस्थिति के अनुसार थोड़ी बहुत भिन्नता है। स्थानाभाव के कारण हम यहां युक्त प्रान्त के नियमों का ही उल्लेख करते हैं।

युक्त प्रान्त में किसी म्युनिसिपैलिटी के एक निर्वाचक संघ की सूची में वे ही व्यक्ति अपना नाम दर्ज करा सकते हैं:-

१—जो म्युनिसिपैलिटी को निर्धारित या उससे अधिक 'हाउस-टैक्स' (गृह-कर) आदि म्युनिसिपेल कर देते हैं। इस कर में चुगी या महसूल की रकम शामिल नहीं दोती,

[भिन्न गिन म्युनिसिपैलिटियों में इस म्युनिसिपेल कर की मात्रा पृथक् पृथक् निर्धारित की गयी है, उदाहरणार्थ बलिया म्युनिसिपैलिटी में वार्षिक ४ रु०, फैजाबाद में वार्षिक ६ रु० और मसूरी में वार्षिक २४ रु० या इससे अधिक दर देने वाले व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं।]

या २—जो निर्धारित सूची तैयार द्वाने के निर्धारित दिन तक म्युनिसिपैलिटी की सीमा में कम से कम वारह महिने रहे हों।

और (फ)—जो किसी विश्व विद्यालय के अंतर्गत हों,

या (य)—जो भारत सरकार को आय कर (इन्कम टैक्स) देते हों,

या (ग)—जो म्युनिसिपेल सीमा के अन्दर ऐसे मकान के मालिक हों जिसका वार्षिक किराया एक निर्धारित रकम या उससे अधिक हो,

[प्राय कम से कम ३६ रु० वार्षिक किराये वाले मकान के मालिक निर्वाचिक हो सकते हैं।]

या (घ)—जो म्युनिसिपेल सीमा में, ऐसे मकान में रहते हों जिसका वार्षिक किराया एक निर्धारित रकम या उससे अधिक हो,

[प्राय कम से कम ३६ रु० वार्षिक किराये के मकान में रहने वाले व्यक्ति निर्वाचिक हो सकते हैं।]

या (च)—जो ऐसी जमीन के मालिक हों जिसकी मालगुजारी निर्धारित रकम या उससे अधिक हो,

[प्राय २५ रु० या अधिक वार्षिक व्यक्ति निर्वाचिक हो सकते हैं]

या (छ)—जो ऐसी जमीन के मालिक हों जिसकी मालगुजारी माफ हो, परन्तु यदि उसकी मालगुजारी देनी पड़ती तो वह निर्धारित रकम या उससे अधिक होती, या जो व्यक्ति कुमाऊ डिवीजन की पहाड़ी पट्टियों में सैकार हों,

[प्राय. २५ रु० या अधिक वार्षिक मालगुजारी वाली नार्की जमीन के मालिक निर्वाचक हो सकते हैं ।]

या (ज)—जो ऐसी जमीन के मौखिक फाइतकार हों जिस का वार्षिक लगान निर्धारित रकम या उससे अधिक हो,

[प्राय २५ रु० या अधिक वार्षिक लगान देने वाले व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं]

या (झ)—जिनकी वार्षिक आय एक निर्धारित रकम या उससे अधिक हो,

[भिन्न भिन्न म्युनिसिपैलिटियों में इस आय की मात्रा पृथक् पृथक् निर्धारित की गयी है । उदाहरणाथ बृन्दाबन में ३६० रु० या अधिक वार्षिक, और फैजावाद में ३०० रु० या अधिक वार्षिक आय वाले हो सकते हैं]

नोट—शास्त्र यह है कि किसी म्युनिसिपैलिटी की किसी विश्वय योग्यता

निवाचक

परिवद के निर्वाचकों की उस विषय सम्बन्धी योग्यता से ऊची न हो सकेगी ।

ज़िला-घोड़ों के लिये—भव्य मिज्ज प्रान्तों में ज़िला-घोड़ों के निर्वाचकों के योग्यता-सम्बन्धी नियमों में कुछ कुछ पृथक्ता है । स्थानाभाव से हम यहा युक्त प्रान्त के ही नियम देते हैं ।

युक्त प्रान्त में ज़िला-घोड़ों के लिये वे ही व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं ।—

१—जो कुमाऊ की पहाड़ी पट्टियों में ज़मीन के मालिक हों और कुछ मालगुजारी देते हों,

या २—जो, कुमाऊ की पहाड़ी पट्टियों को छोड़ कर, युक्त प्रान्त के अन्य स्थानों में, ऐसी ज़मीन के मालिक हों जिसकी धार्यिक मालगुजारी १०) रु० या इससे अधिक हो, या जो सयुक्त परिवार के ऐसे सदस्य हों जो सरकारी कागजों में ऐसी ज़मीन के मालिक दर्ज हों, जिसकी उनके हिस्से की धार्यिक मालगुजारी २५) रु० या इससे अधिक हो,

या ३—जिन काश्तकारों के पास ऐसी ज़मीन हो, जिसका धार्यिक दर्गान २५) रु० या इससे अधिक हो,

या ४—जो काश्तकार ऐसी ज़मीन जोतता हो, जिसका धार्यिक दर्गान ५०) रु० या इससे अधिक हो,

है कि इन्हें व्यवस्थापक संस्थाओं में अपने प्रतिनिधि भेजने के लिये मताधिकार रहे।

साम्पत्तिक योग्यता—‘प्राय’ टेशों में निर्वाचकों के लिये कुछ सम्पत्ति के मालिक होना भी आवश्यक माना जाता है। साम्पत्तिक योग्यता की माप राज्य कर या टैक्स देने से की जाती है। * इस विचार से वे ही व्यक्ति व्यवस्थापक संस्थाओं के लिये अपने प्रतिनिधि चुन सकते हैं जो निर्धारित परिमाण में कर देते हों, इसके विपरीत जो उतना कर या टैक्स नहीं देते उन्हें प्रतिनिधि-निर्वाचन में मताधिकार नहीं होता। ऐसे नियम के होने से बहुत से नागरिक दिमागी योग्यता रखते हुए भी इस अधिकार से बचित रहते हैं। यह बहुत अनुचित है। हमारी समझ से मताधिकार के लिये साम्पत्तिक योग्यता की कसौटी इस अर्थवाद के युग का एक अत्याचार है। जो आदमी देश हित के प्रश्नों पर भली भाँति विचार बरने के योग्य है, उसे केवल निर्धारित सम्पत्ति न रखने के कारण ही, मताधिकार से बचित न किया जाना चाहिये।

* इस की तह में यह भाव है कि सम्पत्ति वालों से शान्ति रखने और नियम पालन की विशेष आशा होती है। इसके प्रतिकूल जो आदमी टैक्स नहीं देते, उन में नये टैक्स लगाने के समय यथेष्ट विवेक रहने की सम्भावना कम है।

यदि साम्पत्तिक योग्यता की शर्त रखी ही जाय तो घह बहुत कम परिमाण में रहनी चाहिये । विशेषतया भारतवर्ष जैसे देशों में, जहाँ जन साधारण बहुत निर्धन है, निर्वाचकों के लिये कुछ विशेष सम्पत्ति की शर्त रखना, मानों बहुत से नागरिकों को इस अधिकार से बचित कर देना है । उदाहरण स्वरूप वर्तमान नियमों के अनुसार ग्रिटिंश भारत की २३ करोड़ जनता में केवल ७५ लाय के लगभग व्यक्ति ही निर्वाचन में मत दे सकते हैं ।

मताधिकार पर देश में विचार—मताधिकार के महत्व-पूर्ण विषय पर देश के भिन्न भिन्न नेताओं ने समय समय पर विचार किया है । स्वराज्य योजनाओं में मताधिकार पर विचार होना आवश्यक ही है । जिन स्वराज्य योजनाओं में इस विषय पर कुछ विशेष विचार प्रकट किये गये हैं उनमें से निम्न लिखित दो मुख्य हैं :-

१—राष्ट्रीय फन्डेशन द्वारा तैयार किया हुआ ' कामन हैंल्थ-आफ-इंडिया ' का मसविदा (Commonwealth of India Bill), यह अंगरेजी प्रतिनिधि सभा (हाउस ऑफ़ कामन्स) में मजदूर दल द्वारा उपस्थित किया जा चुका है ।

२—श्री० घावू भगवानदास जी एम प. काशी, और स्व० देश धन्धु चित्तरङ्गजन दास जी की स्वराज्य योजना । यह श्री० दास स्वराज्य योजना के नाम से प्रसिद्ध है ।

बव हम यह घतलाते हैं कि इन योजनाओं के अनुसार निर्वाचक फौज हो सकेंगे। इससे पाठकों को यह विचार करने का अवसर मिलेगा कि प्रस्तावित योजनाओं में फौज फौज सी बात अच्छी और ग्राह्य है।

कामनैवेलथ-आफ-इंडिया का मसदिदा—इस योजना के अनुसार भारतीय राज्य परिपद का निर्वाचन करने के लिये प्रत्येक प्रान्त के निज लिरिट ब्यक्ति निर्वाचक हो सकेंगे —

(क) जो प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषदों के सदस्य हों, या इन परिषदों अथवा भारतीय व्यवस्थापक सभा के सदस्य रह चुके हों,

या (ख) जो विश्व विद्यालयों के पेसे ब्रेजुएट हों, जिन्हें थी ए पास किये कम से कम सात वर्ष हो गये हों।

इस निर्वाचन के लिये प्रत्येक प्रान्त एक निर्वाचक संघ माना जाना जायगा और सद्यानुसार प्रतिनिवित्व के आवार पर निर्वाचन होगा। उदाहरणवत् यदि एक करोड़ जन संख्या वाले प्रान्त के दो प्रतिनिधि हों, तो पांच करोड़ जन संख्या वाले प्रान्त के दस प्रतिनिधि रहेंगे, पर उनका निर्वाचक संघ एक ही होगा।

भारतीय व्यवस्थापक समा के सदस्यों का निर्वाचन फरने के लिये मिश्न प्रान्तों के २१ वर्ष या इससे अधिक आयु के निम्न लिखित व्यक्ति निर्वाचिक हो सकते —

(फ) - जो व्यक्ति प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषदों के सदस्य हों, या रह चुके हों,

(ख) - जो वी प तक या इस के समान, साधारण या गौथो-गिक, शिक्षा प्राप्त कर चुके हों,

(ग) - जिन्हें मासिक ५० रु० या इससे अधिक आय वधवा भत्ता, जादि मिळता हो,

(घ) - जो ऐसी जमीन के मालिक या अधिकारी हों जिस का वार्षिक लगान ५० रु० या इससे अधिक हो,

(च) - जो ऐसे मकान के मालिक या अधिकारी हों जिस का सालाना किराया ७५ रु० या इससे अधिक हो ।

प्रान्तीय व्यवस्थापक 'परिषदों' के सदस्यों का निर्वाचन करने के लिये २१ वर्ष या इस से अधिक आयु के निम्न लिखित व्यक्ति निर्वाचिक हो सकते —

(क) जो म्हुनिसिसेलिटियों, जिला-योड़ी और व्यवस्थापक समाजों के सदस्य होंगे या रह चुके हों,

- या (ख) जो पेट्रोस या इसके समान साधारण या औद्योगिक शिक्षा प्राप्त कर चुके हों,
- या (ग) जिन्हें मासिक २५ रु० या इस से अधिक आय अथवा भत्ता आदि मिलता हो,
- या (घ) जो ऐसी जमीन के मालिक या अधिकारी हों जिसका धार्यक छगान ३० रु० या इससे अधिक हो,
- या (च) जो ऐसे मकान के मालिक या अधिकारी हों, जिसका सालाना किराया ५० रु० या इससे अधिक हो,
- या (छ) जो मजदूर संघ, व्यापारियों या सौदागरों की सभा अथवा अन्य ऐसी स्थानों के सदस्य हों।

म्युनिसिपलिटियों और जिला-बोर्डों के सदस्यों के निर्वाचन के लिये उनकी सीमा में रहने वाले २१ वर्ष या इससे अधिक आयु के ऐसे व्यक्ति निर्वाचक हो सकेंगे —

(क)-जिन्होंने प्राइमरी शिक्षा प्राप्त की हो,

या (ख)-जिन्ह मासिक १५ रु० या इस से अधिक आय या भत्ता आदि मिलता हो,

या (ग)-जो ऐसी जमीन के मालिक या अधिकारी हों, जिसका धार्यक छगान २० रु० या इससे अधिक हो,

या (ब्र) - जो ऐसे मकान के मालिक या अधिकारी हों जिसका वार्षिक किराया १८ रु० या इससे अधिक हो,

या (च) - जो तालुका-घोर्ड या पंचायत के सदस्य हों, या रह चुके हों ।

[तालुका घोर्ड के सदस्य २१ वर्ष या इससे अधिक वायु के ऐसे व्यक्ति ही सकेंगे, जो प्राइमरी शिक्षा प्राप्त कर चुके हों, या एक वर्ष तक पंचायत के सदस्य रह चुके हों । पंचायत का सदस्य कोई भी निर्वाचक हो सकता है ।]

श्री० दोस स्वराज्य योजना; अप्रत्यक्ष निर्वाचन-
आज कल प्रीयः प्रजा सत्य अपने प्रतिनिधि चुनती है, परन्तु कभी कभी ऐसा भी होता है कि निर्वाचन मीठा न होकर, प्रजा परी किसी प्रतिनिधि-संस्था द्वारा किया जाता है । उदाहरणार्थ भारतवर्ष में वर्तमान सुधारों से पहिले प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषदों के सदस्यों का निर्वाचन म्युनिसिपैल घोर्ड और जिला घोर्डों द्वारा, तथा भारतीय व्यवस्थापक सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषद् के सदस्यों द्वारा होता या ।

श्री० दोस स्वराज्य योजना के अनुसार भारतीय व्यवस्थापक सभा के सदस्यों के निर्वाचन के लिये प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषदों के मदस्य तिर्वाचक हो सकेंगे, प्रान्तीय

ठ्यवस्थापक परिपदों के सदस्यों के निर्वाचन के लिये जिला-पचायतों के सदस्य निर्वाचक हो सकेंगे, और जिला पचायतों के मदस्यों के निर्वाचन के लिये स्थानीय पंचायतों के मदस्य निर्वाचक हो सकेंगे। इस प्रकार यह, मध्य निर्वाचन तो अप्रत्यक्ष ही रहेगा। प्रत्यक्ष निर्वाचन केवल नगरों और ग्रामों की पंचायतों के सदस्यों के लिये ही होगा। और, इन सम्पादनों के लिये वे व्यक्ति निर्वाचक हो सकेंगे जो भारत धर्म में कम से कम सात धर्म रह चुके हों, और जो २५ धर्म या इस से अधिक आयु के हों। *

इस प्रकार के अप्रत्यक्ष निर्वाचन में यह सुभीता है कि प्रजा को थार थार निर्वाचन के इश्ट में अस्त होना नहीं पड़ता, तथा मध्यस्थ सम्पादन के सदस्य साधारण प्रजा की अपेक्षा अधिक योग्य होते हैं और वे विशेष रूप से सोच समझ कर अपने प्रतिनिधि भेज सकते हैं।

परन्तु इस प्रथा में बड़ा भारी दोष यह है कि साधारण निर्वाचक और प्रतिनिधि में कुछ सीधा सम्बन्ध नहीं रहता। फलत जनता उदासीन रहती है और उसे यथेष्ट राजनैतिक शिक्षा नहीं मिलती। जब किसी नागरिक

* जियों के मताधिकार पा सकने के लिये कुम से कम निर्धारित आयु २१ वर्ष की रखी गयी है।

को घड़ी घड़ी सभाओं के लिये भी प्रतिनिधि चुनने होते हैं तो उसे अपने उत्तरदायित्व का विशेष शान होता है, परन्तु वीच में किसी अन्य स्थान के पड़ जाने से यह बात नहीं होने पाती। इस लिये प्रतिनिधियों का सीधा, प्रजा द्वारा, निर्बाचित ही उत्तम है।

पांचवां अध्याय

कोई व्यक्ति निर्वाचक कैसे हो सकता है ?



"I take my stand upon the broad principle that the enfranchisement of capable citizens, be they few or be they many—and if they be many so much the better—is an addition to the strength of the State,"*

W E Gladstone

पिछले अध्यायों में हम यह बता चुके हैं कि भारतवर्ष की भिन्न भिन्न ध्यवस्थाएँ संस्थाओं तथा म्युनिसिपैलिटियों और जिला-घोड़ों के सदस्यों के निर्वाचन के लिये निर्वाचक फौज हो सकता है और किसे होना चाहिये। अब हम यह बतलाते हैं कि वर्तमान नियमों के अनुसार कोई मताधिकारी अपने इस निर्वाचन-अधिकार का किस प्रकार उपयोग कर सकता है।

निर्वाचक सूचि—प्रत्येक निर्वाचक संघ के लिये एक

भावार्थ—मेरा तो मोटा सिद्धान्त यह है कि नागरिकों का मताधिकार, वो है जो नागरिक कम हो या ज्यादह-बे ज्यादह हो तो छोड़ा जाना है—राज्य की शक्ति को बढ़ाने वाला होता है। —ग्लेटस्टन

एक निर्वाचक सूची समय समय पर, साधारणत चुनाव से तीन चार महिने पहिले, तैयार की जाती है। इसके लिये खाम अफसर नियुक्त किये जाते हैं। वे अपने निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर ऐसे व्यक्तियों का नाम जानने का प्रयत्न करते हैं जो उस निर्वाचक सभ के निर्वाचक हो सकते हों और जिन में दूसरे अध्याय में बताई हुई व्योग्यतायें न हों।

म्युनिसिपैलिटियों की निर्वाचक सूची के सम्बन्ध में यह नियम है कि यदि एक म्युनिसिपैलिटी निर्वाचन फार्म फैलिये वाहों (Wards) या हल्कों में विभक्त हो तो प्रत्येक हार्ड की पृथक् पृथक्, एक या अधिक अधिक निर्वाचक सूची या निर्वाचक सूचिया तैयार की जाती हैं। फोर्ड आदमी अपना नाम एक से अधिक निर्वाचक सूची में दर्ज नहीं करा सकता। जिन आदमियों को नाम एक हार्ड की निर्वाचक सूची में दर्ज होता है, वे ही उस हार्ड के उम्मेदवार के लिये अपना सत दे सकते हैं।

जिला-घोड़ों की निर्वाचक सूची के सम्बन्ध में यह नियम है कि फोर्ड व्यक्ति एक ही ज़िले में, एक से अधिक निर्वाचक सूची में अपना नाम दर्ज नहीं करा सकता, चाहे उसे उस ज़िले में एक से अधिक सर्कलों (Circles) या हल्कों में मत-देने की योग्यतायें प्राप्त क्यों न हों। सर्कल या हल्के ज़िले की तहसीलों के बे साग होते हैं, जिनमें निर्वाचन फार्म के लिये

तहसीले विभक्त की जाती हैं। प्रत्येक तहसील में उतने हल्के रखे जाते हैं, जितने सदस्य उस तहसील के साधारण निर्वाचक संघ से निर्वाचित करने होते हैं।

निर्वाचकों के ध्यान देने की बात—प्रायः यह देखा गया है कि भारतीय जनता अपने भताधिकार के महत्व को अच्छी तरह नहीं समझती। अधिकांश पढ़े लिखे व्यक्ति भी यह जानने का प्रयत्न नहीं करते कि उन्हें चर्तमान नियमों के अनुसार किसी व्यवस्थापक संस्था, अथवा म्युनिसिपैलिटी या ज़िला-बोर्ड के निर्वाचन में भताधिकार प्राप्त हो सकता है या नहीं। जो थोड़े बहुत व्यक्ति यह जानते भी हों कि उन्हें निर्वाचन अधिकार प्राप्त हो सकता है, वे निर्वाचक सूची प्रथम बार प्रकाशित होने पर निर्धारित समय के अन्दर यह जानने का प्रयत्न नहीं करते कि उनका नाम निर्वाचक सूची में दर्ज कर लिया गया है, या नहीं। इन प्रकार बहुत से व्यक्ति निर्वाचक की योग्यता रखते हुए भी निर्वाचन के अधिकार से बचित रह जाते हैं, क्यों कि निर्वाचन के समय वे ही मत दे सकते हैं, जिन का नाम निर्वाचक सूची में दर्ज हो। -

हम पाठकों से अनुरोध करते हैं कि यदि वे किसी व्यवस्थापक संस्था, म्युनिसिपैलिटी या ज़िला-बोर्ड के निर्वाचक हो सकते हों, और यदि उनका नाम प्रथम निर्वाचक सूची में दर्ज न किया गया हो तो वे प्रथम निर्वाचक सूची

के प्रकाशित होने से निर्धारित समय के अन्दर, दखास्त देकर अपना नाम निर्वाचक सूची में दर्ज कराले।

सशोधित निर्वाचक सूची—प्रथम निर्वाचक सूची, तैयार होने पर, प्रकाशित की जाती है। यह प्राय अपूर्ण रहती है। यदि किसी ऐसे व्यक्ति का नाम इस सूची में न दर्ज किया गया हो, जिसे निर्वाचन का अधिकार है, तो वह अपना नाम निर्वाचक सूची में, निर्धारित समय के अन्दर, दखास्त देकर दर्ज करा सकता है। यदि किसी ऐसे व्यक्ति का नाम उस सूची में दर्ज होगया है जिसे नियमों के अनुसार उस संघ का निर्वाचन अधिकार प्राप्त न हो, या जिसमें दूसरे अध्याय में वतायी हुई अयोग्यतायें हों, तो ऐसे व्यक्ति का नाम निर्धारित समय के अन्दर दखास्त दिये जाने पर निर्वाचक सूची से निकाला जा सकता है। यह दखास्त वे ही व्यक्ति दे सकते हैं जिनका नाम निर्वाचक सूची में दर्ज हो।

निर्धारित समय के पश्चात सशोधित निर्वाचक सूची प्रकाशित की जाती है, इस में जिन व्यक्तियों के नाम दर्ज होते हैं, वे ही निर्वाचन के समय अपना मत दे सकते हैं। निर्वाचक सूची में प्रत्येक निर्वाचक का नम्बर, नाम, उस के पिता का नाम, और पता रहता है। निर्वाचियों को अपना नम्बर याद रहने से मत देने में सुभीता रहता है।

छट्टा अक्षयकाश

उम्मेदवार कौन हो सकता है ?

"The strength of the modern state lies in its representative system" —

—W E Gladstone.

व्यवस्थापक संस्थाओं के लिये—किसी व्यवस्थापक संस्था के लिये वे ही व्यक्ति उम्मेदवार हो सकते हैं जिनका नाम किसी निर्वाचक सभा की सूची में दर्ज हो, बशर्ते कि —

१—वे खिया न हों,

[व्यवस्थापक संस्थाओं को यह अधिकार दिया गया है कि वे प्रस्ताव पास करके खियों को उम्मेदवार होने का अधिकार दे सकती हैं। अभी तक धर्म के अतिरिक्त और किसी प्रान्त में खियों को उम्मेदवार होने का अधिकार प्राप्त नहीं है।]

* माध्यार्थ—आधुनिक राज्यों की शक्ति का आधार उन्‌की प्रतिविधि प्रणाली है।

—रैडस्टन

या २—वे किसी व्यवस्थापक सदस्य के सदस्य न हों ।

[किसी व्यवस्थापक परिषद का सदस्य भारतीय व्यवस्थापक सभा या राज्य परिषद के लिये उम्मेदवार हो सकता है । भारतीय व्यवस्थापक सभा का सदस्य राज्य परिषद के लिये, और राज्य परिषद का सदस्य भारतीय व्यवस्थापक सभा के लिये उम्मेदवार हो सकता है । परन्तु भारतीय व्यवस्थापक सभा या राज्य परिषद का सदस्य प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषद के लिये उम्मेदवार नहीं हो सकता, और न किसी एक प्रान्त की व्यवस्थापक परिषद का सदस्य किसी दूसरे प्रान्त की व्यवस्थापक परिषद के लिये उम्मेदवार हो सकता है]

या ३—वे ऐसे घकील न हों जो किसी न्यायालय द्वारा बकालत करने के अधिकार से बचित कर दिये गये हों ।

[यदि भारत सरकार या कोई प्रान्तीय सरकार चाहे तो न्यायालय द्वारा बकालत करने के अधिकार से बचित, किसी बकील को उम्मेदवार होने का अधिकार दे सकती है ।]

या ४—वे ऐसे दिवालिये न हों जो घरी न किये गये हों, अर्थात् जिनका पूरा मुगतान न हुआ हो ।

या ५—उनकी आयु २५ वर्ष से कम न हो ।

या ६—वे ऐसे व्यक्ति न हों जिनको किसी फौजदारी अदालत द्वारा एक वर्ष से अधिक दंड, या देश निकोला दिया गया हो ।

[दंड समाप्त होने के पात्र वर्ष बाद ऐसे दोषी व्यक्ति उम्मेदवार हो सकते हैं। यदि भारत सरकार या कोई प्रान्तीय सरकार चाहे तो ऐसे किसी व्यक्ति को पात्र वर्ष के अन्दर भी उम्मेदवार होने का अधिकार दे सकती है।]

या ७—वे सरकारी नौकर न हों।

[सरकारी नौकर उम्मेदवार व्यक्ति को कहते हैं जो सरकारी सिविल या सेना विभाग में पूरे समय (Whole-time) नौकर हो और जिसे सरकार से बेतन या फीस मिलती हो।]

कोई व्यक्ति किस निर्वाचक संघ से उम्मेदवार हो सकता है?—सब व्यवस्थापक संस्थाओं के लिये यह आवश्यक नहीं है कि किसी निर्वाचक संघ से जो उम्मेदवार हो, उसका नाम उसी संघ की निर्वाचक सूचि में दर्ज हो। इस सम्बन्ध में भिन्न भिन्न व्यवस्थापक संस्थाओं के नियमों में कुछ कुछ भिन्नता है। कुछ प्रधान व्यवस्थापक संस्थाओं के इस विषय के नियम हम नीचे देते हैं।—

राज्य परिषद् के लिये, युक्त प्रान्त और मध्य प्रान्त में, साधारण निर्वाचिक संघ से कोई भी व्यक्ति उम्मेदवार हो सकता है, यदि उसका नाम उसी प्रान्त की किसी भी साधारण निर्वाचिक संघ की संशोधित निर्वाचक सूचि में दर्ज हो।

भारतीय व्यवस्थापक सभा के लिये, युक्त प्रान्त और मध्य प्रान्त में, ऐसा कोई व्यक्ति साधारण निर्वाचक संघ से उम्मेदवार हो सकता है जिस का नाम उसी प्रान्त के साधारण निर्वाचक संघ की संशोधित निर्वाचक सूची में दर्ज हो । परन्तु मुसलमान, किसी अन्य जाति-गत (जैसे गैर-मुसलमान, योरोपियन या सिय) निर्वाचक संघ से उम्मेदवार नहीं हो सकता, और न कोई गैर-मुसलमान ही किसी अन्य जाति-गत निर्वाचक संघ से उम्मेदवार हो सकता है ।

युक्त प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषद के लिये, ऐसा कोई व्यक्ति साधारण निर्वाचक संघ से उम्मेदवार हो सकता है जिस का नाम उस प्रान्त के किसी साधारण निर्वाचक संघ की संशोधित निर्वाचक सूची में दर्ज हो ।

मध्य प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषद के लिये ऐसा कोई व्यक्ति साधारण निर्वाचक संघ से उम्मेदवार हो सकता है, जिस का नाम उस प्रान्त 'की किसी भी' साधारण निर्वाचक संघ की निर्वाचक सूची में दर्ज हो और जो उस जिले में, जिस के निर्वाचक संघ से वह उम्मेदवार हो रहा है, कम से कम घर्ष में १८० दिन रहा हो ।

[दंड समाप्त होने के पांच वर्ष बाद ऐसे दोषी व्यक्ति उम्मेदवार हो सकते हैं। यदि भारत सरकार या कोई प्रान्तीय सरकार चाहे तो ऐसे किसी व्यक्ति को पांच वर्ष के अन्दर भी उम्मेदवार होने का अधिकार दे सकती है।]

या ७—वे सरकारी नौकर न हों।

[सरकारी नौकर उम्मेदवार व्यक्ति को कहते हैं जो सरकारी सिविल या सेना विभाग में पूरे समय (Whole-time) नौकर हो और जिसे सरकार से वेतन या फ़ीस मिलती हो।]

कोई व्यक्ति किस निर्वाचिक संघ से उम्मेदवार हो सकता है?—सब व्यवस्थापक संस्थाओं के लिये यह आवश्यक नहीं है कि किसी निर्वाचिक संघ से जो उम्मेदवार हो, उसका नाम उसी संघ की निर्वाचिक सूचि में दर्ज हो। इस सम्बन्ध में भिन्न भिन्न व्यवस्थापक संस्थाओं के नियमों में कुछ कुछ भिन्नता है। कुछ प्रधान व्यवस्थापक संस्थाओं के इस विषय के नियम हम नीचे देते हैं—

राज्य परिषद के लिये, युक्त प्रान्त और मध्य प्रान्त में, साधारण निर्वाचिक संघ से कोई भी व्यक्ति उम्मेदवार हो सकता है, यदि उसका नाम उसी प्रान्त की किसी भी साधारण निर्वाचिक संघ की संशोधित निर्वाचिक सूची में दर्ज हो।

भारतीय व्यवस्थापक सभा के लिये, युक्त प्रान्त और मध्य प्रान्त में, ऐसा कोई व्यक्ति साधारण निर्वाचक संघ से उम्मेदवार हो सकता है जिस का नाम उसी प्रान्त के साधारण निर्वाचक संघ की सशोधित निर्वाचक सूची में दर्ज हो । परन्तु मुसलमान, किसी अन्य जाति-गत (जैसे गैर-मुसलमान, योरोपियन या सिख) निर्वाचक संघ से उम्मेदवार नहीं हो सकता, और न कोई गैर-मुसलमान ही किसी अन्य जाति-गत निर्वाचक संघ से उम्मेदवार हो सकता है ।

युक्त प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषद के लिये, ऐसा कोई व्यक्ति साधारण निर्वाचक संघ से उम्मेदवार हो सकता है जिस का नाम उस प्रान्त के किसी साधारण निर्वाचक संघ की सशोधित निर्वाचक सूची में दर्ज हो ।

मध्य प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषद के लिये ऐसा कोई व्यक्ति साधारण निर्वाचक संघ से उम्मेदवार हो सकता है, जिस का नाम उस प्रान्त की किसी भी साधारण निर्वाचक संघ की निर्वाचक सूची में दर्ज हो और जो उस ज़िले में, जिस के निर्वाचक संघ से वह उम्मेदवार हो रहा है, कम से कम वर्ष में १८० दिन रहा हो ।

मुसलमान, गैर-मुसलमान निर्वाचक संघ से उम्मेदवार

नहीं हो सकता, और न गैर-मुसलमान, मुसलमान निर्वाचक संघ से उम्मेदवार हो सकता है।

युक्त प्रान्त की म्युनिसिपैलिटियों के लिये—
युक्त प्रान्त की म्युनिसिपैलिटियों के लिये वे व्यक्ति उम्मेदवार हो सकते हैं, जिनका नाम निर्वाचक सूची में दर्ज हो, धर्शतेकि

१—वे सरकारी नौकरी से वर्खास्त किये जाकर, उसके लिये अयोग्य न ठहरा दिये गये हों,

[यदि प्रान्तीय सरकार चाहे तो नौकरी से वसूलत किये हुए किसी व्यक्ति को उम्मेदवार होने का अधिकार दे सकती है।]

या २—वे ऐसे वकील न हों जो किसी न्यायालय द्वारा वकालत करने के अधिकार से वंचित फर दिये गये हों,

[यदि प्रान्तीय सरकार चाहे तो न्यायालयद्वारा वकालत करने के अधिकार से वंचित, किसी वकील को उम्मेदवार होने का अधिकार दे सकती है।]

या ३—वे म्युनिसिपलिटी के नौकर या डेसेदार आदि न हों।

या ४—वे म्युनिसिपेल निर्वाचन के समय किसी निर्वाचन सम्बन्धी अपराध के दोषी न ठहराये गये हों,

[दोपी ठहराये जाने के पांच बर्षे बाद ऐसे व्यक्ति
उम्मेदवार हो सकते हैं ।]

या ५—वे अपने अधिकार के दुरुपयोग के कारण सरकार
ठारा किसी म्युनिसिपलिटी की सदस्यता (मेस्टरी) से
पृथक् न कर दिये गये हों,

[पृथक् किये जाने के तीन बर्षे बाद ऐसे व्यक्ति
उम्मेदवार हो सकते हैं ।]

या ६—वे वेतन पाने वाले मेजिस्ट्रेट या पुलिस अफसर न हों,
या ७—वे अगरेज़ी भाषा या अपने प्रान्त की कम से कम पक
देशी भाषा लिख पढ़ न सकने हों,

युक्त प्रान्त के जिला-बोर्डों के लिये—युक्त प्रान्त के
किसी ज़िला-बोर्ड के निर्वाचिक सघ से वे ही व्यक्ति उम्मेद-
वार हो सकते हैं जिन फा नाम सशोधित निर्वाचिक सूची में
दर्ज हो, यश्वर्ते कि —

१—वे सरकारी नौकरी से घर्जास्त किये जाकर, उसके
लिये अयोग्य न ठहरा दिये गये हों,

[यदि प्रान्तीय सरकार चाहे तो तेमे घर्जास्त किये हुए
व्यक्ति को उम्मेदवार होने का अधिकार दे सकती है ।]

या २—ऐसे घकील न हों जो किसी न्यायालय ठारा यकालर
फरने के अधिकार से धंचित कर दिये गये हों,

[यदि प्रान्तीय सरकार चाहे तो न्यायालय द्वारा वक्ता लत के अधिकार से बचित, किसी वकील को उम्मेदवार होने का अधिकार दे सकती है ।]

या ३-वे ज़िला-घोड़े के नौकर या ठेकेदार आदि न हों,

या ४-वे ज़िला घोड़े के निर्वाचन के समय किसी निर्वाचित सम्बन्धी अपराध के दोषी न ठहराये गये हों,

[दोषी ठहराये जाने के पाच वर्ष बाद ऐसे व्यक्ति उम्मेदवार हो सकते हैं । यदि प्रान्तीय सरकार चाहे तो ऐसे दोषी व्यक्ति को पाच वर्ष के अन्दर भी उम्मेदवार होने का अधिकार दे सकती है ।]

या ५—वे अपने अधिकार के दुरुपयोग के कारण सरकार द्वारा किसी ज़िला-घोड़े की सदस्यता से, पृथक् न कर दिये गये हों,

[जब तक प्रान्तीय सरकार ऐसे व्यक्ति को उम्मेदवार होने का अधिकार न दे, वह व्यक्ति उम्मेदवार न हो सकेगा ।]

या ६—वे सरकारी नौकर न हों,

या ७—वे प्रत्यक्ष अथवा गौण रूप से, पूर्णतया या अशत् ज़िला-घोड़े के किसी ठेके के काम में भाग न लेते हों,

या ८—वे ऐसे व्यक्ति न हों, जो अंगरेजी, हिन्दी या उर्दू लिख पढ़ न सकते हों,

[यदि छिवीजून का कमिशनर चाहे तो अपने व्यक्ति को भी उम्मेदवार होने का अधिकार दे सकता है ।]

गोट—युक्त प्रान्त में म्युनिसिपलिटियों और जिला-बोर्डों के निर्वाचक सघ से कोई व्यक्ति उम्मेदवार हो सकता है, यदि उसका नाम उस शहर या ज़िले की किसी भी निर्वाचक सूची में दर्ज हो । उदाहरणार्थ यदि लखनऊ में किसी व्यक्ति का नाम गणेशगांज घार्ड की निर्वाचक सूची में दर्ज हो, और यदि उसमें उम्मेदवार होने की कोई अयोग्यता न हो तो वह लखनऊ शहर के किसी भी निर्वाचक सघ से उम्मेदवार हो सकता है

रक्षात्मक अध्याय

उम्मेदवार किसे होना चाहिये ?

“उत्तरदायी शासन की सफलता, प्रतिनिधियों की योग्यता पा निंबर है।” —लेखक

उम्मेदवार किसे होना चाहिये ?—निर्वाचकों की भाँति किसी व्यवस्थापक संस्था अथवा म्युनिसिपलिटी या जिला-बोर्ड के लिये उम्मेदवार भी यथा सभ्यता नागरिक और गैर-सरकारी व्यक्ति ही होने चाहिये। विदेशियों (अ-नागरिकों) तथा सरकारी आदमियों से प्राय जनता की उत्तरी हिंतपिता की आशा नहीं की जा सकती।

कुछ देशों में उम्मेदवार के पास कुछ सम्पत्ति होना, भी आवश्यक समझा जाता है। इसके पक्ष में यह कहा जाता है कि निज की सम्पत्ति होने से उन्हें आर्थिक घातों का अधिक ज्ञान, तथा स्वार्थधरा देश रक्षा की अधिक चिन्ता रहेगी। परन्तु इस कथन में कुछ सार नहीं। बहुवा अपने परिव्राम से जीवन संश्राम की कठिन दशों की सामना करने वालों में,

धनिकों की अपेक्षा अनुभव और ज्ञान विशेष पाया जाता है। रही, देश रक्षा आदि की बात, सो धनिकों ने ही उसका पटा नहीं लिया लिया है, साधारण ऐणी के आदमी भी ऐसे ही, तथा उनसे भी अधिक, देश प्रेमी हो सकते हैं।

खियों को प्रतिनिधि बनाने की व्यवस्था असी घटुत कम है। भारतवर्ष में अब इस विषय की प्रधान कानूनी रुकावट इ गयी है। आशा है इस सम्बन्ध में क्रमशः अधिकारिक, इदारता से काम लिया जायगा।

विशेष रूप से ध्यात देने की बात यह है कि उम्मेदवार निर्धारित आयु से अधिक के, घटुत ही गम्भीर, धोग्य और अनुभवी होने के अतिरिक्त, ऐसे व्यक्ति हीं जो लोभ रहित, और निसस्वार्थ भाव से काम कर सकें। अब हम पाठकों के चारा ई पहले यह बताते हैं कि कामनवैल्य-आफ-इंडिया के मस्तिष्क में इस विषय के क्या क्या नियम रखे गये हैं।

कामनवैल्य-आफ-इंडिया के मस्तिष्क के अनुसार—राज्य परिपद के लिये, वे व्यक्ति, उम्मेदवार हो सकेंगे जो भारतीय व्यवस्थापक समा के सदस्य हो सकते हीं, तथा तीस वर्ष से कम आयु के न हों।

भारतीय व्यवस्थापक समा के लिये, वे व्यक्ति उम्मेदवार

हो सकेंगे जो पच्चीस वर्ष से कम आयु के न हों और जिनमें
निम्न लिखित कोई एक योग्यता हो —

१—श्री प. तक शिक्षा-प्राप्त होना, अथवा हाई स्कूल
परीक्षा के बाद ड्रेनिंग का डिप्लोमा पाना, या इसके
समान साधारण या औद्योगिक शिक्षा प्राप्त
कर लेना ।

या २—प्रान्तीय व्यवस्थापक परिपद के एक साल सदस्य
रहना ।

या ३—चेम्बर-आफ-कामर्स, जमीन्दार पेसोसियेशन, आदि
संस्था के सदस्य होना ।

प्रान्तीय व्यवस्थापक परिपदों के लिये, वे व्यक्ति उम्मेदवार
हो सकेंगे जो पच्चीस वर्ष से कम आयु के न हों तथा जिनमें
निम्न लिखित कोई एक योग्यता हो —

१—हाईस्कूल परीक्षा अथवा उसके समान साधारण या
औद्योगिक शिक्षा पाना,

या २—जिला-बोर्ड या म्युनिसिपेल बोर्ड के तीन साल सदस्य
रहना,

या ३—चेम्बर-आफ-कामर्स, जमीन्दार पेसोसियेशन आदि
संस्था के सदस्य होना ।

जिला-घोर्डे या म्युनिसिपैल घोर्डे के लिये, वे व्यक्ति उम्मेदवार हो सकेंगे जो पचास वर्ष से कम आयु के न हों, और जिनमें निम्नलिखित फोर्ड एक योग्यता हो —

१-मिडल हास तक की शिक्षा पाना,
या २-ग्राम पंचायत या नगर पंचायत के तीन साल तक सदस्य रह चुकना ।

श्री० दास योजना के अनुसार—भव श्री० दास योजना के नियमों पर विचार करते हैं। इसके अनुसार भारतीय, प्रान्तीय, ज़िले की, नगर की, या ग्राम की पंचायतों के सदस्य देश के स्थायी निवासी ही होंगे। इनमें जाति, वर्म, रंग आदि का लिहाज न किया जायगा। ये चालीस वर्ष से कम आयु के न होंगे। वे ही व्यक्ति सदस्य हो सकेंगे जिन्होंने किसी क्षेत्र में जनता के हित का कुछ उत्तम कार्य किया हो। ग्राम निवासी व्यक्ति भी, शिक्षित होने की दशा में ही सदस्य हो सकेंगे, नगर निवासियों में शिक्षा समन्वयी अधिक योग्यता की आवश्यकता होगी। भारतीय या प्रान्तीय पंचायतों के सदस्य घनते घालों में विशेष योग्यता और अनुभव की आवश्यकता होगी।

इस योजना के अनुसार वे ही व्यक्ति सदस्य हो सकेंगे

जिनमें सासारिक प्रतिस्पर्शी या रूपये कमाने की वासना न हो, जो अपनी व्यवस्था के रूपये पर निर्वाहि करने वाले हों, या जिनको अपने मित्रों या कुटुम्बियों द्वारा अपनी सव आवश्यकताओं की पूर्ति की आदा हो, और जो सव समय राष्ट्रीय कार्य कर सकें, सो भी अवैतनिक। *

यह योजना भारतीय सम्यता और संस्कृति के बहुत अनुकूल है। अत पर्यवधि इसे आवश्यक उपनियमों सहित कानून का स्वरूप मिलजाय तो व्यवस्था कार्य (और उसके परिणाम-कार्य, शासन कार्य) बहुत उच्चम रीति से होने लगे। हम चाहते हैं कि देशोद्धार प्रेमी राजनीतिश इस पर भली, माति चिचार करें। इस योजना में दर्शायी हुई सिद्धान्त की मुख्य मुख्य बातें मानने में किसी चिचार शील पाठक को आपत्ति न होगी। पर्यवधि इसके व्यवहार में कुछ कठिनाइया उपस्थित हों तो वे 'क्रमशः' अनुभव के पश्चात दूर की जा सकेंगी।

* इस योजना में यह व्यवस्था की गयी है कि भिन्न, भिन्न प्रचारकों के सदस्यों वा पद, वैतनिक कार्य कर्ताओं के पद से कौन बाना जाय। —

अकाठबाँ अध्याय

कोई व्यक्ति उम्मेदवार कैसे हो सकता है ?

पिछले दो अध्यायों में हम यह बतला चुके हैं कि उम्मेदवार कौन हो सकता है, तथा किसे होना चाहिये। अब इस अध्याय में हम यह बतलाते हैं कि किसी व्यक्ति को उम्मेदवार होने के लिये, वर्तमान नियमों के अनुसार, क्या कार्य करना चाहिये।

व्यवस्थापक संस्थाओं के लिये उम्मेदवारी का प्रस्ताव—पंच—व्यवस्थापक संस्थाओं के चुनाव के पहिले प्रान्तीय सरकार एक विश्वसित निकाल कर निर्धाय करती है, कि अमुक दिन तक कोई निर्धाचिक किसी व्यक्ति के उम्मेदवार होने का प्रस्ताव, एक निर्धारित फार्म पर लिख फर दे सकता है। इस प्रस्ताव का एक अन्य निर्धाचिक ढारा समर्थन होना आवश्यक है। जो व्यक्ति उम्मेदवार होना चाहता है, उसकी लिखित अनुमति भी उसमें रक्तनी चाहिये। जिस फार्म पर यह प्रस्ताव किया जाता है, उसे वड़ी सावधानी से भरा जाना चाहिये। उस में बुद्धि गलती होने पर घद, नामज्ञदग्नि-

अफसर अर्थात् नोमीनेशन आफिसर (Nomination Office) द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है।

जो व्यक्ति उम्मेदवार होना चाहें, उन्हें चाहिये कि प्रस्ताव-पत्र की एक ही फार्म भर कर सतुष्ट न रहें, वरन् भिन्न भिन्न निर्वाचकों द्वारा भरे हुए कई फार्म भिजवाएँ, जिससे कुछ फार्म अस्वीकृत होने पर भी कम से कम एक तो स्वीकृत हो सके। स्मरण रहे कि एक ही व्यक्ति कई निर्वाचक संघों से भी उम्मेदवार हो सकता है।

उम्मेदवारी के प्रस्ताव-पत्र नामजदगी-अफसर द्वारा, एक निर्धारित दिन के भ्यारह बजे से तीन बजे तक, लिये जाते हैं। जो प्रस्ताव-पत्र अतिम निर्धारित दिन के तीन बजे से पहिले नहीं दिये जाते, वे अस्वीकृत कर दिये जाते हैं। इस लिये उम्मेदवार होने वालों को ये प्रस्ताव-पत्र उक्त समय से पूर्व ही भिजवादेने की पूरी व्यधस्थ्या कर देनी चाहिये।

उम्मेदवार का एजेट-उम्मेदवार को यह लियित सूचना देनी होती है कि वह किसे अपना निर्वाचन-एजेंट नियत करता है, या वह स्वयं ही एजेंट के काम को करना स्वीकार करता है। *

* मुनिसिपैलिटियों के उम्मेदवार प्राय एक रूपये का स्टाम्प लिपाख, अपनी ओर से एक एजेंट नियत कर सकते हैं।

निज्ञ लिपित व्यक्ति निर्वाचन एजेंट नहीं हो सकते।—

१-जो भारतीय दड विधान के १-अ अध्याय के अनुसार किसी ऐसे अपराध में इदित किये गये हैं, जिसका दड छ मास से अधिक हो,

या २-जो किसी निर्वाचन सम्बन्धी अपराध के लिये दोरी ठहराये गये हों,

या ३-जिन्होंने किसी व्यवस्थापक सम्प्रयोग का उम्मेदवार होकर, निर्वाचन खर्च का झूठा हिसाब दिया हो, अथवा हिसाब न दिया हो ।

[दोरी ठहराये जाने के पांच वर्ष नाद ये व्यक्ति निर्वाचन एजेंट बनाये जा सकते हैं ।]

उम्मेदवार की ज़ेमानत—जो व्यक्ति किसी निर्वाचक संघ से खड़ा होना चाहता है, उसे राज्य परिषद् और भारतीय व्यवस्थापक सभा के लिये ५०० रु०, तथा प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषदों के लिये २५० रु० जमानत के रूप में, निर्वाचित समय के अन्दर जमा करने होते हैं । यदि वह ऐसा न करे तो उसके उम्मेदवारी के प्रस्ताव-पत्र पर कुछ विचार नहीं किया जाता, वह अस्वीकार कर दिया जाता है ।

प्रान्तीय सरकार उम्मेदवारी के प्रस्ताव-पत्रों की जांच करने के लिये पक्ष दिन निश्चय करती है और इन दिन की

सच्चना उम्मेदवार होने वाले व्यक्तियों को ढी जाती है ॥ यदि कोई व्यक्ति चाहें तो इस जाच के दिन के बाद दूसरे दिन, तीन बजे तक अपनी उम्मेदवारी का प्रस्ताव-पत्र वापिस ले सकता है । इस दशा में उसे जमानत के रूपये वापिस मिल जाते हैं ।

उम्मेदवार होने का घोषणा—एक निर्धारित दिन उम्मेदवार होने वाले व्यक्तियों की उपस्थिति में, उनके प्रस्ताव पत्रों की जांच, नामजदगी अफसर छारा, की जाती है । जिन प्रस्ताव पत्रों में कुछ गलतियाँ पाई जाती हैं, वे अस्वीकार कर दिये जाते हैं, और जिन व्यक्तियों के प्रस्ताव-पत्र ठीक पाये जाते हैं उनके उम्मेदवार होने की घोषणा करदी जाती है ।

म्युनिसिपैलिटियों और ज़िला-बोर्डों के लिये उम्मेदवारी का प्रस्ताव-पत्र—भिन्न भिन्न प्रान्तों के, म्युनिसिपैलिटियों और ज़िला-बोर्डों के उम्मेदवारी के प्रस्ताव-पत्र सम्बन्धी नियमों में कुछ भिन्नता है । हम युक्त प्रान्तीय म्युनिसिपैलिटियों के इस विषय के नियम नीचे देते हैं, ज़िला-बोर्डों के नियम भी प्राय ऐसे ही हैं । इससे पाठकों को मुख्य बातों का ज्ञान हो जायगा ।

जो व्यक्ति—निर्वाचक—उम्मेदवारों में नाम दर्ज कराता चाहता है, उसे एक निर्धारित समय-तक, नामजदगी अफसर को, उम्मेदवारी के पत्रों के लिये दखास्त-दर्ना होती

है। उस दर्खास्त में यह लिखना होता है कि वह किस निर्वाचिक सघ से, और अगर वाँ हों तो किस वाँ से; निवाचित होना चाहता है। दर्खास्त के साथ ५० रु० की जमानत जगा की जाती है।

म्युनिसिपलिटी द्वारा निर्वाचित दिन और समय पर, उक्त दर्खास्त देने वाले व्यक्ति के प्रस्तावक और समर्थक फोर्इ व्यक्ति के दफ्तर में नामजदगी-अफसर के सामने उपस्थित होना चाहिये *। प्रस्तावक को अपने साथ दर्खास्त देने वाला व्यक्ति दाना चाहिये या, उसकी ओर से उम्मेदवार होने की लिखित अनुमति लानी चाहिये। नामजदगी-अफसर प्रस्तावक, समर्थक और उम्मेदवार होने वाले व्यक्ति की शीनारंत के विषय में आवश्यक जाच करता है। यदि उम्मेदवार होने वाले व्यक्ति की लिखित अनुमति हो तो वह उस क प्रामाणिक होने के विषय में भी जाच करता है। यदि उसे सतोष हो जाय कि उम्मेदवार होने वाले व्यक्ति का नाम निर्वाचक सूची में दर्ज है, और वह उम्मेदवार होने में सहमत है, और उस के प्रस्तावक और समर्थक के नाम उस वाँ या अणी की निर्वाचक सूची में दर्ज हैं, जिस से उम्मेदवार होने वाला व्यक्ति उम्मेदवार होना चाहता है, और जमानत नियमानुसार जमा फरादी गयी है, तो वह उम्मेदवारी

* प्रस्तावक और समर्थक दोनों निर्वाचकों में से ही होने चाहिये।

के प्रस्ताव-पत्र की खाने पूरी करता है और उस पर प्रस्तावक, समर्थक, और, यदि उपस्थित हो तो, उम्मेदवार होने वाले व्यक्ति के भी हस्ताक्षर कराते हैं अथवा अंगूठे के निशान लगवा लेता है। तत्पदचात् वह उम्मेदवार होने वाले व्यक्ति के उम्मेदवार होजाने की सूचना दे देता है।

यदि नामजदगी-अफसर पूर्वोक्त विषयों के सम्बन्ध में संतुष्ट न हो तो वह प्रस्ताव-पत्र की खाने पूरी नहीं करता, और, ऐसा न करने के कारणों को वह प्रस्ताव-पत्र के लिये आयी हुई दखास्त पर, सक्षेप में, लिख देता है। ऐसी दशा में, जमा की हुई जमानत घापिस कर दी जाती है।

प्रस्ताव पत्रों के भरे जाने के बाद, यथा शक्ति शीघ्र ही उम्मेदवार होजाने वाले व्यक्तियों को, उनके उम्मेदवार होजाने की सूचना दे दी जाती है और उम्मेदवारों की सूची बनाली जाती है।

कोई व्यक्ति चाहे तो सेफेटरी या निर्वाचन अफसर को लिखित सूचना देकर अपना नाम उम्मेदवारी से हटा सकता है। यदि यह कार्य उम्मेदवारों के प्रस्ताव पत्र भरे जाने की तारीख से दस दिन के भीतर किया जाय, तो जमानत की रकम घापिस करदी जाती है।

नोट १-व्यवस्थापक सम्योज्ञों तथा मुनिसिपलिटियों और

जिला-घोड़ों में जो उम्मेदवार निर्वाचित नहीं होते, यदि उन के लिये, निर्वाचकों के कुल प्राप्त मतों के, आठवें दिसंसे के मतों से कम आवें तो उन की जमानत जब्त हो जाती है।

नोट २-यदि किसी निर्वाचिक संघ के उम्मेदवारों की संख्या उतनी ही हो जितने उसके प्रतिनिधि भेजे जा सकते हैं या जितने प्रतिनिधियों के लिये जगह खाली हो, तो वे सब उम्मेदवार उस निर्वाचिक संघ के निर्वाचित सदस्य, अर्थात् प्रतिनिधि समझे जाते हैं, और उस निर्वाचिक संघ के निर्वाचकों को अपना मत देने की आवश्यकता नहीं रहती।

यदि उम्मेदवारों की संख्या उस निर्वाचिक संघ के नभीष प्रतिनिधियों की संख्या से अधिक हो, तो प्रान्तीय सरकार से निर्धारित किये हुए दिन, निर्वाचन होता है।

क्वाँ अध्याय

उम्मेदवार के कार्य

- पिछले अध्याय में यह घताया जाचुका है कि कोई व्यक्ति उम्मेदवार कैसे हो सकता है। अब हम यह घतलाते हैं कि उम्मेदवार हो जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सफलता के लिये, उम्मेदवार होने के समय से निर्वाचन के समय तक, आँखिक पद्धति के अनुसार, क्या क्या कार्य करने चाहिये।

उम्मेदवार के सब-एजेन्ट, और खर्च का हिसाब-
यदि उम्मेदवार ने उस निर्वाचक सघ की, जहां से वह उम्मेद-
वार हुआ है, निर्वाचक सूची पहिले प्राप्त नहीं की है, तो उसे
वह शीघ्र प्राप्त कर लेनी चाहिये, उसे विश्वास-पात्र और
चोग्य व्यक्तियों को अपने 'सब-एजेन्ट' नियत करने चाहिये।
इन कर्मचारियों की संख्या निर्वाचन क्षेत्र की सीमा, और
निर्वाचन कार्य की गुरुता पर निर्भर है। उम्मेदवार को चाहिये
कि वह अपने कर्मचारियों को इस बात की ताकीद करदे कि
वे उसकी लिखित स्वीकृति के बिना कुछ खर्च न करें, और
जो कुछ खर्च करें उसका पूरा पूरा, रसीद सहित, हिसाब

रहें, तथा उसे वे प्रार्थीर उस (उम्मेदवार) के पास भेजते रहें, और कभी कोई ऐसा खर्च न करें जो निर्वाचन कार्य के लिये गैर-कानूनी माना जाता है।

जिस दिन से उम्मेदवार निर्वाचन के लिये कार्य आरम्भ करे, उसी दिन से उसे निर्वाचन सम्बन्धी व्यय का पूरा पूरा हिसाब रखना चाहिये। पांच रुपये से अधिक के, प्रत्येक, खर्च के लिये रक्षीद छी जानी चाहिये। खर्च करते समय इस प्राप्त का मुद्रव ध्यान रखा जाय कि कोई खर्च गैर-कानूनी तो नहीं हो रहा है।

— गैर-कानूनी खर्च—व्यवस्थापक संस्थाओं, म्युनिसिपलिटियों और जिला—बोर्डों के निर्वाचन कार्य के लिये, निज़ामित कार्यों का खर्च गैर-कानूनी माना जाता है।—

१—मत प्राप्त करने के लिये, या अपने प्रतियोगी किसी उम्मेदवार को मत न देने के लिये, अथवा मत देने में सर्वथा उदासीन रहने के लिये रिश्वत देना, या जल पान या भोजन आदि कराना, या दावत देना,

२—निर्वाचिकों को किराये के तागे या मोटर इत्यादि पर, मत देने के लिये ले जाना या वापिस भेजना,

[उम्मेदवार इस कार्य के लिये अपने निजी तागे, मोटरों

आदि का उपयोग कर सकता है, यह उहौं दूसरों से भी उधार ले सकता है, वशर्त कि वे किराये पर न चलती हो।]

३—ऐसे कमरे का उपयोग करना, या किराये पर लेना जहा
शराब बेची जाती हो,

४—किसी प्रतियोगी उम्मेदवार को अपना नाम उम्मेदवारी
से वापिस लेने के लिये रिशंचत देना,

नोट—व्यवस्थापक संस्थाओं के लिये, भारत सरकार
द्वारा निर्धारित व्यंय से अधिक खर्च करना भी गैर-कानूनी
माना जाता है।

उम्मेदवार का सूचना-पत्र—उम्मेदवार को चाहिये
कि वह एक सूचना पत्र प्रकाशित कराये जिससे यह स्पष्ट
रूप से प्रकट हो कि यदि वह (उम्मेदवार) निर्वाचित
होजाय तो वह प्रतिनिधि की हैसियत से क्या क्या कार्य
करेगा। यह सूचना-पत्र घटुत सावधानी से तैयार किया
जाना चाहिये और इस में वे ही बातें दी जानी चाहियें जो
वह उम्मेदवार कर सके। यदि उम्मेदवार किसी दल (पार्टी)
की ओर से खड़ा हुआ हो तो उसे उस दल द्वारा प्रकाशित
सूचना-पत्र से सहायता लेकर, उस के आधार पर अपना
सूचना-पत्र प्रकाशित करना चाहिये। * यदि आवश्यक हो
तो वह इस सूचना-पत्र के बाद और भी सूचना-पत्र

* निर्वाचन कार्य के लिये जो कुछ छपाया जाए, उस में मुद्रक और
प्रकाशक का नाम अवश्य रहना चाहिये।

प्रकाशित कराये। उसे प्रत्येक सचना-पत्र का, अपने निर्वाचन क्षेत्र में यथोष्ट प्रचार करने का पूरा प्रयत्न करना चाहिये।

आधुनिक पद्धति के अनुसार, उम्मेदवार के कार्य—आधुनिक पद्धति के अनुसार, उम्मेदवार को यह भी चाहिये कि जहाँ तक होसके वह स्वयं निर्वाचिकों के पास जाये और उनके अधिक से अधिक मत प्राप्त करने का प्रयत्न करे। इस कार्य में वह अपने सब एजेंटों से सहायता ले सकता है ॥ १ ॥ उसे अपने निर्वाचन क्षेत्र में सभायें करनी चाहियें और वहां योग्य वयस्कियों द्वारा व्याख्यान दिला कर, आ स्वयं व्याख्यान देकर निर्वाचिकों का मत प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये यदि होसके तो उसे, सभा में आये हुए वयस्कियों को प्रेशन पूछने का अवमर देना चाहिये। इन प्रश्नों पर उत्तर वह घड़ी सावधानी से देवे। उम्मेदवार को समाचार ख्रों में समयोचित लेख भेज कर अथवा भिजवाकर भी अपने साथ से सहायता लेनी चाहिये।

निर्वाचन के दिन उम्मेदवार को विशेष कार्य करना होता है। उसे चाहिये कि उस दिन मत लिये जाने के सब स्थानों

॥ उम्मेदवार को चाहिये 'कि निर्वाचन कार्य में किसी सरकारी दमचारी से बोइ सहायता न हो।'

अर्थात् पोलिंग स्टेशनों (Polling Stations) पर अपने कर्मचारी भेज दें जो मत दाताओं को उनका नम्बर बतायें तथा उन्हें मत देने के स्थान पर ले जाय। उम्मेदवार कुछ कुछ समय सभी पोलिंग स्टेशनों पर रहने का प्रयत्न करे। उसका एक एक सव-एजन्ट तो प्रत्येक मत लेने वाले अफसर के पास उपस्थित रहे और, मत देने के लिये, आने वाले निर्वाचकों की धनाख्त में सहायता दे।

सारांश—आधुनिक पद्धति में, यह आवश्यक है कि उम्मेदवार अपने पक्ष में, प्रचलित कानून का ध्यान रखने हुए निर्वाचकों के अधिक से अधिक मत संग्रह करे। समझ है कि वह अपने प्रतियोगी उम्मेदवार से केवल एक ही मत की कमी के कारण हार जाय। इस लिये जरूरी है कि कोई उम्मेदवार यथा शक्ति अपने एक भी निर्वाचक की ओर से उदासीन न रहे। उसे और उस के कर्मचारियों को अधिक से अधिक निर्वाचकों का मत संग्रह करने के लिये जी तोड़ परिश्रम करना चाहिये।

आन्दोलन की मर्यादा-परन्तु अन्य आन्दोलनों की भाँति निर्वाचन-आन्दोलन भी एक मर्यादा के अन्दर ही रहता उचित है। वह मर्यादा कठापि उल्लंघन न की जानी चाहिये। आज कल कुछ उम्मेदवार अपने घाँई या निवास स्थान अथवा

जाति या धर्म के नाम पर निर्वाचकों से अपील करते हैं, या अपने प्रभाव या शक्ति का घरान करते हैं। उदाहरणवत् एक उम्मेदवार अपनी जाति के मत दाताओं से कहता है, “आशा है कि तुम अपने जाति-प्रेम का परिचय डोगे और मैर आद्यमियों से अपने जाति भाई को दूर दृश्या में अच्छा समझोगे”, दूसरा अपने महाधर्मियों से निवेदन करता है, “हमारा तुम्हारा इष्ट देव एक ही है, यह (दूसरा प्रतियोगी उम्मेदवार) तो नास्तिक या विधर्मी ऐ। उसके पक्ष में मत देना तो महा-पाप है।” कोई कोई जर्मानीदार उम्मेदवार अपने किसानों से कहता है “यवरदार! तुम लोगों में से किसी ने भी दूसरे उम्मेदवार को मत दिया तो, देग लिये जाओगे। मुझसे तो हमेशा ही काम है न?!” कोई-2 उम्मेदवार निर्वाचकों को तरह तरह की सौगन्ध दिलाते हैं और विविध प्रकार के प्रलोभन देते या मनमाना प्रभाव डालते हैं। अनुचित प्रभाव, कानून से घर्जित हैं, “तथापि चालाक उम्मेदवार (तथा उसके चलतेहुए एजन्ट या सब-एजन्ट) इससे परहेज़ नहीं करते,। बहुधा वे निर्भीकता पूर्वक इन छुड़ विचारों की सहायता से अपना काम निकालते रहते हैं और किसी को उनके विरुद्ध थोलने का साहस नहीं होता। यह सब याति त्याज्य हैं। उम्मेदवारों को कोई काम ऐसा न करना चाहिये जिससे जनता म सकुचित भावों वा प्रचार हो, चाहे इससे उनकी निर्वाचन

में विजय की ही सम्भावना क्यों न प्रतीन होती हो ।

भिन्न भिन्न दलों की चालें—परन्तु खेद है कि उनके बल उभमेद्वार व्यक्तिगत रूप से ही अनेक अनुचित कार्य करते हैं, वरन् प्रायः भिन्न भिन्न राजनीतिक दल (तथा उनके समाचार पत्र) निर्वाचन के समय, निर्वाचिकों में तरह तरह की अफवायें उड़ा कर अथवा उन्हें विविध प्रकार से धोखा देकर अपने अपने उभमेद्वाराँ की विजय का प्रयत्न करते हैं। पाश्चात्य देश इस कार्य में, घुटन घड़े चढ़े हैं, उनके विविध दल ऐसी बातों में घड़े प्रबृण हैं ।

उनका अनुकरण भारतवर्ष में भी होने लग गया है । पिछले दिनों यहां दो दल प्रधान थे, लिवरल और स्वराजी । लिवरल ने यह कहना आश्वस्त किया कि “ स्वराजियों की नीति से सरकार को अपनी मनमानी का अवसर मिलता है, वे, चाहें अनिच्छा से ही क्यों न हो, सरकार का थल ढढ़ाते हैं, अत उनको घोट देना नौकरशाही को घोट देने के समान है ” । इसके जवाब में स्वराजियों ने निर्वाचिकों से कहा कि “ लिवरलों के मताधिक्य तथा मतित्व में सैकड़ों नवयुवक मैर-कानूनी कानून से जेल में हुसे गये, अत लिवरल दल को घोट देना और अपने देश के नवयुवकों को जेल में भेजना एक ही बान है ” । दोनों दलों की उपर्युक्त बातों में असत्य तथा मिला-

घट का घटुत अश है, परन्तु संग्राम में विजय पाने की इच्छा रखने वाले पक्ष प्रायः इस बात का गम्भीरता से विचार नहीं करते। प्रत्येक दल दूसरे को नीचा दिखाना और उसे जनता की हृषि में अपमानित करना अपना कर्तव्य समझता है। इस प्रकार वर्तमान निर्वाचन पद्धति में उम्मेदवारों अथवा मिश्न मिश्न दलों का कितना नैतिक पतन होजाता है, यह विचारणीय है।

हमारा आदर्श—व्यवस्थापक संस्थाओं तथा म्युनिसि-पेलिटियों और जिला-बोर्डों के लिये जनता का प्रतिनिविहोना, देश सेवा के विविध साधनों में से एक है। * जो व्यक्ति इस साधन की प्राप्ति में अनुचित उपायों से—चाहे वे कानून से अनुचित न भी समझे जाय—फाम लेते हैं, उनकी सेवा का वास्तविक महत्व घटुत कुछ न ए होजाता है। जो व्यक्ति झूठ सच बोल कर, और तरह तरह की बातें बना कर, प्रतिनिवियतना चाहते हैं, तथा अपने लिये मत संग्रह करने के बास्ते स्वयं अपने गुणों की विश्वसि करते और अपने एजेंट, सब-एजेंट या मित्रादि से अपनी प्रशंसा कराने में सकोच नहीं करते, उनकी गिनती,

* देश की आर्थिक, सामाजिक, साहित्यिक आदि अनेक प्रकार की उभति करने के बहुत से मार्ग हैं। व्यवस्थापक संस्थाओं तथा म्युनिसि-पेलिटियों और जिला-बोर्डों से बाहर रह कर भी बहुत खेदों की जा सकती है और प्रत्येक देश में अनेक यमनों द्वारा की जा रही है।

आज कल चाहे जितने बड़े आदमियों में भी जाय, प्राचीन भारतीय आदर्श के अनुसार उनकी सेवा सात्त्विक और निष्काम नहीं कही जा सकती।

भारतीय आदर्श को ध्यान में रख कर ही, श्री० दाम स्वराज्य योजना में यह व्यवस्था की गयी है कि कोई व्यक्ति न तो स्वयं किसी पचायत का सदर्श्य होने के लिये उन्मेदवार घने और, न अपने पक्ष में मत संग्रह करने के लिये मतदाताओं से मिलता फिरे। यदि निर्वाचक उससे उन्मेदवार होने की प्रार्थना करें तो वह जनता के सामने इस बात में अपना सहमत होना सूचित करदे कि यदि उसका निर्वाचन हो जायगा तो वह इस कार्य-भार को ग्रहण कर लेगा।

हमारी सम्मति में, यदि इस योजना को आवश्यक उप-नियमों सहित कानून का स्पर्श प्राप्त मिले जाय और इसके अनुसार कार्य होने लगे तो निर्वाचन-आन्दोलन बहुत सुधार जाय और इसकी बहुत सी ऐसी खराबियाँ हट जाय, जिनके कारण बहुधा शान्त प्रकृति वाले भले आदमी इससे दूर रहना ही पसंद करते हैं। हम चाहते हैं कि नागरिक इस पर भर्ती भाति विचार तथा तर्क वितर्क करें।

दसवाँ अध्याय

मत किस प्रकार दिये जाते हैं ?

इस अध्याय में हम यह घटलाने का प्रयत्न करेंगे कि निर्वाचन में मत साधारणतया किस प्रकार दिये जाते हैं। पहले हम निर्वाचकों के उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहना आवश्यक समझते हैं।

निर्वाचकों का उत्तरदायित्व—ऐद है कि बहुत से निर्वाचक किसी सम्पन्न या प्रभावशाली व्यक्ति के लोभ अथवा लिहाज़ में आजाते हैं, अथवा तुच्छ साम्राज्यिक विचारों में फैस जाते हैं। इससे ये अपना मत योग्य सज्जनों को नहीं देते और, अयोग्य उम्मेदवार व्यवस्थापक सम्भावना के सदस्य बन जाते हैं। नये नये टैक्स लगते हैं, मन माना खर्च होता है और नागरिकों की उम्मति के यथेष्ट उपाय नहीं किये जाते। इस प्रकार तमाम शासन यत्र विगड़ जाता है। इस के घास्तविक दीयी ये निर्वाचक होते हैं जिन्होंने अपने भताधिकार का दुरुपयोग किया है। इस लिये यह पहुत आवश्यक है कि निर्वाचिक

आज कल चाहे जितने वडे आदमियों में, की जाय, प्राचीन भारतीय आदर्श के अनुसार उनकी सेवा सात्त्विक और निष्फाम नहीं कही जा सकती । ।

भारतीय आदर्श को ध्यान में रख कर ही, श्री० दाम स्वराज्य योजना में यह 'व्यवस्था' की गयी है कि कोई व्यक्ति न तो स्वयं किसी पञ्चायत का सदस्य होने के लिये उम्मेदवार बने और, न अपने पक्ष में मत संग्रह करने के लिये मतदाता भी से मिलता फिरे । यदि निर्वाचक उससे उम्मेदवार होने की प्रार्थना करें तो वह जनता के सामने, इस बात में अपना सहमत होना सूचित करदे कि यदि उसका निर्वाचित होजायगा, तो वह इस कार्य-भार को ग्रहण कर लेगा । ।

हमारी सम्मति में, यदि इस योजना को आवश्यक उप-नियमों सहित कानून का स्वरूप मिल जाय और इसके अनुसार कार्य होने लगे तो निर्वाचन-आन्दोलन बहुत सुधार जाये और इसकी बहुत सी ऐसी खराबियां हट जायें, जिनके कारण बहुधा शान्त प्रकृति घाले भले आदमी इससे दूर रहना ही पसन्द करते हैं । हम चाहते हैं कि नागरिक इस पर भली नाति विचार तथा तर्क वितर्क करें । ।

इचत किया जाता है और प्रत्येक निर्वाचन स्थान के लिये या अधिक मत लेने वाले अफसर की नियुक्ति की जाती। निर्वाचित समय पर, निर्धारित स्थान में मत लेने का कार्य अभी होता है।

जब निर्वाचक मत देने के स्थान पर जाता है, उसका नाम और पूँजी जाता है। आवश्यकता होने पर उम्मेदवार या सके एजेन्ट को, निर्वाचन-अफसर या उसके कर्मचारी के मने, निर्वाचक की शनाई कृती होती है। शिक्षित चाचक को अपने हस्ताक्षर करने, और अशिक्षित को अपने गूठ का निशान लगाने पर एक पर्चा दिया जाता है जिसे निर्वाचन-पत्र या बैलट पेपर (Ballot Paper) कहते हैं। यह पर्चे को देने से पहिले, उम्मेदवार या उसके एजेन्ट के हने पर किसी मन-दाता से निर्वाचन अफसर यह प्रश्न करता है, 'क्या आप वही व्यक्ति हैं जिनका नाम निर्वाचक चौ में देंगे हैं' या 'क्या आप आज इस से पहिले मत दे गये हैं?' यदि मत दाता इन प्रश्नों का उत्तर न दे अथवा पहिले ऐसा को उत्तर 'नहीं' या दूसरे का 'हा' दे, तो उसे निर्वाचन का पर्चा नहीं दिया जायगा। पर्चा देने के बाद निर्वाचन-फसर निर्वाचक को यह घता है कि वह अधिक से चिक कितने मत दे सकता है। # पर्चा लेकर शिक्षित

येक निराचक एक सदस्य के लिये एक मत दे सकता है

अपना कर्तव्य भली पांति पालन करें। साथ ही, वे इस बात का भी निरीक्षण करते रहें कि कहाँ, मत बेचने या खरीदने का पाप कर्म, अथवा निर्वाचन सम्बन्धी कोई अन्य अनियमित कार्रवाई तो नहीं होरही है। यदि ऐसा जान पड़े तो वे अपराधियों को न्यायालय से यथा शक्ति समुचित दंड दिलावें।

मत कैसे आदमी को दिये जाय ?—निर्वाचकों को चाहिये कि वे ऐसे सज्जन को ही मत देकर अपना प्रतिनिधि चुनें जो समुचित रूप से योग्य, अनुभवी तथा उदार और सुखारक हो, निस्वार्य-सेवा, त्याग और फट सहन का उच्च आदर्श रखता हो। उसकी जाति पांति का विचार करना ठीक नहीं। किसी की भीठी या लम्बी वातों का विश्वास न कर चूसके पहिले किये हुए कायों तथा व्यवहार और गोचरण पर विचार करना चाहिये। इस बात को भी ध्यान रहना आवश्यक है कि वह निर्भीक और स्वतंत्र प्रकृति का हो, अधिकारियों के रौब से दबने वाला, खुशामदी तथा उन्हें मान पत्र देने आदि में सार्वजनिक द्रव्य छुटाने वाला न हो।

चुनाव की कार्रवाई—प्रतिनिधियों के चुनाव के लिये समय समय पर, अथवा स्थान-भेद से भिन्न भिन्न पदतियों का प्रयोग हुआ है। आज कल निर्वाचन प्रायः इसे तोह होता है। पहिले सरफार द्वारा निर्वाचन स्थान, तिथि और समय

में के निज लिखित पर्चे खारिज कर दिये जाते हैं, उनके मत नहीं गिने जाते ।

१—जिन पर सरकारी चिन्ह न हो,

२—जिन पर उतने उम्मेदवारों से अधिक के नाम के सामने निशान छगाया गया हो जिनमें प्रतिनिधियों की आवश्यकता हो,

३—जिन पर कोई निशान न छगाया गया हो,

४—जिन से किसी कारण यह स्पष्ट न हो कि किस उम्मेदवार या जिन उम्मेदवारों को, निर्वाचिक मत देना चाहता था, और,

५—जिन पर कोई प्रेसा संकेत हो, जिसमें मत देने वाले का नाम आदि मालूम हो सके ।

निर्वाचिकों को बाहिर्ये कि अपना पर्चा प्रेसी साधानी से मरे कि वह खारिज न हो ।

रग्निन सन्दूकों का उपयोग—पूर्वोक्त पद्धति से पहले

एक मनसो गुम रहता है, परन्तु अशिक्षित निर्धारा ने मालूम हो जाता है। इस दोष को दूर कर

रोका भी उपयोग किया जाता

निर्वाचक एक नियत पकान्त स्थान में जाकर उस पर्वे पर अपने अभीष्ट उम्मेदवार के नाम के सामने निर्दिष्ट चिह्न (+ या X) कर देता है और उस पर्वे को मोड़कर एक सन्दूक में डाल देता है, जो वहाँ इस कान के लिये, विशेष रूप से तैयार करा के रखा होता है। यदि निर्वाचक अशिक्षित या बीमार, अथवा वैकार हाथ वाला हो तो निर्वाचन अफसर उम्मेदवारों तथा उनके प्रजेन्टों की उपस्थिति में, उसके घताये हुए नाम के सामने निशान लगा कर पर्वे को उस सदूक में ढलाया देता है। निधारित समय के पश्चात् सदूक पर मोहर लगा कर उसे बन्द कर दिया जाता है। पीछे यह सदूक निर्वाचन-अफसर, उसके सहायकों, तथा ऐसे उम्मेदवारों या उनके प्रजेन्टों के सामने खोला जाता है, जो वहाँ उपस्थित हों। और, पर्वों को छाट कर गत्येक उम्मेदवार को मिले हुए मत दिने जाते हैं।

सारिं पर्वे—जब निर्वाचन पर्वों का सदूक, मर्तों की गिनती करने के लिये खोला जाता है, तो उस

हरणार्थ यदि किसी निर्वाचक-सर्वे से तीन प्रतिनिधि चुने जाने हैं, और कल्पना करो कि वहाँ से पाच उम्मेदवार खड़े होते हैं, तो एक निर्वाचक इन पांचों व्यक्तियों में किन्हीं तीन सज्जनों के लिये एक एक मत दे सकता है। वह चाहे तो तीन से भी कम (दो या एक) छोटी अपना एक मत दे, परन्तु वह तीन से अधिक को मंत नहीं दे सकता।

शक्तरहर्का अध्याय

निर्वाचन अपराध

यह स्पष्ट ही है कि निर्वाचन कार्य एक प्रकार का युद्ध है। प्रत्येक उम्मेदवार अपने प्रतियोगी उम्मेदवार की अपेक्षा अधिक मत सम्भव करने का प्रयत्न करता है। अनेक घार ऐसा भी देखा गया है कि जो व्यक्ति उम्मेदवार होने के लिये पहिले विशेष इच्छुक न थे, और जिन्होंने दूसरों के बहुत समझाने वृक्षाने पर ही उम्मेदवारी का पर्चा दाखिल किया था, वे निर्वाचन में विजयी होने के लिये पीछे बढ़े जोश से काम करने लगे।

अस्तु, यदुघा यह आरका रहती है कि उम्मेदवार कोई ऐसी अनियमित कार्रवाई न कर गुजरें जिससे निर्वाचन कार्य यहुत दूषित हो जाय। इसे रोकने के लिये प्रत्येक देश म जहा जहा निर्वाचन होता है, कुछ ऐसे नियम बनाये जाते हैं जिनके अनुसार निर्वाचन सम्बन्धी अनियमित कार्य दण्डनीय अपराध माने जाते हैं। यद्यपि उक्त नियमों के धनजाने से अपराधों का सर्वया अमाव नहीं होजाता और कुछ

है। प्रत्येक उम्मेदवार के लिये एक एक रग नियत कर दिया जाता है और उस रग के संदूक पर उसका नाम भी लिख दिया जाता है। जब निर्वाचित-अक्षसर किसी निर्वाचिक को निर्वाचिन-पत्र देता है तो वह उसे यह समझा देता है कि किस उम्मेदवार का क्या रंग है, और उसे कह देता है कि जिस उम्मेदवार के लिये उसे मत देना हो, उसके रंग धाले सन्दूक में वह अपना निर्धाचन-पत्र ढालदे निर्धाचक अपनी इच्छा-तुसार निर्वाचन-पत्र अभीष्ट सन्दूक में ढाल देता है। निर्धाचित् समय के पश्चात् प्रत्येक सन्दूक में ढाले हुए निर्वाचन-पत्रों की सख्त गिनली जाती है।

इस प्रणाली से यह लाभ है कि आशिक्षित निर्वाचक अपना मत निःसकोच, बिना किसी के जाने हुए, दे सकते हैं। उनका भी मत गुप्त रहता है। यदि किसी निर्वाचिक ने अनुचित दबाव में पड़कर किसी विशेष उम्मेदवार को मत देने की प्रतिज्ञा करली हो तो वह उससे सहजही मुक्त हो सकता है।

आधुनिक निर्वाचन पद्धति में भिन्न भिन्न उम्मेदवारों के पक्ष में दिये हुए मतों के गिनने में बड़ी सुविधा रहती है। जिन उम्मेदवारों के लिये अधिक मत आते हैं, उनके निर्वाचित होने की सूचना दी जाती है।

स्थानरहकी अधिकार

निर्वाचन अपराध

यह स्पष्ट ही है कि निर्वाचन कार्य एक प्रकार का युद्ध है। प्रत्येक उम्मेदवार अपने प्रतियोगी उम्मेदवार की अपेक्षा अधिक मत सम्भव करने का प्रयत्न करता है। अनेक घार पेसा भी देता गया है कि जो व्यक्ति उम्मेदवार होने के लिये पहिले विशेष इच्छुक न थे, और जिन्होंने दूसरों के बहुत समझाने बुझाने पर ही उम्मेदवारी का पचां दाखिल किया था, वे निर्वाचन में विजयी होने के लिये पीछे थड़े जोश से काम करने लगे।

अस्तु, बहुधा यह आधिकार रहती है कि उम्मेदवार कोई ऐसी अनियमित कार्रवाई न कर गुज़रें जिससे निर्वाचन कार्य पहुत दूषित हो जाय। इसे रोकने के लिये प्रत्येक देश में जहां जहां निर्वाचन होता है, कुछ ऐसे नियम बनाये जाते हैं जिनके अनुसार निर्वाचन सम्बन्धी अनियमित कार्य ढड़नीय अपराध माने जाते हैं। यद्यपि उक्त नियमों के बनजाने से अपराधों का सर्वथा नमाम नहीं होजाता और कुछ लादभी

अपराध करते हुए भी कानून से साफ घचे रहते हैं, तथापि इसमें सदैह नहीं कि आधश्यक नियम घन जाने से, तथा उनमें समय समय पर देश काल की परिस्थिति के अनुसार, परिवर्तन होते रहने से, परिस्थिति बहुत बिगड़ने नहीं पाती।

व्यवस्थापक संस्थाओं के लिये—भारतवर्ष में व्यवस्थापक संस्थाओं के निर्वाचन के लिये निम्न लियित कार्य अपराध माने जाते हैं—

१—रिक्षावत,

२—भनुचित प्रभाव,

३—झूठे नाम से कार्य कराना (Personation),

४—झूठा वयान प्रकाशित करना,

५—निर्वाचन व्यय का हिसाब न देना, या झूठा हिसाब देना,

६—निर्वाचक को सवारी खर्च देना,

७—किराये की सवारियों को भाड़े पर लेना,

८—शराब की दुकानों को किराये पर लेना,

९—मुद्रक या प्रकाशक के नाम के बिना, कोई सूचना आदि प्रकाशित कराना,

इन में से पहिले पांच घड़े अपराध, और शेष चार उोड़े अपराध माने जाते हैं। अब हम इन अपराधों के सम्बन्ध में पृथक् पृथक् कुछ विशेष विचार करते हैं।

रिशवत्—उम्मेदवार्या उसके पजन्ट स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, किसी व्यक्ति को कोई वस्तु या संपत्ति इस उद्देश्य से है, या देने का वचन है कि वह व्यक्ति निर्वाचन के लिये उम्मेदवार होजाय, या उम्मेदवार न हो, या उम्मेदवारी से बंड जाय, अथवा वह व्यक्ति उसके पक्ष में मत दे, या मन खिलकुल ही न दे तो वह उम्मेदवार या पजन्ट रिशवत् देने का अपराधी माना जाता है। यदि वस्तु या संपत्ति उपर्युक्त कार्य किये जाने के लिये इनाम के तौर पर दिया जाय तो भी वह रिशवत् समझी जाती है।

[निर्वाचन के समय निर्वाचिकों को भोजन कराना, शर्षण या शराब आदि पिलाना, दावत इयादि देना भी रिशवत् समझी जाती है। इस सम्बन्ध में भविष्य में दावत देने का वायदा बरना भी रिशवत् मानी जाती है। परन्तु यदि दावत बिना वायदा किये दी जाय तो रिशवत् नहीं मानी जाती। यदि ज्यमीदार अपने कानूनों को विशेष अधिकार, उनका मत प्राप्त करने के लिये देदे, तो वह भी रिशवत् मानी जाती है।]

जो व्यक्ति रिशवत् का अपराध करता है उसे भारतीय दड़ विधान की १७१-ई घारा के अनुसार एक वर्षतक की सजा,

या जुर्माना, या दोनों दण्ड दिये जा सकते हैं। परन्तु भीड़ कराने, शरवत या शराब पिलाने या दावत देने के अपराध के बल जुर्माना ही हो सकता है। रिशवत देने का दूसरा दण्ड होता है कि अपराधी पाच वर्ष तक अपने निर्वाचन अधिकार वाचित रहेगा, न्यायाधीश न हो सकेगा, किसी ट्रस्ट का इस न हो सकेगा, और यदि वह किसी स्थानीय स्थराज-संस्कार का चुना हुआ प्रतिनिधि हो तो वह अपने अधिकार से वच्छकर दिया जायगा।

अनुचित प्रभाव—जो व्यक्ति किसी उम्मेदवार निर्वाचक या किसी अन्य पेसे मनुष्य को, जिसका उम्मेदवार या निर्वाचक से धनिष्ठ सम्बन्ध हो, किसी तरह का नुकसा पहुँचाने की धमकी दे, या इस प्रकार की धमकी दे कि यह वह उसके कथनानुसार कार्य न करेगा तो वह दैवी कोप या पाप का भागी होगा, तो वह व्यक्ति अनुचित प्रभाव डालने का अपराधी माना जाता है।

जो व्यक्ति अनुचित प्रभाव डालने का अपराधी होता है वह भारतीय दण्ड विधान की १७१-एफ धारा के अनुसार पांच साल तक के लिये कैद या जुर्माने या दोनों दण्ड का भागी होगा।

झूठे नाम से कार्य कराना—यदि कोई उम्मेदघार या

उसका पजेन्ट स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, निर्वाचन-पत्र के लिये, किसी व्यक्ति से अन्य, जीवित या मृत, व्यक्ति के नाम से दर्खास्त दिलाये या, एक व्यक्ति से दो भिन्न भिन्न नामों से दर्खास्त दिलाये तो वह उम्मेदवार या उसका पजेन्ट झूठे नाम से कार्य कराने का अपराधी माना जाता है।

जो व्यक्ति झूठे नाम से कार्य कराने का अपराधी होता है, उसे वही दड़ दिया जाता है, जो अनुचित प्रभाव डालने वाले को दिया जाता है।

झूठा वयान प्रकाशित करना—यदि फोई उम्मेदवार या उसका पजेन्ट स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, किसी अन्य उम्मेदवार के आचरण या व्यवहार के विरुद्ध पेसा वयान प्रकाशित कराये जिसे वह जानता हो कि सच नहीं है और, जिससे उसके प्रतियोगी उम्मेदवार के निर्वाचन में हानि पहुँचने की सम्भावना हो, तो वह उम्मेदवार या उसका पजेन्ट झूठा वयान प्रकाशित करने का अपराधी माना जाता है।

जो व्यक्ति झूठा वयान प्रकाशित करने का अपराधी होता है, उसे भारतीय दड़ विधान की १७१-जी धारा के अनुसार जुमनि का दड़ दिया जा सकता है।

निर्वाचन व्यय का हिसाब न देना या झूठा

हिमाघ देना—निर्वाचन का परिणाम प्रकाशित होने के ३५ दिन के भीतर उम्मेदवार और उनके एजेन्ट को निर्वाचन अफसर के पास अपने निर्वाचन सम्बन्धी व्यय का पूरा हिसाब मेजना चाहिये। इस हिसाब को कोई भी व्यक्ति, एक रूपया फीस देफर देख सकता है। इस हिसाब में निम्न लिखित व्यय घनलाया जाना आवश्यक हैः—

अ—उम्मेदवार का निर्वाचन में सफर सम्बन्धी तथा अन्य निजी व्यक्ति-गत व्यय।

आ—एजेन्ट, सब-एजेन्ट, कुर्क, तथा अन्य कर्मचारियों का घेतने, (प्रत्येक के नाम सहित)।

ई—इस सब कर्मचारियों का सुफर सम्बन्धी व्यय।

ई—अन्य व्यक्तियों का निर्वाचन सम्बन्धी व्यय।

उ—छपाई, विशापन, स्टेशनरी, डाक, तार का व्यय, सभा बोदि के वास्ते लिये हुए मकान का किराया।

ऊ—निर्वाचन सम्बन्धी अन्य विविध व्यय।

[जहा तक हो सके, पांच रुपये से अधिक के प्रत्येक व्यय के लिये रसीद नहीं कराया आवश्यक है। यदि किसी व्यय के लिये रसीद न ली- गयी हो, तो उसका पूरा पूरा व्यौरा देना चाहिये। जिस व्यय का रुपया देना शेष हो, उसकी सूची पृथक् ही जानी चाहिये। यदि उम्मेदवार को किसी

व्यक्ति या मस्था से निर्वाचन के लिये कोई आपिक सहायता मिली हो, तो उसका भी पूरा हिसाब देना चाहिए ।]

यदि कोई उम्मेदवार या एजेन्ट इस हिसाब को निर्धारित समय के अन्दर निर्वाचन अफसर के पास न भेजे, या इन्हें हिसाब भेजे तो वह पाच वर्ष के लिये अपने निर्वाचन अधिकार से बचिन किया जासकता है और यदि वह निर्वाचित होनुका हो तो उसका निर्वाचन रद्द किया जासकता है ।

अब हम निर्वाचन सम्बन्धी छोटे अपराधों का उल्लेख करते हैं । इन अपराधों के अपराधों तीन साल तक निर्वाचन अधिकार से बचित किये जासकते हैं ।

निर्वाचक का सवारी खर्च देना—किसी निर्वाचक को मत देने के लिये आने या जाने का, सवारी खर्च देने के लिये, किसी व्यक्ति को कुछ द्रव्य देना, या देने का घायदा करना, निर्वाचन अपराध माना जाता है ।

किराये की सवारियों को भाड़े पर लेना—किसी ऐसी किश्ती, गाड़ी या जानवर को निर्वाचन कार्य के लिये किराये लेना, या मागना, जो साधारणतया किराये पर चलते हैं, या किराये के लिये रहते हैं, निर्गंचन अपराध माना जाता है ।

[उम्मेदवार अपने मित्र आदि दूसरे व्यक्ति की ऐसी

सवारी माग कर उपयोग कर सकता है, जो किराये पर न चलती हो, परंतु शर्त यह है कि उसके लिये जो खर्च हो, 'जैसे माटर में तेल खर्च होता है, वह सवारी का मालिक ही है। उम्मेदवार अपने एजेंट आदि कर्मचारियों के लिये किराये की सवारियों का प्रबन्ध कर सकता है।]

शराब की दुकानों को किराये लेना—कोई ऐसा मकान, या कमरा या अन्य जगह निर्वाचकों की सभा या कमेटी के लिये किराये लेना या उपयोग करना, जहां सर्वसाधारण को शराब बेची जाती हो, निर्वाचन अपराध माना जाता है।

मुद्रक या प्रकाशक के नाम के बिना, कोई सूचना प्रकाशित कराना—निर्वाचन सम्बन्धी कोई ऐसी सूचना या इश्तहार आदि प्रकाशित कराना, जिस पर मुद्रक या प्रकाशक का नाम न हो, निर्वाचित अपराध माना जाता है।

[उम्मेदवार के एजेंट को चाहिये कि निर्वाचन सम्बन्धी सूचनाये या इश्तहार छपाने का काम, अपने मित्रों या मुला हिंजे वालों से न करा का, ऐसे ही व्यक्तियों द्वारा कराये जिनका पेशा छपाई का काम करना है। उसे यह भी चाहिये कि इस प्रकार की छपाई दे टीक टीक बिल लेकर उन्हें पूरी तरह छुकादे। सब हिसाब ऐसा रहना चाहिये कि उसके विषय में कोई शका न हो सके।]

म्युनिसिपैलिटियों और जिला-बोर्डों के लिये—
अग्र हम यह बतलाते हैं कि युक्त प्रान्तीय म्युनिसिपैलिटियों
और ज़िला-बोर्डों के निर्वाचन में क्या क्या कार्य अपराध मान
जाते हैं। इससे, स्थूल रूप से, भारतवर्ष की अन्य म्युनिसिपै-
लिटियों और ज़िला-बोर्डों के निर्वाचन अपराधों का भी साधा-
रण अनुमान हो सकेगा।

युक्त प्रान्त में म्युनिसिपैलिटियों और जिला-बोर्डों के
निर्वाचन के समय, किसी व्यक्ति के प्रत्यक्ष या गौण रूप से,
खय किये हुए या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कराये हुए निम्न
लिखित कार्य निर्वाचन सम्बन्धी अपराध माने जाते हैं—

- १—धोखे से या जान बूझकर भ्रमोत्पादन, दबाव या धमकी
से, किसी निर्वाचक, को किसी उम्मेदवार के पक्ष में,
मत देने या न देने के लिये प्रेरणा करना,
- २—किसी निर्वाचक को, किसी उम्मेदवार के पक्ष में मत
देने या न देने के लिये, रूपया पैसा, कोई पद या नौकरी
देना, या अन्य मुनाफे की जगह दिलाने का वायदा
करना।

- ३—किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य निर्वाचक के नाम से
मत दिलाना।

उपर्युक्त अपराध करने वाले उम्मेदवार को भद्रालत पाच घंटे तक निर्वाचन अधिकार से बचात् कर सकती है और, यह भी हुक्म दे सकती है कि वह म्युनिसिपैलिटी या ज़िला-बोर्ड की नौकरी में न रखा जाय और न उससे कोई उसका कार्य लिया जाय। यदि, प्रान्तीय सरकार चाहे, तो पाच घण्टे के अन्दर भी, ऐसे दोषी व्यक्ति को निर्वाचन अधिकार दे सकती है।

बारहवाँ अध्याय

निर्वाचन सम्बन्धी दर्खास्तें

पिछले अध्याय में निर्वाचन-अपराधों का वर्णन होचुका है। उन अपराधों के करने वालों का निर्वाचन रद्द कराने, या उन्हें दण्ड दिलाने के लिये, निर्धारित समय के अन्दर, दर्खास्त दी जासकती है। इस अध्याय में हम यह बतलाते हैं कि वह दर्खास्त कब और किसको देनी चाहिये, उसमें किन किन घातों का, उल्लेख रहना चाहिये, तथा उसके सम्बन्ध में अन्य क्या कार्रवाई करनी होती है।

भारतीय व्यवस्थापक संस्थाओं के विषय में—भारतीय व्यवस्थापक संस्थाओं के प्रत्येक उम्मेदवार के निर्वाचन व्यय का हिसाब, निर्वाचन-अफसर के पास भेजे जाने की पात पिछले अध्याय में कही जा चुकी है। निर्वाचन-अफसर इस हिसाब मिलने की सूचना निर्वाचक संघ में करा देता है। जिस दिन निर्वाचन अफसर को निर्वाचित उम्मेदवार का हिसाब मिलता है, उससे १४ दिन के भीतर कोई निर्वाचक

या उम्मेदवार गवर्नर को, किसी निर्वाचित उम्मेदवार का निर्वाचन रद्द कराने की, दखास्त दे सकता है।

यदि सरकार द्वारा इस काम के लिये नियुक्त किसी अफसर को यह पता लगे कि निर्वाचन के समय खूब रिशवत-वाजी हुई, या अनुचित प्रभाव डाला गया तो वह, निर्वाचन-अफसर को उक्त हिसाब मिलने के तीस दिन के अन्दर, गवर्नर को निर्वाचन रद्द करने की दखास्त दे सकता है।

यदि कोई उम्मेदवार या उसका एजेन्ट भारतीय दड़ विधान के अनुसार रिशवत देने, अनुचित प्रभाव डालने, या झूठे नाम से कार्य कराने का दोषी ठहराया गया हो तो दोषी ठहराये जाने दिन से १४ दिन के अन्दर, कोई उम्मेदवार या निर्वाचक गवर्नर को, निर्वाचन रद्द कराने के लिये दखास्त दे सकता है।

अपनी दखास्त के साथ, प्रत्येक दखास्त देनेवाले को १०००) रुपये जमा करने होते हैं। यदि दखास्त, प्रान्तीय सरकार से नियुक्त किसी अफसर द्वारा दी जाय तो इम प्रकार की कोई रकम जमा करने की आवश्यकता नहीं।

प्रत्येक दखास्त में संक्षेप में, वे सब बातें होनी चाहिये जिनके आधार पर दखास्त देने वाला मुकाहमा चलाना चाहता है। उस दखास्त के साथ एक सूची दीजानी चाहिये जिसमें

प्रत्येक पेसे निर्वाचन-अपराध का पूरा व्यंगा हो, जो वह अपने विपक्षी के विरुद्ध साधित करना चाहता है। इस सूची में यह भी यतदाया जाना चाहिये कि वह अपराध किस तारीख को, किस स्थान में हुआ, किसने और किसके विरुद्ध किया, और यदि वह व्यक्ति जिस के विरुद्ध अपराध किया गया, निर्वाचक है तो उसका निर्वाचक नम्बर क्या था।

किसी निर्वाचन को रद्द किये जाने की दर्खस्त नियमित रूप से मिल जाने पर, गवर्नर उसकी जाच के लिये तीन कमिश्नरों का एक कमीशन नियुक्त करता है। यह कमीशन गवर्नर द्वारा निर्दिष्ट किये हुए स्थान पर अपनी जाच का कार्य आरम्भ कर देता है।

कमीशन की जाच में, विपक्षियों को अपने तई निर्दोष साधित करने का यथेष्ट अवसर दिया जाता है, और यदि वे चाहें तो यह भी साधित कर सकते हैं कि दर्खस्त देने वाला व्यक्ति निर्वाचन-अपराध का दोषी है।

यदि कमीशन का यह निर्णय हो कि निर्वाचन के समय कोई यहा निर्वाचन-अपराध किया गया है, या पेसी दृष्टि कार्रवाई की गयी है जिसका चुनाव पर भारी असर पड़ा है, या कोई उम्मेदवारी का प्रस्ताव पत्र, या किसी का निर्वाचन-पत्र अनियमित रूप से ले लिया गया है, या अस्वीकार कर दिया

गया है, या कोई कार्रवाई निर्वाचन-नियमों के अनुसार नहीं हुई और उसका निर्वाचन पर बहुत प्रभाव पहा तो निर्वाचित उम्मेदवार का निर्वाचन रद्द कर दिया जाता है, और निर्वाचन दुबारा किये जाने की आशा दी जाती है, या दर्खास्त देने वाले व्यक्ति को ही निर्वाचित उम्मेदवार समझे जाने की आशा दी जाती है।

म्युनिसिपैलिटियों और ज़िला बोर्डों के विषय में
 अब हम युक्त प्रान्त की म्युनिसिपैलिटियों और ज़िला-बोर्डों की निर्वाचन सम्बन्धी दर्खास्तों के विषय में कुछ मुख्य बातों का उल्लेख करते हैं। इससे पाठकों को अन्य प्रान्तों की म्युनिसिपैलिटियों और ज़िला-बोर्डों की निर्वाचन सम्बन्धी दर्खास्तों के विषय में भी कुछ अनुमान करने का अवसर मिल जायगा।

युक्त प्रान्त में ऐसा उम्मेदवार, जो स्वयं निर्वाचित होने का दावा करता है, या कोई दस निर्वाचिक किसी उम्मेदवार का निर्वाचन रद्द किये जाने की दर्खास्त दे सकते हैं, वशतें कि उनके पास इस बात का सवूत हो कि निर्वाचन के समय कोई निर्वाचन-अपराध हुआ है, या किसी निर्वाचिक का भत गैर कानूनी तीर पर ले लिया गया है, या जो उम्मेदवार चुना गया है वह उम्मेदवार होने का अधिकारी नहीं था।

यह दर्खास्त, निर्वाचन का परिणाम सुनाये जाने के पन्द्रह दिन के अन्दर, दी जानी चाहिये। * म्युनिसिपैलिटी के निर्वाचन सम्बन्धी दर्खास्त कमिशनर को दी जानी चाहिये और ज़िला-बोर्ड सम्बन्धी ज़िला-ज़ज को। प्रत्येक दर्खास्त के साथ पचास रुपये जमा करने होते हैं।

प्रत्येक दर्खास्त में सक्षिप्त रूप से वे सवधांते होनी चाहिये जिन के आधार पर दर्खास्त देने वाला मुकद्दमा चलाना चाहता है। उसमें प्रत्येक ऐसे निर्वाचन अपराध का पूरा व्यौरा होना चाहिये जो वह अपने विपक्षी के विकल्प साखित करना चाहता है। विपक्षी को अपने तर्ह निर्दोष साखित करने का यथेष्ट अवसर दिया जाता है। यदि उक्त दर्खास्त की जांच करने वाली अदालत इस निर्णय पर पहुँचे कि निर्वाचन के समय कोई ऐसा निर्वाचन अपराध किया गया है जिससे निर्वाचन में घड़ा प्रभाव पड़ा तो निर्वाचित उम्मेदवार का निर्वाचन रद्द कर दिया जाता है और नया निर्वाचन किये जाने की आशा दी जाती है, या दर्खास्त देने वाले उम्मेदवार को ही निर्वाचित उम्मेदवार समझे जाने की आशा दी जाती है।

* प्राय म्युनिसिपैलिटियों के निर्वाचन का परिणाम उसी दिन सुना दिया जाता है, जिस दिन मत दिये जाते हैं, और ज़िला-बोर्ड का दो, चार दिन बाद सुनाया जाता है।

निर्वाचन सम्बन्धी दर्खास्तें कम दी जाने पर
विचार—भारतवर्ष में निर्वाचन सम्बन्धी दर्खास्तों बहुत कम दी जाती हैं। इसका एक मुख्य कारण यह है कि घटुधा आदमी एक निर्वाचन अपराध को होता जान लेने या देख लेने पर भी, यह मोचते हैं कि इसे कानूनी दण्डित से साधित करना कठिन होगा, अदालत में बहुत खर्च करना होगा और प्रेशानी उठानी पड़ेगी। इस लिये वे उसके विषय में मुकदमा चलाने या निर्वाचन सम्बन्धी दर्खास्त देने का साहस नहीं कर सकते। भारतवर्ष की न्याय पद्धति में विशेष परिवर्तन हुए विना, उपर्युक्त विषय में यथेष्टु सुधार नहीं हो सकता।

न्यवस्थापक संस्थाओं के निर्वाचन के सम्बन्ध में दर्खास्त देने के साथ १००० रु० जमा करने का नियम इन दर्खास्तों की संख्या कम रहने का दूसरा कारण है। बहुत थोड़े व्यक्ति इतना आर्थिक भार उठाने में समर्थ हैं। इस विषय में तो शीघ्र ही सुधार किया जाकर कम रकम जमा होने का नियम होना चाहिये। तभी इन दर्खास्तों की संख्या कुछ विशेष रूप से घटेगी और अधिक अपराधों को प्रकाश में लाया जासकेगा, और तभी अपराधों की संख्या घटने से निर्वाचन-कार्य अधिक निर्दोष होने में सहायता मिलेगी।

तेरहवाँ अध्याय

निर्वाचन-सुधार

"The honest education of the electorate is a matter of primary importance" *

इस पुस्तक के पिछले अध्यायों में हम यह घता चुके हैं कि सुधार कानून के अनुसार भारतवर्ष की व्यवस्थापक संस्थाओं तथा भूनिसिपैलिटियों और जिला-थोड़ी के लिये निर्वाचन नियम क्या हैं, किन किन प्रभिताओं द्वाले व्यक्ति निर्वाचन के लिये मताधिकारी, दा उम्मेदवार हो सकते हैं, नथा उनके क्या कार्य हैं। हम प्रसंगानुसार इन विषयों की आछोचना करते हुए तत्सम्बन्धी आदशों का भी दिग्दर्शन भी करा आये हैं। इस अध्याय में हम, एक ही स्थान पर इकट्ठे, कुछ मुख्य, मुख्य सुधारों के विषय में विचार करेंगे।

मुख्य मुख्य सुधार-भारतवर्ष में निर्वाचन सम्बन्धी

* "प्रधान आयश्यकता इस बात की है कि निर्वाचकों को दर्शित विकास ही जाय।"

निम्न लिखित सुधारों की विशेष आवश्यकता है—

२—विशेष प्रतिनिधित्व ठीक नहीं।

३—जाति-गत निर्वाचक संघ न रहने चाहिये।

४—उम्मेदवार उच्च आदर्श घाले व्यक्ति हों, और यदि कोई व्यक्ति स्वयं उम्मेदवार रहा न हो तो बहुत उत्तम है।

५—निर्वाचकों को शिक्षित करने का विशेष प्रयत्न होता चाहिये।

६—भारतवर्ष में निर्वाचन अधिकार बहुत कम जनता को है, इसे धटाने की बहुत आवश्यकता है, और जाति-गत दंगे आदि किसी कारण से इसे धटाना तो कदापि उचित नहीं। अब हम इन वातों में से प्रत्येक पर कुछ विचार करते हैं।

विशेष प्रतिनिधित्व ठीक नहीं—भारतवर्ष में ज़मींदारों जैसे कुछ जन-समुदायों तथा विद्यविद्यालय और वाणिज्य सभा जैसी स्थाबों को अपने पृथक् प्रतिनिधि मेजने का विशेष अधिकार है। अब मज़दूरों को यह अधिकार दिये जाने का विचार होरहा है, और उन्हें यह शीघ्र ही मिल जाने की आशा है। परन्तु किसानों के लिये इस विषय का विचार न हो रहा है, और न होने की सम्भावना है। अब विशेष प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त मान लिया गया है तो उन्हें

इससे वचित् क्यों रखा जाता है ? परन्तु जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, हमें इस सिद्धान्त से ही विरोध है ।

पृथक् और जाति-गत निर्वाचक संघ न रहने चाहिये—हम पहले यता आये हैं, कि जाति-गत निर्वाचक संघों की व्यवस्था विशेषतया मुसलमानों की माग के आधार पर हुई है । यदि उन के जाति-गत निर्वाचक संघ न रहें तो सिखों की, अपने जाति-गत निर्वाचक संघ रखने की भी कोई माग नहीं रहती । परन्तु जब भारतवर्ष में रहने वाली जातिया इस ब्रकार अपनी 'पृथक्ता' की घोषणा करती हैं तो सरकार के लिये योरोपियनों के पृथक् निर्वाचक संघ रखने की बात घनी घनायी है । सुनते हैं कि अद्वृतों को विशेष अधिकार देकर सरकार उनके साथ भी कुछ न्याय करने वाली है । स्थूल हिंदू से धात ठीक ही मालूम पड़ती है । जब औरों को विशेष अधिकार हैं तो इन्हें भी क्यों न हो । परन्तु हम तो मूल सिद्धान्त का ही विरोध करते हैं । वास्तव में एक बार जाति-गत निर्वाचक संघों का श्री गणेश कर देने पर फिर उसका कहीं अन्त ही नहीं दिखायी देता । नित्य नयी जाति उप-जातिया इस विषय की अपनी पृथक् पृथक् मांग उपस्थित करती रहती हैं । सरकार का उन्हें सतुष्ट करना अधिकाधिक कठिन होता जाता है । जितना वह एक जाति को सतुष्ट कर

ने का प्रयत्न करती है, उतना ही अन्य जातियों के प्रति अनौचित्य होता है। इससे भरकार की निष्पक्षता जाती रहती है, और फल स्वरूप उसकी नैतिक शक्ति घटती जाती है।

निर्वाचन जैसे नागरिक कार्य में जाति-गत विचार होने से जनता में राजनैतिक असतोष तो घटता ही है। इस के अतिरिक्त, भिन्न जातियों में वैमनस्य फूट और कलह भी घटती जाती है। क्या 'प्रत्येक जाति के बुद्धिमान आदमी मिलकर इस व्यवस्था के विरुद्ध लोक मत तैयार करेंगे' और क्या सरकार राष्ट्र-हित की दृष्टि से विचार करेगी?

उम्मेदवारों के सम्बन्ध में—भिन्न भिन्न व्यवस्थापक संस्थाओं तथा म्युनिसिपैलिटियों और ज़िला-बोर्डों के लिये उम्मेदवार अनुमति, योग्य, निर्भीक, और स्वतन्त्र विचार तथा उच्च आदर्श वाले होने चाहियें, इस विषय में हम यथा स्थान लिख चुके हैं। हम यह भी दर्शा चुके हैं कि आधुनिक परिपाठी के अनुसार उम्मेदवारों को अपनी सफलता के लिये उद्योग करना, निर्वाचकों के मत संग्रह करने के लिये जगह जगह भिक्षुओं की भाँति याचना करते फिरना, हमें अत्यन्त धृणित और नियंत्रित होता है। अच्छा हो, कोई भी व्यक्ति यह कार्य न करे और इस विषय में श्री० दॉ० संवराज्य योजना के अनुसार काम होने लगे। (देखो, अध्याय ९)

निर्वाचिकों को शिक्षित करने का विशेष प्रयत्न

ना चाहिये—इस ओर अभी बहुत कम ध्यान दिया गया। जब निर्वाचन का समय आता है तो जिन व्यक्तियों का मेदावार या उसके एजेन्ट या मित्र आदि होने की हैसियत या किसी अन्य स्थार्थ से, निर्वाचन में घनिष्ठ सम्बन्ध है, वे सूचनायें या लेख छपवाते, भाषण दिलाते, तथा अन्य न्दोलन करते हैं। परन्तु जन सधारण में इस विषय के द्वान्तों के प्रचार के लिये अभी कुछ प्रयत्न नहीं किया गया। इस विषय की जानकारी के लिये पाठकों को सामयिक पत्रिकाओं के कुछ लेखों पर सन्तोष फरना पड़ता है, और इन्द्रिय महत्वपूर्ण ग्रन्थों का प्राय अभाव ही है। * निर्वाचन विषयक शिक्षा का कार्य कुछ व्यक्तियों और स्थायिकों द्वारा ऊपर विशेष रूप से लेना चाहिये, वे घारहों महीने ब्रॉ, भाषणों, ट्रैकटों तथा ग्रन्थों द्वारा इस कार्य को करते हैं। कुछ वर्ष पेसा निरन्तर उद्योग होते रहने से ही, हमारी जनैतिक जागृति यथेष्ट रूप में हो सकेगी।

जनता का निर्वाचन अधिकार बढाना चाहिये—

इम की आशिक पूर्ति के लिये हमने यह क्षुद्र प्रयत्न किया है। यह है राजनीति-प्रेमी सज्जनों की सहातुभूति होगी, और वे इस रचना प्रचार में सहयोग करेंगे। —लेखक

ने का प्रयत्न करती है, उतना ही अन्य जातियों के प्रति अनौचित्य होता है। इससे भरकार की निष्पक्षता जाती रहती है, और फल स्वरूप उसकी नैतिक शक्ति घटती जाती है।

निर्वाचन जैसे नागरिक कार्य में जाति-गत विचार होने से जनता में राजनैतिक असतोष तो घटता ही है। इस के अतिरिक्त, भिन्न जातियों में वैमनस्य फूट और कलह भी घटती जाती है। क्या प्रत्येक जाति के वुद्धिमान आदमी मिलकर इस व्यवस्था के विरुद्ध लोक मत तैयार करेंगे और क्या सरकार राष्ट्र-हित की दृष्टि से विचार करेगी ?

उम्मेदवारों के सम्बन्ध में—भिन्न भिन्न व्यवस्थापक संस्थाओं तथा म्युनिसिपैलिटियों और ज़िला-बोर्डों के लिये उम्मेदवार अनुभवी, योग्य, निर्भीक, और स्वतन्त्र विचार तथा उच्च आदर्श वाले होने चाहियें, इस विषय में हम यथा स्थान लिख चुके हैं। हम यह भी दर्शा चुके हैं कि आधुनिक परिपाठी के अनुसार उम्मेदवारों को अपनी सफलता के लिये उद्योग करना, निर्वाचकों के मत संग्रह करने के लिये जगह जगह भिक्षुकों की भाँति याचना करते फिरना, हमें अत्यन्त धृणित और निश्च प्रतीत होता है। अच्छा हो, कोई भी व्यक्ति यह कार्य न करे और इस विषय में श्री० दास स्वराज्य योजना के अनुसार काम होने लगे। (देखो, अध्याय ९)

ने का प्रयत्न करती है, उतना ही अन्य जातियों के प्रति अनौचित्य होता है। इससे सरकार की निष्पक्षता जाती रहती है, और फल स्वरूप उसकी नैतिक शक्ति घटती जाती है।

निर्वाचन जैसे नागरिक कार्य में जाति-गत विचार होने से जनता में राजनैतिक असतोष तो घटता ही है। इस के अतिरिक्त, भिन्न जातियों में वैमनस्य फूट और कलह भी घटती जाती है। क्या प्रत्येक जाति के दुदिमान आदमी मिलकर इस व्यवस्था के विरुद्ध लोक मत तैयार करेंगे और क्या सरकार राष्ट्र-हित की हथि से विचार करेगी ?

उम्मेदवारों के सम्बन्ध में—भिन्न व्यवस्थापक संस्थाओं तथा म्युनिसिपैलिटियों और ज़िला-बॉर्डों के लिये उम्मेदवार अनुभवी, योग्य, निर्भक, और स्वतंत्र हित तथा उच्च आदर्श वाले होने चाहियें, इस विषय में स्थान लिख चुके हैं। हम यह भी दर्शा चुके हैं के अनुसार उम्मेदवारों को अपनी

निर्वाचकों के मत संग्रह

की भाँति याचना करते

निय प्रतीत होता है।

न करे और इस धियय में

अनुसार काम होने लगे। (वेस्त्रो,

निर्वाचिकों को शिक्षित करने का विशेष प्रयत्न होना चाहिये—इस ओर अभी बहुत कम ध्यान दिया गया है। जब निर्वाचन का समय आता है तो जिन व्यक्तियों का उम्मेदवार या उसके एजेन्ट या मित्र आदि होने की हेसियत से, या किसी अन्य स्वार्थ से, निर्वाचन से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है, वे सूचनायें या लेख छपवाते, भाषण दिलाते, तथा अन्य आन्दोलन करते हैं। परन्तु जन सधारण में इस विषय के सिद्धान्तों के प्रचार के लिये अभी कुछ प्रयत्न नहीं किया गया। इस विषय की जानकारी के लिये पाठकों को सामयिक पत्र पत्रिकाओं के कुछ लेखों पर सन्तोष करना पड़ता है, उल्लेखनीय महत्वपूर्ण ग्रन्थों का प्राय अभाव ही है। निर्वाचन विषयक शिक्षा का कार्य कुछ व्यक्तियों और स्वस्थाओं को अपने ऊपर विशेष रूप से लेना चाहिये, वे वारहों महीने लेखों, भाषणों, ट्रैकटों तथा ग्रन्थों द्वारा इस कार्य को करते रहें। कुछ वर्ष पेसा निरन्तर उद्योग होते रहने से ही, हमारी राजनीतिक जागृति यथेष्ट रूप में हो सकेगी।

जनता का निर्वाचन अधिकार बढ़ाना चाहिये—

इस की आशिक पूर्ति के लिये इमने यह क्षुद्र प्रयत्न किया है। आशा है राजनीति-प्रेमी सज्जनों की सहानुभूति होगी, और वे इस रचना के प्रचार में सहयोग करें। —लेखक

ने का प्रयत्न करती है, उतना ही अन्य जातियों के प्रति अनौचित्य होता है। इससे सरकार की निष्पक्षता जाती रहती है, और फल स्वरूप उसकी नैतिक शक्ति घटती जाती है।

निर्वाचन जैसे नागरिक कार्य में जाति-गत विचार होने से जनता में राजनैतिक असंतोष तो घटता ही है। 'इस के अतिरिक्त, भिन्न जातियों में घैमनस्य फूट और कलह भी घटती जाती है। क्या 'प्रत्येक जाति के बुद्धिमान आदमी मिलकर इस व्यवस्था के विरुद्ध लोक मत तैयार करेंगे और क्या सरकार राष्ट्र-हित की दृष्टि से विचार करेगी ?

उम्मेदवारों के सम्बन्ध में—भिन्न भिन्न व्यवस्थापक स्थावरों तथा म्युनिसिपलिटियों और ज़िला-बोर्डों के लिये उम्मेदवार अनुमती, योग्य, निर्भीक, और स्वतन्त्र विचार तथा उच्च आर्द्धा वाले होने चाहिए, इस विषय में हम यथा स्थान लिख चुके हैं। हम यह भी दर्शा चुके हैं कि आधुनिक परिपाठी के अनुसार उम्मेदवारों को अपनी सफलता के लिये उद्योग करना, निर्वाचकों के मत संग्रह करने के लिये जगह जगह मिलुकों की भागि याचना करते फिरना, हमें अत्यन्त धृणित और निश्च प्रतीत होता है। अच्छा हो, कोई भी व्यक्ति यह कार्य न करे और इस विषय में श्री० दास स्वराज्य योजना के अनुसार काम होने लगे। (देखो, अध्याय ९)

निर्वाचिकों को शिक्षित करने का विशेष प्रयत्न होना चाहिये—इस ओर अभी बहुत कम ध्यान दिया गया है। जब निर्वाचन का समय आता है तो जिन व्यक्तियों का उम्मेदवार या उसके एजेन्ट या मित्र आदि होने की हैसियत जै, या किसी अन्य स्वार्थ से, निर्वाचन में घनिष्ठ सम्बन्ध होता है, वे सूचनायें या लेख छपवाते, भाषण दिलाते, तथा अन्य आनंदोलन करते हैं। परन्तु जन सधारण में इस विषय के सिद्धान्तों के प्रचार के लिये अभी कुछ प्रयत्न नहीं किया गया। इस विषय की जानकारी के लिये पाठकों को सामयिक पत्र पत्रिकाओं के कुछ लेखों पर सन्तोष करना पड़ता है, उल्लेखनीय महत्वपूर्ण ग्रन्थों का प्राय अभाव ही है। * निर्वाचन विषयक शिक्षा का कार्य कुछ व्यक्तियों और स्थायिकों को अपने ऊपर विशेष रूप से लेना चाहिये, वे घारहों महीने लेपों, भाषणों, ट्रेकटों तथा ग्रन्थों द्वारा इस कार्य को करते हैं। कुछ वर्ष ऐसा निरन्तर उद्योग होते रहने से ही, हमारी राजनीतिक जागृति यथोष्ट रूप में हो सकेगी।

जनता का निर्वाचन अधिकार बढाना चाहिये—

इस की आशिक पूर्ति के लिये हमने यह क्षुद्र प्रयत्न किया है। आशा है राजनीति-प्रेमी सज्जनों की यहातुभुति होगी, और वे इस रचना के प्रचार में सहयोग करेंगे। —चेस्क

भारतवर्ष में अभी घुट कम व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त है। ब्रिटिश भारत की चौथी स करोड़ जनता में से कुल मिला कर केवल ७५ लाख ही निर्वाचन में मत दे सकते हैं, जब कि यहाँ उन मनुष्यों की संख्या, जो अपनी उमर या दिमागी हालत के कारण मताधिकार से बचित नहीं रहने चाहिये, सम्मत है करोड़ होगी, और यदि स्थियों को समिलित किया जाय तो इससे भी दुनी संख्या के व्यक्तियों को मताधिकार मिलना चाहिये। *

फिर यहाँ वर्तमान मताधिकार को, किसी भी कारण कम करने की जो बात उठती है, वह कहा तक ठीक है, यह विचारणीय है। कुछ सज्जनों ने जाति-गत दंगों के सम्बन्ध में, यह प्रश्न उठाया है, अत इस पर कुछ विचार करना आवश्यक है।

जाति-गत दंगे, और निर्वाचन—हम यह स्वीकार करते हैं कि जाति-गत दंगों का एक प्रधान कारण कुछ व्यक्तियों की राजनैतिक महत्वाकांक्षा है। अपने इस स्वार्थ को पूर्ति के लिये वे लोगों के मजहबी दुराप्रह को बढ़ी चतुराई

* इगलेंड में, कुल जनता में से लगभग आधे निवासी निर्वाचन में मत दे सकते हैं।

से उमारते रहते हैं। चूंकि ये व्यक्ति वास्तविक ज्ञगढ़ों से दूर रहते हैं, और प्रत्यक्ष में कानून के विरुद्ध कुछ नहीं करते, ये प्राय अधिकारियों द्वारा दफ्तर भी नहीं होते। इस लिये डा० तेजपद्मदुर्जी सहू, और प० मोतीलाल जी नेहरू आदि कुछ सज्जनों का विचार है कि हमें ऐसे आशय फा कानून पास कराना चाहिये कि जिस किसी जिले में जाति-गत ज्ञगड़े हों उसके निवासियों का मताधिकार, तीन वर्ष के लिये छीन लिया जाय।

जाति-गत दंगो को दूर करने के इस उपाय की सफलता तथा न्याय-युक्ति पर हमें विलकुल विश्वास नहीं। जो व्यक्ति गुप्त रूप से मजहबी दुराग्रह बढ़ाते हैं, वे उपर्युक्त प्रस्तावित व्यवस्था होजाने पर भी, यदि व्यवस्थापक सम्प्रयोगों के लिये उम्मेदवार होना चाहेंगे, तो वर्तमान नियमों के अनुसार, दूसरे स्थानों से खड़े हो सकेंगे। फिरउन्हें दड ही क्या मिटा? इस व्यवस्था से दड मिलेगा, उन सहखोंया लाखों नागरिकों को, जिनमें से अधिकाश का सर्वथा निरपराध होना सम्भव है। व्यवस्थापक सम्प्रयोगों में इन बेचारों का कोई प्रतिनिधि न रहेगा और, इन्हें वे नियम मानने होंगे जो सरकार द्वारा नामज्ञद सदस्य बनायेंगे। जब कि भारतवर्ष में अभी घृणा अधिकलोगों को मताधिकार मिलने की भावश्यकता है, किसी नागरिक का प्रत्यक्ष घोर अपराध हुए बिना उसे इस से

वचित करदेना उसके साथ एवं देश के साथ, महान अत्याय करना है।

हमारी सम्मति में जाति-गत शब्दों का मूल कारण पृथक पृथक जाति-गत निर्वाचक संघों की व्यवस्था है। इसे हटाये बिना जाति-गत वैमनस्य और दंगों के अन्त छोड़ने की विशेष आशा नहीं। इस लिये हमें इस देश के शासन सुधार कानून में शीघ्र पेसा परिवर्तन कराना चाहिये कि भविष्य में जाति-गत निर्वाचक सघ बिल्कुल न रहें। यदि हिन्दू मुसल्ल मान आदि जातियों के पृथक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता ही हो तो इन जातियों के प्रतिनिधियों की सद्या निर्धारित कर देना ही पर्याप्त है—जैसा कि इस समय भी निर्धारित की हुई है। निर्दान, निर्वाचक संघ संयुक्त ही रहने चाहिये।

जाति-गत दंगों के अतिरिक्त और भी किसी कारण में जनता का मताधिकार छीनने की कल्पना, प्रजातत्र प्रणाली के भावों की घातक होने से अनुचित है। जनना के मताधिकार को तो बराबर बढ़ाने का ही लक्ष्य रखना चाहिये।

उपसहार-ससार की अन्य अनेक प्रथाओं की माति निर्वाचन प्रणाली भी पूर्ण नहीं कही जा सकती। इस में कुछ गुण हैं तो कुछ दोष भी हैं। जिन देशोंमें जनता यहुत शिक्षित है, तथा उन्नत मानी जाती है, मौर जहा यह प्रणाली यहुत

समय से प्रचलित है, वहा भी निर्वाचन आनंदोलन में बहुत से दोष देगने में आते हैं, फिर भारतवर्ष में यदि इस विषय की कुछ शिकायतें हों तो क्या आश्वर्य है ? यहा पर तो केवल सात फी सदी खी पुरुष ही शिक्षित हैं, और इस प्रणाली को कुछ विशेष रूप से प्रचलित हुए केवल छ सात वर्षे ही हुए हैं। अस्तु, विचारशील सज्जनों का यह कर्तव्य है कि वे प्रत्येक प्रणाली के गुणों की रक्षा तथा वृद्धि करने के लिये, ऐसे सुवार करते रहें जिससे उस प्रणाली में विकार न घटने पायें और वह अधिकाधिक उपयोगी हो। शुभम् ।

परिशिष्ट-३

मिन्न भिन्न प्रान्तों से निर्वाचित सदस्यों की संख्या

प्रान्त	राज्य परिषद में	भारतीय व्यवस्थापक सभा में	प्रातीय व्यवस्थापक परिषद में
मद्रासा	५	१६	१८
बम्बई	६	१६	८६
बगाल	६	१७	११३
चंगुल्हा प्रान्त	५	१६	१००
पंजाब	४	१३	७१
विहार-उडीसा	३	१२	७६
मध्य प्रान्त	२	६	५३
आसाम	१	४	३६
बर्मा	२	४	७८
देहली	..	१	..
योग	३४	१०४	७१४

परिशिष्ट-२

युक्त प्रान्त के निर्वाचक संघ और प्रतिनिधि

(क) राज्य परिषद् के लिये

निर्वाचक संघ का नाम	निर्वाचन क्षेत्र	प्रतिनिधियों की संख्या
गैर-मुसलमानों का	लखनऊ और फैजाबाद डिवी- जून	१
“	आगरा, मेरठ, रुहेलखण्ड और कुमाऊँ डिवीजून	१
“	इलाहाबाद, बनारस, झासी, गोपालपुर डिवीजून	१
मुसलमानों का	इलाहाबाद, झासी, आगरा रुहेलखण्ड, मेरठ, और कुमाऊँ डिवीजून	१
“	लखनऊ, फैजाबाद, बनारस और गोपालपुर डिवीजून	१

(ख) भारतीय व्यवस्थारक सभा के लिये

निर्वाचक सभा का नाम	निर्वाचन क्षेत्र	प्रतिनिविधों की संख्या
नागरिक, गैर-मुसल्मानों का	आगरा, मेरठ, कानपुर, बनारस इलाहाबाद, घरेली और लखनऊ की म्युनिसिपैलिटियाँ और छात्रनिया	१
आमीण, गैर-मुसल्मानों का	मेरठ डिवीज़न (मेरठ शहर छोड़ कर)	१
"	आगरा डिवीज़न (आगरा शहर छोड़ कर)	१
"	सहेलखेड़ और कुमाऊँ डिवीज़न (घरेली शहर छोड़ कर)	१
"	इलाहाबाद और झासी डिवीज़न (इलाहाबाद और कानपुर शहर छोड़ कर)	१
"	बनारस और गोरखपुर डिवीज़न (बनारस शहर छोड़ कर)	१
"	लखनऊ डिवीज़न (लखनऊ शहर छोड़ कर)	१
"	फैजाबाद डिवीज़न	१

निवाचक संघ का नाम	निर्वाचन क्षेत्र	प्रतिनिविषों की संख्या
नागरिक, मुसलमानों का	आगरा, मेरठ, कानपुर, बनारस, इलाहाबाद, यरेली और लख नऊ की म्यूनिसिपेलिटिया और छावनिया	१
प्रामीण, मुसलमानों का	मेरठ डिवीजन (मेरठ शहर शहर छोड़ कर	१
"	आगरा डिवीजन (आगरा शहर छोड़ कर	१
"	रुद्रलखण्ड और कुमाऊँ डिवी जा (यरेली शहर छोड़ कर)	१
"	इलाहाबाद, बनारस, साँसी, और गोरखपुर डिवीजन (इला- हाबाद, बारास और कानपुर शहर छोड़ कर)	१
"	लरानज और कैजायाद इष्टी जून (लरानज शहर छोड़कर)	१
योगेविषयों का	युत प्रान्त	१
जनेश्वरी हा (विदेश)	युत प्रान्त	१

निर्वाचक सभा का नाम	निर्वाचन क्षेत्र	प्रतिनिवियों की संख्या
प्रासीण, गैर-मुमलमानों	बुलन्दशहर जिला—खुर्जा, सि- कन्दराबाद तहसीले	१
” ”	अलीगढ़ जिला—अलीगढ़, अत- रीली सिकन्दराराऊ तहसीले	१
” ”	अलीगढ़ जिला—हाथरस, इग- लास, खेर तहसीले	१
” ”	मथुरा ज़िला	१
” ”	आगरा ”	१
” ”	मैनपुरी ”	१
” ”	एटा ”	१
” ”	बरेली ”	१
” ”	विजनौर ”	१
” ”	बदायू ”	१
” ”	मुरादाबाद ”	१
” ”	शाहजहापुर ”	१
” ”	पीलीभीत ”	१
” ”	झासी ”	१
” ”	जालौन ”	१
” ”	हमीरपुर ”	१

(ग) युक्त प्रान्तीय व्यवस्थापक परिपद के लिये

निर्वाचक सघ का नाम	निर्वाचन क्षेत्र	प्रतिनिधियों की संख्या
नागरिक, गैर-मुसल-मानों का	आगरा शहर	१
" "	कानपुर "	१
" "	इलाहाबाद "	१
" "	लखनऊ "	१
" "	बनारस "	१
" "	बरेली "	१
" "	मेरठ-अलीगढ़ ज़िले	१
" "	मुरादाबाद-शाहजहापुर ज़िले	१
" "	देहरादून ज़िला	१
आमीण	सहारनपुर "	१
" "	मुजफ्फरनगर "	१
" "	मेरठ ज़िला—भद्राना, बागपत, सरधना तहसीलें	१
" "	मेरठ ज़िला—हापुड़, गाज़ियाबाद, मेरठ तहसीलें	१
" "	बुलन्दशहर ज़िला—बुलन्दशहर, अनूपशहर तहसीलें	१

निर्वाचक घट का नाम	निर्वाचन क्षेत्र	प्रतिनिधियों की संख्या
प्रामीण, गैर-मुसलमानों का	गढ़वाल ज़िला	१
” ”	लखनऊ ”	१
” ”	उदयपुर ”	१
” ”	रायबरेली ”	१
” ”	सीतापुर ”	१
” ”	हरदोई ”	१
” ”	येरी ”	१
” ”	फैजाबाद ”	१
” ”	गोडा ”	१
” ”	बहराइच ”	१
” ”	सुलतानपुर ”	१
” ”	परताबगढ़ ”	१
” ”	बाराबरी ”	१
” ”	गाजीपुर ”	१
नागरिक, मुसलमानों का	इलाहाबाद-बनारस	जिले
” ”	लखनऊ-कानपुर ”	१
” ”	आगरा-मेरठ-अलीगढ़ ”	१
” ”	बरेली-शाहजहांपुर-भुज	१
प्रामीण	देहरादून ज़िला	

निर्वाचक सघ का नाम	निर्वाचन क्षेत्र		प्रतिनिधियों की संख्या
	वाश	ज़िला	
ग्रामीण-ग्रेर-मुसलमानों का			१
" "	फर्रुखाबाद	"	१
" "	इटावा	"	१
" "	कानपुर	"	१
" "	फतेहपुर	"	१
" "	इलाहाबाद	"	१
" "	बनारस	"	१
" "	मिर्जापुर	"	१
" "	जौनपुर	"	१
" "	चटिया	"	१
" "	गोरखपुर ज़िला—महाराजगांज,		
	गोरखपुर, वासगाव तहसीलें		
" "	गोरखपुर ज़िला—पड़ोना, हाटा, देवरिया तहसीलें		
" "	यस्ती ज़िला		
" "	आज़मगढ़	"	१
" "	नैनीताल	"	१
" "	अलमोदा	"	१

निर्याचक भेष वा नाम	निर्याचा देश	प्रतिपिधियो वी संख्या
मार्मीन, गैर-मुसलमानों का	गढ़वाल ज़िला	१
" "	स्थानज़	१
" "	उमाय	१
" "	रायबरेटी	१
" "	सीणपुर	१
" "	दरदोई	१
" "	टोरी	१
" "	फैजाबाद	१
" "	गोढा	१
" "	भद्राइच	१
" "	सुलतानपुर	१
" "	परताबगढ़	१
" "	बाराबंकी	१
" "	गाज़ीपुर	१
नागरिक, मुसलमानों का	इलाहाबाद-बनारस - ज़िले	१
" "	लखनऊ-कानपुर	१
" "	आगरा-मेरठ-अलीगढ़	१
" "	बरेटी-शाहजहापुर-मुरादाबाद,	१
मार्मीन	देहरादून ज़िला	१

निर्वाचक संघ का नाम	निर्वाचन क्षेत्र	प्रतिनिधियों की संख्या
ग्रामीण, मुसलमानों का	सहारनपुर ज़िला	१
, गैर मुसलमानों का	मेरठ ज़िला	१
" "	मुजफ्फरनगर,,	१
" "	विजनौर "	१
" "	बुलन्दशहर,,	१
" "	अलीगढ़-भयुरा आगरा ज़िले	१
" "	मैनपुरी एटा-फरुखावाद,,	१
" "	इटावा-कानपुर फतेहपुर,,	१
" "	झांसी डिवीजन	१
" "	इलाहावाद-जैनपुर-मिर्जापुर ज़िले	१
" "	बनारस गाझीपुर बड़िया-आजम-	
" "	गढ़ ज़िले	१
" "	गोरखपुर ज़िला	१
" "	वस्ती "	१
" "	मुरादावाद ज़िला-मुरादावाद,	
" "	ठाकुरद्वारा-अमरोहा तहसीलें	१
" "	मुरादावाद ज़िला-हसनपुर,	
" "	सम्बल, लिलारी तहसीलें	१
" "	बदायूँ ज़िला	१

निर्वाचक संघ का नाम	निर्वाचन क्षेत्र	प्रतिनिधियों की संख्या
प्रामीण-गैर मुसलमानों का	शाहजहापुर ज़िला	१
" "	बेरली ज़िला	१
" "	कुमाऊँ डिवीज़न और पीली-भीत ज़िला	१
" "	गोडा बहरायच ज़िले	१
" "	खेरी सीतापुर "	१
" "	हरदोई लखनऊ-उनाय "	१
" "	फैजाबाद-याराबकी "	१
" "	सुलतानपुर-परवाबगड़-रायबरेली	१
योरोपियन आगरा जमीदारों का	युक्त प्रांत आगरा, मेरठ, रुद्रलखण्ड और कुमाऊँ डिवीज़न	१
" "	झासी, इलाहाबाद, गोरखपुर, बनारस डिवीज़न	१
तालुकेदारों के अपर इंडिया चेम्बर-	युक्त प्रांत अपर इंडिया चेम्बर-आफ-कामस	२
आफ-कामस का	युक्त प्रांतीय चेम्बर-आफ-कामस	१
युक्त प्रांतीय चेम्बर-	प्रथाग विद्युत विद्यालय	१
आफ कामस		
विश्व विश्वालय		

फरिश्चिष्टः—

मध्यप्रान्त के निर्वाचक संघ और प्रतिनिधि

(क) राज्य परिषद के लिये

निर्वाचक संघ का नाम	निर्वाचन क्षेत्र	प्रतिनिधियों की संख्या
साधारण	मध्य प्रान्त	१

(ख) भारतीय व्यवस्थापक सभा के लिये

निर्वाचक संघ का नाम	निर्वाचन क्षेत्र	प्रतिनिधियों की संख्या
गैर-मुसलमानों का	नागपुर डिवीजन, (चादा ज़िले की सिरोंचा तहसील छोड़कर) नवदा, जबलपुर, छत्तीस गढ़ डिवीजन (मांडला म्युनिसिपै-लिटी के अतिरिक्त, शेष मांडला ज़िला छोड़कर)	१
मुसलमानों का	मध्यप्रान्त (सिरोंचा तहसील छोड़कर)	१
जमीदारों का	मध्यप्रान्त	१

(ग) मध्य प्रास्तीय व्यवस्थापक परिषद के लिये *

नियाचक गप का नाम	नियाचन दोष	प्रतिनिधियों की संख्या
नागरिक, मैर-मुसलमानों का	जब्लपुर शहर	१
" "	जब्लपुर डिवीजन	१
" "	छत्तीगढ़ "	१
" "	नवंदा "	१
" "	नागपुर-कामटी	३
" "	नागपुर टिक्कीजुन	१
प्रार्थीन	जब्लपुर जिला—जब्लपुर, पाटन राहसीले	१
" "	जब्लपुर जिला—जब्लपुर पाटन राहसीले छोटका, नेप।	१
" "	दमोह जिला	१
" "	चांगर "	१
" "	सिंधनी "	१
" "	गयपुर टिक्का—गयपुर, बलोदा— बाला राहसीले	१

* इस लोक्त के दिये गये प्रतिनिधियों के अंतरिक्ष यात्रा हुदाय
बार के निर्वाचित होते हैं। वे जानकार दिये जाएँ यथावत् की अप्र
स्थिति चरित्र के निर्वाचित प्रतिनिधि समझ जाते हैं।

फरिश्ते

मध्यप्रान्त के निर्वाचक संघ और प्रतिनिधि

(क) राज्य परिषद के लिये

निर्वाचक संघ का नाम	निर्वाचन क्षेत्र	प्रतिनिधियों की संख्या
साधारण	मध्य प्रान्त	१

(ख) भारतीय व्यवस्थापक सभा के लिये

निर्वाचक संघ का नाम	निर्वाचन क्षेत्र	प्रतिनिधियों की संख्या
गैर-मुसलमानों का	नागपुर डिवीजन, (चादा ज़िले की सिरोंचा तहसील छोड़कर) नर्बदा, जबलपुर, छत्तीस गढ़ डिवीजन (माडला मुनिसिपै- लिटी के अतिरिक्त, शेष माडला ज़िला छोड़कर)	१
मुसलमानों का	मध्यप्रान्त (सिरोंचा तहसील छोड़कर)	१
जमीदारों का	मध्यप्रान्त	१

निर्वाचक संघ का नाम	निवाचन क्षेत्र	प्रतिनिधियों की संख्या
ग्रामीण, मुसलमानों का	छत्तीसगढ़, डिवीजून	१
" "	नर्वदा डिविजन	१
" "	नागपुर "	१
जमीदारों का	जग्गलपुर और नर्वदा,,	१
"	नागपुर और छत्तीसगढ़,,	१
विश्वविद्यालय का	मध्यप्रान्तीय विश्वविद्यालय	१
सणिङ	मध्यप्रान्त और वरार की स-	---
"	णिंज सभा	१
वाणिज्य और उद्योग	मध्यप्रान्त	१

निर्वाचक संघ का नाम	निर्वाचन क्षेत्र	प्रतिनिधियों की संख्या
ग्रामीण, गैर मुसलमानों का	राथपुर ज़िला—धूमतरी, मह- सामद तहसीलें	१
" "	विलासपुर ज़िला	१
" "	दुग " "	१
" "	होशगांवाद "	१
" "	निमाड " "	१
" "	नरसिंहपुर "	१
" "	छिद्वाहा "	१
" "	बेतुल "	१
" "	नागपुर ज़िला—नागपुर, राम- टेक तहसीलें	१
" "	नागपुर ज़िला—नागपुर, राम- टेक तहसीलें छोड़कर	१
" "	वर्धा तहसील "	१
" "	वर्धा ज़िला "	१
" "	चौदा ज़िला	१
" "	भण्डारा "	१
" "	बालाघाट "	१
ग्रामीण, मुसलमानों का	ज़ोड़बलपुर डिवीज़न	१

प्रस्तावक का नाम ——————

निर्वाचक सघ की नियोंचक
सूची में प्रस्तावक का नबर* }
} ——————

प्रस्तावक के हस्ताक्षर ——————

समर्थक का नाम ——————

निर्वाचक सघ की निर्वाचक
सूची में समर्थक का }
} नबर ——————

समर्थक के हस्ताक्षर ——————

उम्मेदवार का धयान

मैं इम प्रस्ताव से सहमत हूँ।

ता० —————— उम्मेदवार के हस्ताक्षर ——————

(नामजदगी-अफसर या अन्य अधिकारी द्वारा
भरे जाने के लिये)

ऋग्माण्ड सख्या *** · · · · · · · · · · · · · ·

पहुँच का सार्विकिकट

यह प्रस्ताव पत्र मेरे पास मेरे कार्यालय में ता० · · · को · ·
यजे के समय दिया गया।

* यदि निर्वाचक सूची कई भागों में विभक्त है, और प्रत्येक भाग
के निर्वाचकों की ऋग्माण्ड सख्या पृथक् पृथक् है, तो जिस भाग में प्रस्तावक
का नाम दर्ज है उस भाग का व्योग भी यहाँ दिया जाना चाहिये।

परिशिष्ट-४

व्ययस्थापक स्थावों की उम्मेदवारी के प्रस्ताव-पत्र का नमूना

उस निर्वाचक संघ का
नाम, जिसकी उम्मेदवारी के }
लिये प्रस्ताव किया जाता है,

उम्मेदवार का नाम,

पिता का नाम,

आयु,

पता,

जाति + (गैर-मुसलमान,
मुसलमान, भारतीय इंसाई, }
सिख, योरोपियन, या ऐलो }
दण्डियन)।

उस निर्वाचक संघ का नाम,
जिसकी निर्वाचक सूची में }
उम्मेदवार का नाम, निर्वा- }
चकों में दर्ज है,

उस निर्वाचक संघ की }
निर्वाचक सूची में उम्मेदवार }
का नाम।

+ विदेश निर्वाचक संघ में इसके लिखने की आवश्यकता नहीं।

क्रम संख्या	छायीरा	नाम	पिता का नाम	पेशा	पता	निर्वचक सूची म नम्बर	वाहु	बोणी	हस्ताक्षर या चिन्ह
७	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१	प्रस्तावक
२	समर्थक

उम्मेदवार के हस्ताक्षर या चिन्ह (यदि वह
उपस्थित हो), यह दर्शाने के लिये, कि वह अपनी
उम्मेदवारी के प्रस्ताव से सहमत है ।

तारीख ——

नामजदगी-अफसर के हस्ताक्षर ।

**नामज्जदगी—अफसर या अन्य अधिकारी की
जाच का सार्टिफिकेट**

मैंने उम्मेदवार तथा प्रस्तावक और समर्थक की योग्यता की जाच करली है और मुझे मालूम हुआ है कि ये व्यक्ति क्रमशः उम्मेदवार होने तथा उम्मेदवार का प्रस्ताव और सम्बन्धन करने के योग्य है।

न मज्जदगी—अफसर या अन्य अधिकारी

फरिश्हाटूँगी

**युक्त प्रान्त की म्युनिसिपैलिटी की
उम्मेदवारी का प्रस्ताव—पत्र**

... ' की म्युनिसिपैलिटी.

“ “वार्ड की” ” श्रेणी के उम्मेदवारों का निर्वाचन जो
ता० “ ” १९२ को होगा।

हम निम्न लिखित व्यक्ति, जो निर्वाचक है, और जिनका नाम
। है की श्रेणी की निवाचक सूची में दर्ज है उपर्युक्त निर्वाचन के
लिये “ ” की उम्मेदवारी का प्रस्ताव करते हैं। यह “ ” का पुत्र
है इस का पेशा “ ” है। यह “ ” का निवासी है। इस का
नाम “ ” वार्ड की“ ” श्रेणी की निर्वाचक सूची में “ ” सख्ता पर
दर्ज है।

	कम संख्या	छवीरा	नाम	पिता का नाम	पेशा	पता	निवाचक सूची म नम्बर	घाँट	अणी	हस्ताक्षर या चिन्ह
१	३	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
२	प्रस्तावक समर्थक
	समर्थक

उम्मेदवार के हस्ताक्षर या चिन्ह (यदि वह उपस्थित हो), यह दर्शाने के लिये, कि वह अपनी उम्मेदवारी के प्रस्ताव से सहमत है।

तारीख—

नामजदगी-अफसर के हस्ताक्षर।

कशीशिष्टः

निर्वाचन-पत्र का नमूना

(सामने की ओर)

उम्मेदवार का नाम	निर्वाचक का चिन्ह X या +
गम	
गोविन्द	
मोहन	
सोहन	

(पीछे की ओर आदेश)

- (१) जितने उम्मेदवारों को तुम मत दे सकते हो, उन की मद्या है।
- (२) जिस उम्मेदवार को तुम मत देना चाहो उसके उनसे नाम के सामने X या + चिन्ह लगादो।
- (३) यह चिन्ह + से अधिक के सामने नहीं लगाया जाना चाहिये।

भारतवर्धीय हिन्दी अर्थ शास्त्र परिपद

(स्थापित मार्च १९२३)

समाप्ति पश्चोक्तरण नाथजी मिथ्या, एम ए वी पल, लखनऊ
 मन्त्री ० { प० द्याशकर जी दुबे, एम० ए०, एलएल० वी०
 श्रीयुत अयदेव जी गुप्त वी काम

इस परिपद का उद्देश्य जनता में हिन्दी द्वारा अर्थ शास्त्र का शान फैलाना और हिन्दी में अर्थ शास्त्र का साहित्य पढ़ाना है। कोई भी सज्जन १) प्रवेश की और २) रप्या वार्षिक देकर इस परिपद का सदस्य हो सकता है। प्रत्येक देश हितेंगी को चाहिये कि इस परिपद के कार्य में योग देकर इस गरीब देश के आर्थिक उत्थान में सहायक हो। परिपद के सदस्य को परिपद द्वारा संपादित अथवा प्रकाशित पुस्तक, भारतीय अन्य माला की सब पुस्तकें और निम्न, एवं बद्री केवार यात्रा पुस्तक पौने मूल्य में मिल सकेंगी।

इस परिपद की सम्पादन समिति अर्थ शास्त्र सम्बन्धी लेख या पुस्तकें विना मूल्य सम्पादित करती है। इस विषय के लेखकों को इससे लाभ उठाना चाहिये। निम्न लिखित पुस्तकें सम्पादित हो चुकी हैं —

१—भारतीय अर्थ शास्त्र (प्रथम भाग), लेखक-भी० भगवान शास केला, . मूल्य १॥)

२—भारतीय अर्थ शास्त्र, दूसरा भाग (छप रहा है)
 मूल्य लगभग ॥)

३—विदेशी विनिय, लेखक-श्री द्याशकर जी दुबे
 एम ए, मूल्य १।)

४—भारत के उद्योग धघे, (छप रही है) मूल्य लगभग ॥)

द्याशकर दुबे
 एम ए एल एल वी
 मन्त्री

दारागम ।
 प्रथाग ।

भारतीय निवन्ध संस्कृत

भारतीय निवन्धमाला के प्रत्येक निवन्ध का विषय यहुत व पूर्ण रहता है। पृष्ठ संख्या २६ से २० तक, और मूल्य पक्ष । होता है। निम्न लिखित निवन्ध छप गये हैं --

- (१) हिन्दी भाषा में अर्थ शास्त्र; लेखक—ध्री० भगवानदास केला
- (२) हिन्दी भाषा में राजनीति, लेखक—भ्री० देवी प्रमाद सकमेना, विशारद
- (३) हमारा प्राचीन गौव—(मनोहर चार्तलाप), लेखक—श्री० आनन्द भिक्षु कुछ सम्मतियों का सारांश

—सस्ते और छोटे छोटे ट्रैक्टों द्वारा आवश्यक विषयों पर आवश्यक को सुलभ बनाने की यह विधि सबथा प्रशस्तीय और उपयोगी है। —ज्योति

—निवन्ध अच्छे और उपयोगी है। —मार्गवाणी
—यहुत अच्छे ट्रैक्ट हैं। ऐसे ट्रैक्टों का प्रचार होना चाहिये। —शंकर

—महता साहित्य प्रकाशित कर जन साधारण में जागृति के प्रसार यह प्रयत्न सराहनीय है। आशा है हिन्दी जगत निवन्ध माला का इत आदर कर श्री० रेला जी को उत्साहित करेगा। —प्रेम

भारतीय ग्रन्थमाला के स्थायी आद्धकों, और प्रचारकों को निवन्ध आधे मूल्य में दिये जाते हैं। साहित्य प्रेस, आर में सहयोग करें।

दृष्टव्यस्थापक

भारतीय ग्रन्थमाला, बृहदावन

भारतीय ग्रन्थमाला

संक्षिप्त इतिहास और उद्देश्य-प्रेमी और जिज्ञासु पाठकों के लिये यहा भारतीय ग्रन्थमाला सम्बन्धी कुछ मुख्य वातें लिखी जाती हैं ।

एफ० प० पास करने के तीन साल बाद सन् १९१३ ई० में ची० प० की पढाई आरम्भ करने का हमारा एक उद्देश्य राजनीति (इतिहास) और अर्थशास्त्र अध्ययन करना था । उक्त वर्ष के अन्त में हमने 'माहेश्वरी' पत्र-के लिये 'हमारे पाठ्य विषय', शीर्षक एक लेख माटा * लिखी, उसमें अन्यान्य विषयों में उपर्युक्त विषयों का महत्व और इनका दूसरों से सम्बन्ध दर्शाया । ची० प० में इन विषयों की शिक्षा और उक्त लेखमाला का अनुभव प्राप्त करते हुए, यह निश्चय किया गया कि इन विषयों पर कुछ पाश्चात्य एवं भारतीय विचार हिन्दी भाषा में पुस्तक रूप से प्रकट किये जाय । अस्तु, परीक्षा देने ही सन् १९१५ ई० में भारतीय ग्रन्थमाला का श्री गणेश करने वाली 'भारतीय शासन' पुस्तकों की रचना की गयी । सुहृदों की कृपा से उसके प्रकाशित हो जाने पर आगे के लिए उत्साह बृद्धि हुई । परिमिति अनुसार नेयी नयी रचनाओं का प्रयत्न होता रहा । समय समय पर अन्य मित्रों से भी साहित्य काय में योग देने के लिये अनुरोद किया गया । इस समय

तक जो थोड़ा बहुत कार्य बन आया है, वह पाठकों के सम्मुख है।

भावी कार्य क्रम—‘हमने ‘भारतीय’ राष्ट्र ‘निर्माण’ (प्रथम स्सकरण) की प्रस्तावना में कहा था कि भारतीय ग्रथ माला के सम्बन्ध में “‘भविष्य’ के लिए हमारी आकाशा इतनी बड़ी हुई है कि उस की कुछ निश्चित रूप से विज्ञप्ति देने में न कोन्ह होता है। प्रेमी ‘पाठक’ इतनाही जान कर मन्त्रोप करें कि हमारे मन में जन्म भूमि जी जागृति सम्बन्धी नवीन ‘लहरों’ का उदय हो रहा है, हम अपने देश की महान औचश्यकताओं और विशाल उत्तरदायित्व का विचार कर रहे हैं, संसार में भारतार्प का क्या स्थान तथा कर्तव्य है, यह सीच रहे हैं, भारत माता के दीन हीन होते हुए भी भारतीय सभ्यता अभी तक किस उद्देश्य पूर्ति के लिए जीवित है, अथवा जगत की अधिकाश दुखी जनता के लिये इसे क्या कल्याणकारी स्फेशा देना है, इसका चिन्तन व मनन कर रहे हैं। परमात्मा की कृपा हुई और सुहृदों की सहायता मिली तो हम अपनी वर्त गाठ के “साथ साथ इस ग्रन्थ माला में उपर्युक्त भावों से पूरित एक एक दो दो दाने जोड़ते रहेंगे।” इससे अधिक कुछ और कह कर हम पाठकों को चृथा बड़ी २ आशायें दिलीना नहीं चहते।

- आप क्या सहायता कर सकते हैं? - इस सम्बन्ध में आप के शिचारार्थ हमारा साधारण वक्तव्य इस प्रकार है —

“(१) कुछ महार्जों ने हमें भिन्न भिन्न पुस्तकों के प्रकाशन में आर्थिक सहायता दी है, आप भी अपेनी शक्ति और भावना के अनुसार सहायता कर सकते हैं, इसके उपलक्ष्य

(३)

मैं जिस संस्था को आप कहेंगे उसे उतनी रकम तक की पुस्तकें प्रदान की जावेगी ।

(२) हमारी पुस्तके राष्ट्रीय पर्व सरकारी कई संस्थाओं के लिये स्पीकर्त हैं । अन्य संस्थाओं के अधिकारियों को भी चाहिये कि वे अपने यहाँ इन्हें जारी करके अपना पारितोषिक में डेक्क प्रचार कार्य में योग दें ।

(३) साधारण पाठकों को चाहिये कि वे हमारी जिस पुस्तक को अवलोकन करें उसका अपने सहवासी मित्रों में प्रचार करें । इस प्रकार साधारण स्थिति के अक्षी हमें यहुत सहायक सिद्ध होंगे ।

(४) भिन्न २ विद्वान् हमारी रचनाओं के सम्बन्ध में अपना मत प्रकाशित करें और उनमें ओगामी संस्करणों के लिये संशोधन या सुवार की बातें घलावें तथा किस विषय की पुस्तक की रचना में वे अपने सुविचारों से हमारी सहायता कर सकते हैं, यह सूचित करें ।

(५) यदि आप पुस्तक विक्रीता हैं तो अन्यान्य उपयोगी ग्रन्थों के साथ “भारतीय ग्रन्थमाला” की पुस्तकों के भी प्रचार का प्रयत्न करें । यथोचित करीमत दिया जायगा ।

अब आप अपनी परिस्थिति के अनुसार यह निश्चय फरलें कि आप इस शुभ कार्य में न्या योग दे सकते हैं ।

विनीत

भगवानदास केला ।

लेखक की रचनायें; भारतीय अन्यभाला

संख्या	पुस्तक	सन्	संस्करण	प्रतिया	विशेष वक्तव्य
१	भारतीय शासन	१८५४	पहिला	एक हजार	(क) मध्य प्रान्त और चरार के हाई-स्कूलों की पाठ विधि में समिक्षित और नामाल स्कूल पुस्तकों लयों के लिये स्वीकृत।
					(ख) बड़ादा राज्य के स्कूल पुस्तकों लयों के लिये स्वीकृत।
					(ग) हिन्दी, साहित्य सम्मेलन की प्रथमा परीक्षा की पाठ विधि में समिलित।
					(घ) संयुक्त प्रान्त के चर्नाक्यलर और पेंजालो चर्नाक्यलर स्कूल पुस्तकालयों के लिये सिक्कारिश की गयी।
					(ज) कई स्कूलों, विद्यालयों, इयानीय प्रम महाविद्यालय और युवकुल का पाठ विधि में सामलित।

२	<p>‘भारतीय विद्यार्थी विनोद’ या “हमारे पाल्य और निचारणीय विषय”</p>	१८१६ पहिला दूसरा	डेढ़ हजार	(क) मध्य प्रान्त और वरार के बनाय- लर, ऐलो बनायशूलर, मिडिल हाई, और नामल स्कूलों के पुस्तक कालयों के लिये, एवं पारितोपिक के लिये स्वीकृत ।
३	भारतीय राष्ट्रनिर्माण	१८१६ पहिला	एक हजार	फल राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा
	”	१८१७ दूसरा	एक हजार	अपनायी गयी ।

४	मातृ चलना । चन्योक्ति तरहिणी ।	१६२६ पहिला " "	एक हजार " "	पै० ईश्वरी प्रसाद जी अलीगढ़, रचित मनोहर, देश मक्किपूर्ण और शिक्षाप्रद पद्य रचनामें ।
---	-----------------------------------	-------------------	----------------	--

५	भारतीय जागृति ।	१६२० पहिला	एक हजार	प्रेम महाविद्यालय की पाठ चिकित्सा में संक्षिप्तित ।
---	-----------------	------------	---------	--

६	देशभक्त दासोदर ।	१६२० पहिला	डेट हजार	मारवाड़ी शिक्षा मण्डल से १२१।)
---	------------------	------------	----------	--------------------------------

७	भारतीय अर्थशास्त्र ।	१६२३ पहिला	दो हजार	प्रेम महाविद्यालय की पाठनियि में संक्षिप्तित ।
---	----------------------	------------	---------	---

८	भारतीय चिन्तन ।	१६२३ पहिला	एक हजार	आमी छपी है ।
---	-----------------	------------	---------	--------------

पाठकों की सूचनार्थ हमारी पुस्तकों का संक्षिप्त परिचय
उ की विषय सूचि तथा उन पर आधी हुई मुख्य मुख्य
मालोंवाओं का सारांश आगे दिया जाता है।— । ।

भारतीय शासन (तीसरा सम्प्रकारण), इस की
पर्यागिता और सर्वप्रियता का एक प्रमाण यही है कि थोड़े से
मय में इस को तीसरा सम्प्रकारण प्रकाशित हो चुका। गौह-
स्तक कई स्कूलों और गप्तीय विद्यालयों में पढ़ायी जाती है।
न्य सल्लाओं में भी जारी होनी नाहिये। प्रत्येक नागरिक के
लए यह जानना अन्त आवश्यक है कि उसके भक्ति भाजन
ब्रह्म में राज्य की ऊल किस प्रकार चलती है। पृष्ठ संख्या
५८, मूल्य ॥॥॥ मात्र।

विषय सूची—१—ऐतिहासिक उपोद्घात, २—डेंगलैंड की राज्य
व्यवस्था, ३—भारतीय ग्रामन नीति विभास, ४—भारत मंत्री और, हिंदूया
सिल, ५—भारत मरकार, ६—भारतीय व्यवस्थापक विभाग, ७—प्रान्तिक
रकार ८—प्रान्तिक व्यवस्थापक, 'परिवे ९—जिले फा रासन, १०—स्थानीय
वराज्य, ११—सरकारी आयो व्यव, १२—देशी रियासतें, १३—भारतीय सेना,
१४—पुलिस और जेल, १५—कानून और न्याय, १६—शिक्षा पचार,
१७—द्वास्थ रक्षा, १८—सावंजनिक कार्य।

“बड़ी अच्छी पुस्तक है, सामयिक है, शासन से सम्बन्ध
रखने वाली चातों का स्थूल ज्ञाने प्राप्त करने के लिये आइने का
फाम देने वाली है”। —“सरस्वती”

—वास्तव में यह पुस्तक साधारण लोगों के लिये राजनीतिक
नेता, विद्यार्थियों के लिए शिक्षक, राजनीतिज्ञों के, लिए, ज्ञान
वद्दे के और सम्पादकों के लिये सुवर्ण-गङ्गों का सदूक है।

—“हिन्दी” (दक्षिण अफ्रीका)

—पर्वमान भारतीय ग्रामन पद्धति का ज्ञान प्राप्त करने के

लिये हिन्दी भाषा में इससे उच्चतर अन्य कोई पुस्तक अभी तक प्रकाशित नहीं हुई । —‘जयाजी प्रताप’ ,

भारतीय विद्यार्थी विनोद (दूसरा संस्करण), भारतीय विद्यर्थियों—भावो विद्वानों और देश सेवकों के लिये यह पुस्तक बहुत ही उपयोगी है । इसमें मुख्य मुख्य पाठ्य विषयों की आलोचना, उन का महत्त्व और पारस्परिक सम्बन्ध तथा कई विचारणीय विषयों पर उपयोगी विचार हैं । पृष्ठ संख्या, परि शिष्ट के अतिरिक्त ६२, मूल्य । ॥ मात्र ।

विषय सूची—प्रथमखंड—हमारे पाठ्य विषय, १-भाषा, २--गणित, ३--विज्ञान, ४ भूगोल, ५--इतिहास, ६- सम्पत्ति शास्त्र, ७--नीति, ८--तर्क शास्त्र । दूसरा खंड -विचारणीय विषय, १--भारत वर्ष में राष्ट्र-भाषा का पश्च २-मातृ भाषा में प्रैम, ३-हमारी मातृ 'भाषा, ४-हमारी आदर्त, ५- आत्मोन्नति ६--आजकल के पाहुने ७--मानवी सुव दु घ पर एक दृष्टि, ८--जीवा यात्रा ।

पुस्तक नये ढंग की और योरोपीय उद्घरणों से विभूषित उत्तेजनाकारक है । ऐसी ऐसी पुस्तकों की आवश्यकता भी है ।

सम्मेलन पत्रिका

राष्ट्र भाषा में ऐसी पुस्तक का प्रकाशित होना राष्ट्र भाषा के सौभाग्य का सूचक है । —‘चाद’, जप्रेल, मई १९१९ ।

भारतीय राष्ट्रनिर्माण (दूसरा संस्करण) इस समय चहु ओर राष्ट्रीयता की लहर चल रही है । क्या भारतवर्ष को भी राष्ट्र घनना चाहिये ? वह राष्ट्र किस प्रकार बन सकता है ? स्वाधीनता और स्वालंबनके क्या फ्या उपाय हैं ? भारतवर्ष को जगत में करा महान उद्देश्य पूरा करना है, इन घातों को जानने और 'प्रस्तुत' राष्ट्रीय समस्याओं को शान्ति व गम्भीरता पूर्वक 'विवेचन करने' के लिये इस पुस्तक का पठन व

मनन आवश्यक है । लगभग दो सौ पृष्ठ की पुस्तक का मूल्य ॥) मात्र ।

चिप्य सूची—पथम खण्ड--विषय प्रवेश, १--राष्ट्र की उत्पत्ति, २--भारतीय राष्ट्र की भावेभ्यकर्ता, ३--भारतवर्ष की एकता । दूसरा खण्ड--हमारा समाज थल, १--भारतीय जनता, २ सदाचार, ३--शिक्षा, स्वास्थ और गोनीवर्जा, ४--संगठन--खिया, दलितोद्धार, और शुद्ध, ५--आरतीय हिन्दू मुसलमान । तीसरा खण्ड--राष्ट्रीयता के मार्वों का विकास, २--राष्ट्र--प्रेम और सेवा २० राष्ट्रीय शिक्षा, ३--राष्ट्रीय साहित्य, ४--राष्ट्रीय घटा । चौथा खण्ड--स्वाधीनता, कांग्रेस और स्वतंत्र आन्दोलन, २--सत्याग्रह और भसहयोग ।

—इस में बहुत ही योग्यता, और स्वतन्त्रता से विचार किया गया है । भाषा सरस है ।

—ललिता,

—निस्सदेह भारतीय राष्ट्र, निर्माण की घडाभारी सामग्री का समावेश इस छोटी पुस्तक में कर के लेयक ने मानों गागर में सागर भर दिया है । —‘मारवाडी’

मातृ बन्दना—श्री० ईश्वर कवि रचित इस पुस्तक में सात दर्शन हैं और मातृ—भूमि के प्रति अगाध भक्ति का भाव उत्पन्न करने वाली, पूजा पाठकी समुचित सामग्री है । प्रेमो भारत सन्तान, एक धार इसका आनन्ददायी पाठ तो कीजिये । पृष्ठ सख्ता ८८; मूल्य ॥) मात्र ।

अन्योक्ति तरगिणी—श्री० ईश्वर कवि प्रणीत इस रचना की सात तरगों में ८१ अन्योक्तियाँ हैं । गाने वालों के लिए गान की सामग्री है, पुरातन कविता प्रेमियों के लिए उस ढंग की रचना का समावेश है, भक्तों के लिए भक्ति का साधन और समालोचकों के लिए विवेचना का म्यल है । पृष्ठ सख्ता ६६ । मूल्य ।) मात्र ।

भारतीय जागृति—इस पुस्तक में गत शताब्दि के भारतीय इतिहास के विविध अड्डों के घर्णन के साथ साथ आधुनिक परिस्थिति के लिये चिचार करने की बहुत कुछ सामग्री है। इसे अपलोकन कर आप अपने महान कर्तव्य का पालन कीजिये भारतीय जगृति ससार के कल्याण का सदेश है। पृष्ठ सर्वांगों से अधिक; मूल्य १) मात्र।

विषय सूची—१—जागृति के कुछ सिद्धान्त, २—भारतीय जागृति का सामान्य विवेचन, ३—धार्मिक पुनरत्थान, ४—समाज सुधार ५—कृषि कथा, ६—औद्योगिक चिकित्सा, ७—शिक्षा प्रचार, ८—माहित्य-वृद्धि, ९—राजनीतिक विकास, १०—भारतीय ध्येय।

—इस पुस्तक में केलाजी ने विविध प्रकार की जागृति का सजीव चित्र रखींचा है। —‘ज्योति’

—देश को आज ऐसेही सहित्य की जरूरत है।—‘छात्र सहोदर’—पुस्तक युवकों के ही लिये हीं, वरन् नये हिन्दी लेखकों द्वारा लिए भी बड़ा काम दे सकेगी। —‘चित्रमय जगते’

देशभक्त दामोदर—यह स्व० सेठ दामोदर दास जी राठी, व्यावर, का जीवन चरित्र है। सेठ जी के बहल ३५ वर्ष तक आयु में देश भक्ति और जाति हित के अनेक कार्य कर गये हैं। इसे पढ़कर आप अपने जीवन को उच्च और उपर्योगी बनाने की शिक्षा प्रहण करें। पृष्ठ सर्वांग १२०; प्रचारार्थ मूल्य ॥) मात्र।

विषय सूची—१—श्री० राठी जी के पूर्वज, २, श्री० दामोदर वाला भा, ३—प्रकृति और दिन चर्या, ४—जन्म स्थान से प्रेम, ५—व्यावर का काम, ६—नाति सुधार और शिक्षा प्रचार, ७—मारवाड में रासन सुधार, ८—सामाजिक विचार, ९—देश हित, १०—श्री० राठी जी का समान, ११—श्री राठी विद्याना, १२—शोक सम्बाद और लोक मत १३—ममीक्षा और म्मारक।

“—इस जीवनी से देश भक्ति, व्यवसाय आदि अनेक वानों

की शिक्षा मिलती है। पुस्तक अवलोकनीय है।” —सौरभ
—‘सभ्यता’

भारतीय श्रम्य शास्त्र यह पुस्तक कई वर्षोंके परिश्रम से तैयार की गई है, किसी स्वदेश सेवी को इसके विपण की शिक्षा से विमुख न रहना चाहिए। सबका कर्तव्य है कि इसे भली भांति विचार कर भारत माता के आर्थिक उद्धार में सहायता हो। पुस्तक का मूल्य केवल ॥॥) रुपया है।

चिपथसूची—पहिला संड—विषय प्रवेश, । दूसरा संड—धनकी उत्पत्ति, तीसरा संड—उपभोग, चौथा संड—सुदूर और बैक, पांचवा छठ—विनियम और व्यापार, छठा संड—धन वा वितरण, सातवा चृण—राजस्व।

भारतीय चिन्तन—इस पुस्तक में राजनेतिक, अन्तर्राष्ट्रीय, सामाजिक, धार्मिक, विविध प्रकार के विषयों का विवेचन है। मूल्य ॥॥)

विषय सूची—इसके कुछ ऐसे थे हैं,—प्रेम का शासन, साम्राज्यों का जीवन मरण, प्यारी मा, स्वराज्य का मूल्य, मेरे ३० मिनट, राजनैतिक भूल भूलैया, तीर्थों में आतिमक पतन, मृत्यु का भय और नोक, धर्म युद्ध, जेल की बातें, राष्ट्र की बेदों पर, समाज सुधार, मौत की तथ्यारी, आदि आदि।

भारतीय राजस्वटेक्स क्यों ‘दिये’ जाते जाते हैं, जिस हिसाब से दिये जाते हैं, सरकारी आय किन किन कार्यों में खर्च होती है, प्रजा के उम में कितना अधिकार होना चाहिये, सरकार के अपरिमित व्यय से देश की आर्थिक उन्नति में केसी के सो वाधायें उपस्थित होती हैं, इन प्रश्नों पर विचार करके आर्थिक स्वराज्य प्राप्त करना प्रत्येक देश प्रेमी का कर्तव्य है। इस के लिये ‘भारतीय राजस्व’ का विवेचन कीजिये। दो सौ से अधिक पृष्ठ की पुस्तक का मूल्य ॥॥) मात्र।

विषय सूची—१-विषय प्रवेश, २-मर सम्बन्धी सिद्धान्त, ३-करों का विवेचन, ४-भारतीय राजस्व, ५-वेन्द्रीय व्यय, ६-केन्द्रीय

आय, ७—प्रात्तीय व्यय, ८—प्रात्तीय आय, ९—सार्वनिक चंडा
१०—स्थानीय राजस्व, ११—आधिक स्वराज्य ।

जर्मनी के विधाता—इस पुस्तक में जर्मनी के उन प्रसिद्ध प्रसिद्ध २४ पुरुषों की जीवनियों का सम्रह है जिन्होंने जर्मन साम्राज्य का, अपने उद्योग से पुनरुत्थान किया है । अन्तः राष्ट्रीय राजनीति में दिलचस्पी। रखने वाले भारतीय पाठकों को यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिये । पृष्ठ सख्ता ६२ मूल्य ।) मात्र ।

भारतीय ग्रार्थी—आकार में छोटी परन्तु भाव में बड़ी यह रचना आत्म सुधार कार्य में यथेष्ट फलप्रद होगी । मात्र १)

यमुना लहरी—यमुना के तट पर एक बार इसे पट कर देखिये, आपको आनन्द और शान्ति कितने गुणा अधिक हो जाती है । इसके बदले में यमुना लहरी की न्योछावर दो आने कीन बड़ी बात है । एक दृजन का मूल्य १।)

हिन्दी का संदेश—सुप्रसिद्ध स्गोमी सत्य देव जी द्वारा लिखित इस प्रभावशाली हिन्दा के संदेश को हिन्द के कोने कोने में पहुचाइये, मूल्य केवल एक आना प्रति, या ॥३॥ दर्जन ।

कृषक-दुर्शा-नाटक—यह नाटक, कृषक-प्रधान भारतीय समाज की दुदशा का सजीव नाटक है । आशो, सद मिल इसका विचार करें । मूल्य ॥४॥ है ।

नीतिदर्शन—साहित्य सेवी, देश भक्त श्री० राधामोहन गोकुल जी ने यह पुस्तक बहुत ग्रन्थों की छान बीन कर के बड़े परिश्रम से लिया है । इस का प्रचार होने की बड़ी आवश्यकता है । बड़ी साइज के २१७ पृष्ठ की पुस्तक का मू० केवल ॥।)

इसकी राष्ट्रीय तथा भक्ति पूर्ण गजल तथ पद्य हृदय में नव जीवन का सचार करती है, सभा सोसायटियों के अधिवेशनों में इन का बड़ा मान हुआ है । प्रचारार्थ मूल्य केवल ॥।)

